मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

52वीं वार्षिक रिपोर्ट

2013-14

इस्पात को **शक्तिशाली** बनाये

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, खान, स्टील, श्रम और रोज़गार केन्द्रीय मंत्री एवं श्री विष्णू देव सांई, खान, स्टील, श्रम और रोज़गार, केन्द्रीय राजमंत्री, मंत्रालय का कार्यभार लेते हुए.

श्री जी. मोहन कुमार, मॉयल दौरे पर मुख्यालय में अवलोकन करते हुए (बाऐं से दूसरे).

श्री बी. के ठकराल, (बाऐं से दूसरे) मॉयल की कार्यप्रणाली समझते हुए.

विषय-सूची

कार्य-निष्पादन - एक दृष्टि में 05

अध्यक्ष का वक्तव्य 07

अनुलग्नकों के साथ निदेशकों की रिपोर्ट 09

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ 51

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट 52

वार्षिक लेखा

तुलन पत्र 56

लाभ-हानि लेखा 57

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ.....58

लेखा पर टिप्पणियाँ 62

नकद प्रवाह विवरण 76

व्यापार खण्डों के बारे में जानकारी.....77

सामाजिक सुविधाओं का विवरण 78

सदस्यों को महत्वपूर्ण सूचना

कंपनियों द्वारा पेपररहित अनुपालन की अनुमति देकर कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने ''कारपोरेट अधिशासन में हरित पहल'' की है तथा परिपत्र जारी किए है जिसमें यह कहा है कि वार्षिक रिपोर्ट सहित नोटिस/दस्तावेजों को ई-मेल द्वारा सदस्यों को भेजा जा सकता है। सरकार की इस हरित पहल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता अब तक पंजीकृत नहीं किया है, उन से अनुरोध है कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार के माध्यम से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स के संबंध में अपना ई-मेल पता पंजीकृत करें। ऐसे सदस्य जिन्होंने शेयरों को भौतिक रूप से धारण किया है उनसे अनुरोध है कि मॉयल लिमिटेड या हमारे आर. एण्ड टी. एजेन्ट (मेसर्स बिग शेयर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड) के पास इसका पंजीकरण करें ताकि प्रिन्टेड कॉपी के बदले ई-मेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट भेजी जा सकें।

निदेशक मंडल

श्री जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

सरकारी निदेशक

श्री लोकेश चन्द्रा

श्री अपूर्वा चन्द्रा

स्वतंत्र निदेशक

सुश्री सुनंदा प्रसाद

डॉ. ए. के. लोमस

श्री जे. पी. डांगे

श्री जी. एस. ग्रोवर

कार्यकारी निदेशक

श्री ए. के. मेहरा
निदेशक (वाणिज्य)

श्री एम. पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

श्री ए. के. झा
निदेशक (उत्पादन एवं योजना)

सेवानिवृत्ति अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री संजीव नारायण

श्री हेमचंद्र डिसोडिया

श्री बाल कृष्ण गुप्ता

डा. डी. डी. कौशिक

श्री प्रदीप गुप्ता
(आई.पी.एस. - सी.व्ही.ओ.)

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री एस. गलगली
(आई.टी.एस.)

वरिष्ठ कार्यकारी

श्री डी. शोम
कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक)

श्री एम. डी. सोराठिया
महाप्रबंधक
(सुरक्षा एवं पर्यावरण)

श्री एस. बी. धर
महाप्रबंधक (प्रणाली)

श्री ए. के. शुक्ला
महाप्रबंधक (यांत्रिक)

श्री वी. एन. चंद्राकर
महाप्रबंधक (खान)

श्री आर. एस. वर्मा
महाप्रबंधक (खान)

श्री पी.वी.वी. पटनायक
महाप्रबंधक (परियोजना एवं
वैयविधिकरण)

श्री डी. वी. राजू
महाप्रबंधक (कर्मिक)

कंपनी सचिव

श्री नीरज डी. पाण्डेय

कार्य-निष्पादन - एक दृष्टि में

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10
वित्तीय (करोड़ रू. में)					
शुद्ध बिक्री	1021.28	967.12	899.58	1139.97	969.39
अन्य आय	303.32	235.27	203.32	145.28	129.92
कुल आय	1324.60	1202.39	1102.90	1285.25	1099.31
सकल मार्जिन	804.51	669.82	636.54	912.66	732.09
कर पूर्व लाभ	769.33	636.78	606.63	880.15	706.79
कर पश्चात लाभ	509.56	431.72	410.77	588.06	466.35
लाभांश	126.00	92.40	84.00	117.60	94.08
अंश पूंजी	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00
आरक्षित एवं अधिशेष	2959.33	2597.64	2273.31	1960.29	1509.37
नेटवर्थ	3127.33	2765.64	2441.31	2128.29	1677.37
उधार राशियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सकल खण्ड	510.07	479.91	422.58	396.46	357.03
कार्यशील पूंजी	2805.27	2485.50	2184.36	1892.81	1471.27
नियोजित पूंजी	3054.14	2734.45	2398.06	2097.29	1654.98
महत्वपूर्ण अनुपात					
नियोजित पूंजी पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	25.19	23.29	25.30	41.97	42.71
बिक्री पर कर पूर्व लाभ प्रतिशत	75.33	65.84	67.43	77.21	72.91
इक्विटी अनुपात पर कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
प्रति शेयर पर आय (₹)					
(₹ 10 के अंकित मूल्य पर)	30.33	25.70	24.45	35.00	27.76
राजकोष में योगदान (करोड़ रू. में)					
आयकर	260.87	213.84	204.01	303.43	246.12
लाभांश वितरण कर	21.87	14.99	13.76	19.53	15.77
बिक्री कर एवं वैट	26.75	23.72	21.85	28.37	22.55
रॉयल्टी एवं उपकर	39.78	36.38	33.10	43.50	34.69
उत्पाद शुल्क	7.91	7.91	6.10	5.34	2.93
म.प्र. रोड उपकर	17.81	17.17	15.59	24.52	18.48
कुल	374.99	314.01	294.41	424.69	340.54
उत्पादन					
मैंगनीज अयस्क (एमटी)	1134508	1138895	1070717	1150742	1093363
ईएमडी (एमटी)	923	786	714	805	1150
फेरो मैंगनीज (एमटी)	10042	9210	8694	9081	9555
पवन उर्जा मिलों से बिजली (केडब्लूएच)	33206045	37545155	33022835	31039998	33101066

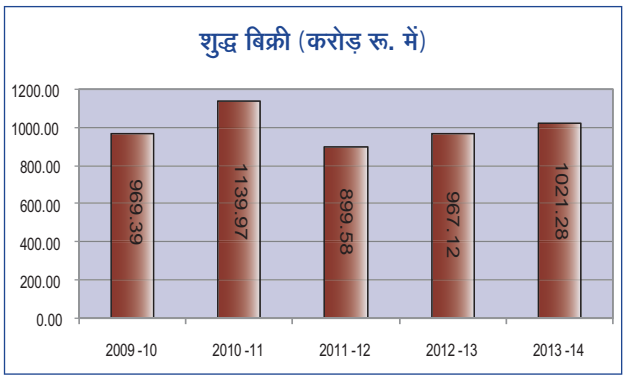
शुद्ध बिक्री (करोड़ रू. में)
1200.00
1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
969.39
1139.97
899.58
967.12
1021.28
2009 -10
2010 -11
2011 -12
2012 -13
2013 -14

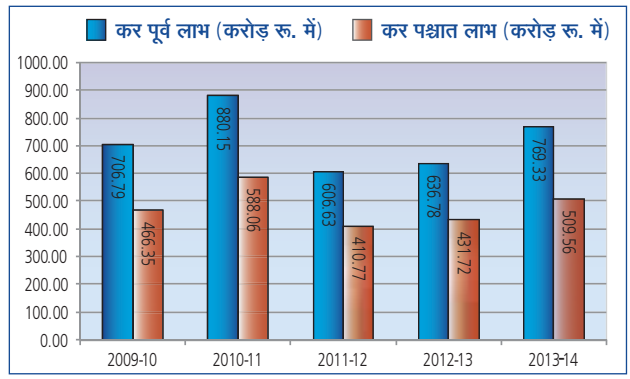
कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)
कर पश्चात लाभ (करोड़ रू. में)
1000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
706.79
466.35
880.15
588.06
606.63
410.77
636.78
431.72
769.33
509.56
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

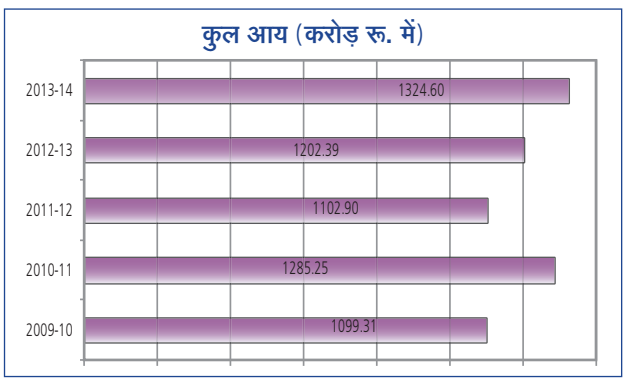
कुल आय (करोड़ रू. में)
2013-14
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
1324.60
1202.39
1102.90
1285.25
1099.31

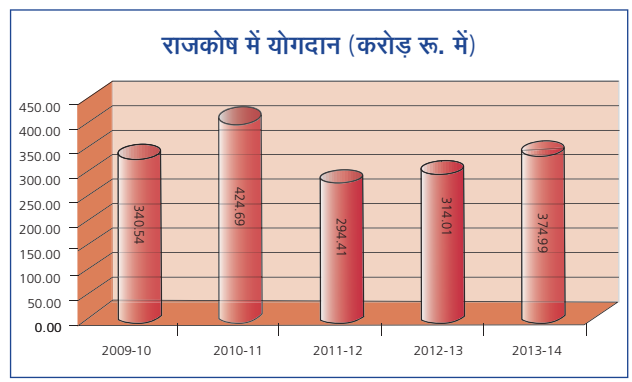
राजकोष में योगदान (करोड़ रू. में)
450.00
400.00
350.00
300.00
250.00
200.00
150.00
100.00
50.00
0.00
340.54
424.69
294.41
314.01
374.99
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

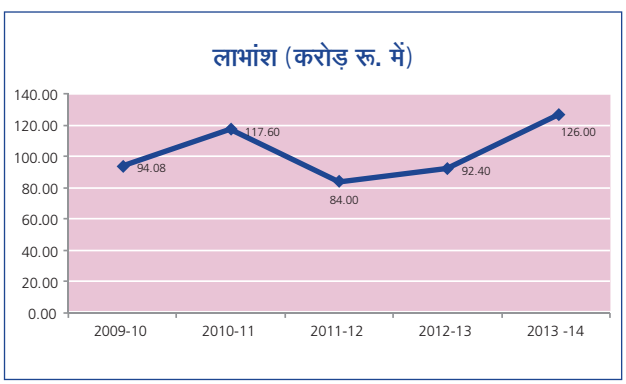
लाभांश (करोड़ रू. में)
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
94.08
117.60
84.00
92.40
126.00
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013 -14

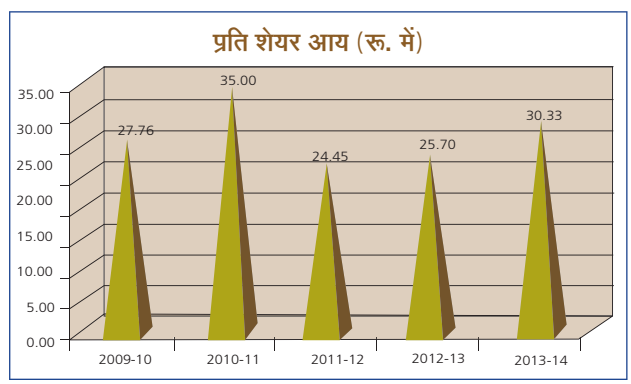
प्रति शेयर आय (रू. में)
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
27.76
35.00
24.45
25.70
30.33
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14

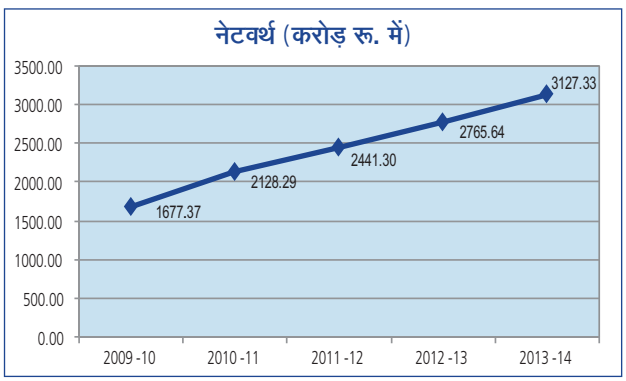
नेटवर्थ (करोड़ रू. में)
3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
1500.00
1000.00
500.00
0.00
1677.37
2128.29
2441.30
2765.64
3127.33
2009 -10
2010 -11
2011 -12
2012 -13
2013 -14

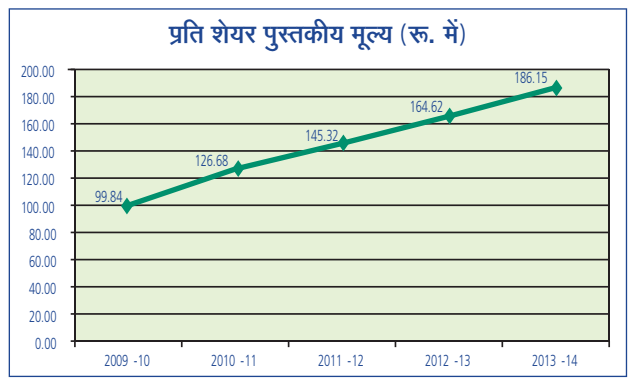
प्रति शेयर पुस्तकीय मूल्य (रू. में)
200.00
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
99.84
126.68
145.32
164.62
186.15
2009 -10
2010 -11
2011 -12
2012 -13
2013 -14

अध्यक्ष का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

52वीं वार्षिक सर्वसाधारण सभा के अवसर पर आपसे संवाद करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2013-14 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत गौरव एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है।

यह अत्यंत गर्व की बात है कि भारत सरकार ने आपकी कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए वर्ष के दौरान मॉयल को शेड्यूल "बी" से उन्नत करके शेड्यूल "ए" किया है। यह केवल कंपनी के सभी पणधारियों के सहयोग और कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों की वजह से संभव हो पाया है।

मैं इस कंपनी के सभी कर्मचारियों, पणधारियों, सहयोगियों और उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ जिन्होंने इस महत्वपूर्ण संगठन की सफलता में अपना योगदान दिया है।

वर्ष 2013-14 मॉयल के लिए एक उत्कृष्ट वर्ष रहा है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष के दौरान संपूर्ण अर्थव्यवस्था धीमी रही है क्योंकि जीडीपी विकास दर लगातार पांच प्रतिशत से नीचे रही है।

संपूर्ण वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की कीमतें अत्यधिक दबाव में थीं। इसके बावजूद आपकी कंपनी पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। अच्छी विपणन रणनीति और मूल्य निर्धारण नीति के साथ आपकी कंपनी गत वर्ष ₹ 7467 पीएमटी की तुलना में ₹ 8351 पीएमटी लगभग 12 प्रतिशत उच्च बिक्री प्राप्त करने में सक्षम रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क की उपलब्धता और आपूर्ति अब भी देश में मैंगनीज उद्योग के लिए एक बड़ा खतरा है।

आपकी कंपनी ने गत वर्ष के दौरान 11.39 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 11.35 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया है। विस्तारित मानसून के दौरान मध्य भारत भारी और अभूतपूर्व बारिश से बुरी तरह प्रभावित हो गया था, इसके बावजूद कंपनी उत्पादन का लगभग वही स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है।

कंपनी ने गत वर्ष ₹ 967.12 करोड़ के बिक्री कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 5.60 प्रतिशत ज्यादा अर्थात् ₹ 1021.28 करोड़ का बिक्री कारोबार दर्ज किया है। वर्ष के दौरान कंपनी के मुनाफे में भी सुधार हुआ है और ₹ 769.33 करोड़ का कर पूर्व लाभ और ₹ 509.56 करोड़ का कर पश्चात लाभ अर्जित किया है जो गत वर्ष क्रमशः ₹ 636.78 करोड़ और ₹ 431.72 करोड़ था।

मॉयल कई वर्षों से एक लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है और इस वर्ष भी कंपनी ने माह फरवरी 2014 में 40 प्रतिशत अर्थात् ₹ 4.00 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान पहले ही कर दिया है। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने आगे 35 प्रतिशत अर्थात् ₹ 3.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान करने की सिफारिश की है। इस प्रकार गत वर्ष ₹ 5.50 प्रति इक्विटी शेयर की तुलना में वर्ष 2013-14 का कुल लाभांश ₹ 7.50 प्रति इक्विटी शेयर निकाला गया है।

आपकी कंपनी सदैव निगमित अधिशासन के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इंटीग्रिटी पैक्ट का कार्यान्वयन, आचार संहिता का अंगीकरण तथा सुपरिभाषित आंतरिक नियंत्रण संरचना से कंपनी के व्यापार व्यवहार की पारदर्शिता में अतिरिक्त योगदान प्राप्त हुआ है। मॉयल में निगमित अधिशासन पर सरकारी दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग समझौते का अनुपालन किया जा रहा है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के लिए मंत्रालय में प्रक्रिया जारी है। निगमित अधिशासन अनुपालन पर एक रिपोर्ट को निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग बनाया गया है। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2012-13 के लिए निगमित अधिशासन के विभिन्न मानदंडों के अनुपालन हेतु आपकी कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने उत्कृष्ट रेटिंग दी है और वर्ष 2013-14 के लिए भी उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त करने की उम्मीद है।

राष्ट्र के एक अच्छे निगमित नागरिक होने के नाते आपकी कंपनी आंतरिक और बाह्य पणधारियों तथा समाज के आर्थिक विकास और उनके जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार के माध्यम से हमेशा समाज के जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए अपना सहयोग देने में सबसे आगे रही है। आपकी कंपनी ने अपने प्रचालन क्षेत्रों में तथा आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों तथा स्कूलों का निर्माण/मरम्मत, जलापूर्ति सुविधा, परिक्षेत्र विकास, खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधि, विकासकार्य इत्यादि अनेक निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के कार्यों को अपने हाथों में लिया है। कंपनी ने वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 10.36 करोड़ की राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों पर खर्च की है।

दुनिया की सबसे अच्छी खनन कंपनियों में से एक बनने के लिए और इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए और मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए आपकी कंपनी ने अपनी मौजूदा खदानों के विकास के लिए निवेश की योजना बनाई है और

इसके लिए विभिन्न परियोजनाओं को प्रस्तावित/प्रारंभ किया है जिसमें बालाघाट खदान में प्रोडक्शन शाफ्ट और होम्स का गहरीकरण, उकवा खदान में पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग और दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, चिखला खदान में वर्टिकल शाफ्ट का गहरीकरण और दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, मनसर खदान में पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग और दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग, गुमगांव खदान में पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग और दूसरी हाई स्पीड वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग शामिल है।

जैसा कि आप जानते है महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागपुर और भंडारा जिलों में 597.44 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लाइसेंस प्रदान करने को मंजूरी दी है और शेष क्षेत्रों के लिए उनके साथ प्रक्रिया जारी है। सब-सरफेस अयस्क बॉडी को स्थापित करने के लिए 5000 से अधिक स्टेशनों के मंजूर पूर्वेक्षण लाइसेंस के साथ ग्रेविटी-मैगनेटिक सर्वे करने का काम कंपनी को दिया गया है। अयस्क बॉडी स्थापित हो जाने के बाद कंपनी ड्रिलिंग के लिए आगे की कार्रवाई करेंगी। ऐसी उम्मीद है कि वर्तमान खदानों के कामकाज विस्तार के अलावा भविष्य में तीन नई खदानों को खोला जाएगा जिससे मॉयल के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का प्रदर्शन मुख्य रूप से इस्पात उद्योग के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कच्चे इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 214 कि.ग्रा. के वैश्विक औसत की तुलना में भारत की प्रति व्यक्ति खपत लगभग 60 कि.ग्रा. है। एक बार इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्योग में निवेश के अगले दौर में अर्थव्यवस्था के जाने पर भारत में इस्पात की मांग में काफी वृद्धि होगी।

दुनिया में वर्ष 2013 के दौरान कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और उत्पादन वर्ष 2012 के 1545 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2013 में 1582 मिलियन टन हो गया है, जबकि भारत में वर्ष 2013 के दौरान इस्पात का उत्पादन 4.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए 77.56 मिलियन टन से बढ़कर 81.21 मिलियन टन हो गया है। दुनिया में मैंगनीज के उत्पादन में 7.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कैलेण्डर वर्ष 2012 में लगभग 53.45 मिलियन टन से बढ़कर कैलेण्डर वर्ष 2013 में लगभग 57.705 मिलियन टन हो गया है जबकि भारत में उत्पादन 7.66 प्रतिशत तक गिर गया है और वर्ष 2012 में लगभग 2.22 मिलियन टन से वर्ष 2013 में लगभग 2.05 मिलियन टन हो गया है। मॉयल में, मैंगनीज अयस्क का उत्पादन गत वर्ष 11.39 लाख टन की तुलना में उसी स्तर पर 11.35 लाख टन रहा है।

वर्तमान में, आपकी कंपनी लगभग 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ देश में मैंगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक है। हालांकि, ऐसा देखा जाता है कि भारत में प्रति वर्ष 21.95 लाख टन तक उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। 12वीं योजना अवधि 2016-17 से घरेलू बाजार में 149 मिलियन टन इस्पात की अनुमानित मांग के साथ मॉयल के लिए उत्पादन में वृद्धि करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा अवसर होगा। मॉयल लगभग 73.5 मिलियन टन मैंगनीज अयस्क के भंडार और संसाधनों को धारित करती है, जिसमें से लगभग 44 प्रतिशत प्रमाणिक इस्पात है। भारत की इस्पात मांग में वृद्धि, उसकी प्रभावपूर्ण स्थिति, मध्यम से उच्च श्रेणी के भंडार, मध्य क्षेत्र में अवस्थित खदानें, कम उत्पादन लागत एवं ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध के कारण वह पूंजी बनाने की अच्छी स्थिति में है।

मुझे विश्वास है कि भारत सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास नीति से देश में इस्पात की मांग में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की मांग में भी वृद्धि होगी।

आपकी कंपनी देश के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में से एक है जिसे अपने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है तथा कंपनी ने वर्ष 2012-13 के लिए समझौता ज्ञापन पर उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त की है और इस्पात मंत्रालय में सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों अर्थात् सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल के बीच उच्चतम रेटिंग प्राप्त की है। कंपनी को अपनी गतिविधियों के लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रीय / क्षेत्रीय मान्यता मिल रही है। वर्ष के दौरान शेड्यूल "ए" कंपनी के रूप में उन्नयन, नेशनल क्वालिटी सर्किल पुरस्कार, निगमित अधिशासन उत्कृष्ट रेटिंग, कार्पोरेट उत्कृष्टता पुरस्कार, संयंत्रों का आईएसओ प्रमाणन, इत्यादि जैसे कुछ प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए है।

आपकी कंपनी देश के बाहर अच्छी खनन संपदा की खोज भी कर रही है तथा भारत और विश्व दोनों स्तर पर मुख्य रूप से मैंगनीज अयस्क और अन्य खनिजों के लिए संभावित निवेश अवसरों से संबंधित "रूचि-प्रकटन" आमंत्रित किए गए है। आपकी कंपनी सशक्त संचित निधि के साथ एक ऋण मुक्त कंपनी है जिसकी वजह से आने वाले समय में विभिन्न ब्राउन फील्ड के साथ-साथ ग्रीन फील्ड परियोजनाओं में भी उसे अवसर प्राप्त है।

मैं भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार, सम्मानित ग्राहक एवं कंपनी के बैंकर्स, आपूर्तिकर्ता और सभी मॉयलीयन्स द्वारा कंपनी के कार्य-निष्पादन में दिए गए अपरिमित योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करता हूँ जिसके बिना कंपनी को विकास की दिशा में ले जाना संभव नहीं हुआ होता। कंपनी को और अधिक उँचा उठाने एवं अंशधारकों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए मैं आगे भी उनके लगातार सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा करता हूँ।

जी. पी. कुंदरगी
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय अंशधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष की अंकेक्षण रिपोर्ट एवं अंकेक्षित लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है।

सर्वप्रथम, आपके निदेशकों को यह सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार ने आपकी कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए मॉयल को उन्नत करके शेड्यूल "बी" से शेड्यूल "ए" कंपनी का दर्जा दिया है। मॉयल को पूर्व में वर्ष 2002 में शेड्यूल "बी" का दर्जा दिया गया था। तब से कंपनी लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज कर रही है। यह पिछले दो दशकों से मुनाफा कमाने वाली कंपनी है और इसके पिछले उन्नयन से इसका सीएजीआर लगभग 20 प्रतिशत रहा है।

वित्तीय परिणाम

वर्ष 2013-14 तथा गत वर्ष के वित्तीय परिणाम नीचे दर्शाए अनुसार है :

₹ करोड़ में

विवरण	2013-14	2012-13
शुद्ध बिक्री	1021.28	967.12
अन्य आय	303.32	235.27
कुल आय	1324.60	1202.39
ब्याज, मूल्यहास और कर से पूर्व लाभ (ईबीआईडीटीए)	804.51	669.82
मूल्यहास	35.18	33.03
कर से पूर्व लाभ (पीबीटी)	769.33	636.78
घटाएं : कराधान के लिए प्रावधान	259.76	205.06
कर के पश्चात लाभ (पीएटी)	509.56	431.72

प्रमुख वित्तीय अनुपात

	2013-14	2012-13
बिक्री कारोबार का ईबीआईडीटीए (:)	78.77	69.26
शुद्ध मूल्य पर पीएटी (:)	16.29	15.61
औसत नियोजित पूंजी पर ईबीआईडीटीए (:)	27.80	26.10
प्रति शेयर आय (प्रत्यक्ष मूल्य ₹ 10/- प्रति)	30.33	25.70
प्रति शेयर बही खाता मूल्य	186.15	164.62

लाभांश

मॉयल पिछले कई वर्षों से लाभांश भुगतान करने वाली कंपनी है और इस परंपरा को जारी रखते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान 40 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 4 की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान फरवरी 2014 माह में किया गया है। वर्ष के लाभ को ध्यान में रखते हुए आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 35 प्रतिशत अर्थात् प्रति इक्विटी शेयर पर ₹ 3.50 की दर से अंतिम लाभांश भुगतान करने की सिफारिश की है। वर्ष 2013-14 के लिए कुल लाभांश प्रति इक्विटी शेयर ₹ 7.50 निकाला गया है जो पिछले वर्ष ₹ 5.50 था। इस प्रकार, वर्ष के लिए कुल लाभांश का भुगतान 75 प्रतिशत अर्थात् ₹ 126.00 करोड़ (पिछले वर्ष 55 प्रतिशत अर्थात् ₹ 92.40 करोड़) होता है।

श्री जी.पी. कुंदरगी, 51वीं साधारण सभा को संबोधित करते हुए

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 967.12 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1021.28 करोड़ की शुद्ध बिक्री (उत्पाद शुल्क छोड़कर) दर्ज की है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष के लिए कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) 20.82 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 769.33 करोड़ हो गया है। कंपनी ने गत वर्ष में ₹ 431.72 करोड़ की तुलना में 509.56 करोड़ कर के पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी ने अधिशेष निधियों को सावधि जमा योजना में नियोजित किया है तथा कुल ₹ 249.86 करोड़ (गत वर्ष ₹ 229.17 करोड़) का ब्याज प्राप्त किया है, जिसे अन्य आय के अंतर्गत रखा गया है। अन्य आय में कर्मचारी अनुलाभों के लिए पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए प्रावधानों के पुनरांकन के लिए ₹ 44.82 करोड़ भी शामिल है, जिसे अब आवश्यक नहीं माना गया है।

बिक्री

बोर्ड को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गत वर्ष ₹ 890.73 करोड़ की तुलना में 6.22 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी ने ₹ 946.16 करोड़ के मैंगनीज अयस्क की शुद्ध बिक्री की है। गत वर्ष 11.93 लाख टन मैंगनीज अयस्क की तुलना में वर्ष 2013-14 में कंपनी ने 11.33 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की है। इस प्रकार, यद्यपि गत वर्ष की तुलना में बिक्री की मात्रा में 5.02 प्रतिशत की गिरावट आयी है, लेकिन कंपनी बिक्री कारोबार में 6.22 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करने में कामयाब रही है, जो कि इसकी विवेकपूर्ण विपणन नीति और बेहतर उत्पाद मिश्रण का परिणाम है, जो अधिक बिक्री प्राप्तियों में परिणत हुआ।

कंपनी के विनिर्मित उत्पादों अर्थात् फेरो मैंगनीज, ईएमडी, फेरो मैंगनीज स्लैग के संबंध में गत वर्ष के दौरान ₹ 67.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान शुद्ध बिक्री ₹ 66.61 करोड़ रही। इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) की बिक्री गत वर्ष 1014 टन की तुलना में इस वर्ष 893 टन रही, जबकि फेरो मैंगनीज की बिक्री गत वर्ष के दौरान 10080 टन की तुलना में इस वर्ष 8,707 टन रही।

उत्पादन एवं उत्पादकता

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 11.39 लाख टन उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान मैंगनीज अयस्क की विभिन्न श्रेणियों का 11.35 लाख टन उत्पादन किया है। विस्तारित मानसून के दौरान भारी और अभूतपूर्व बारिश के बावजूद कंपनी उत्पादन का वही स्तर बनाए रखने में सक्षम रही है। कंपनी का प्रति मानव पाली आउटपुट 0.805 टन (गत वर्ष 0.798 टन) रहा है। वर्ष 2013-14 के दौरान इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के उत्पादन में 17.43 प्रतिशत वृद्धि हुई और उत्पादन 786 टन से बढ़कर 923 टन हुआ। फेरो मैंगनीज के उत्पादन में भी वृद्धि हुई और उत्पादन 9210 टन से बढ़कर 10042 टन हुआ, अर्थात् गत वर्ष से 9.03 प्रतिशत अधिक है।

मॉयल खान में एस.डी.एल की संस्थापना

बंद भंडार

पिछले वर्ष 31.03.2013 को ₹ 30.72 करोड़ मूल्य के 0.76 लाख टन बंद भंडार की तुलना में 31.03.2014 को ₹ 20.63 करोड़ मूल्य का 0.48 लाख टन मैंगनीज अयस्क का बंद भंडार कंपनी के पास है। कंपनी के पास पिछले वर्ष 31.03.2013 को ₹ 5.50 करोड़ मूल्य के 1208 टन फेरो मैंगनीज के बंद भंडार की तुलना में 31.03.2014 को ₹ 8.47 करोड़ मूल्य का 2543 टन फेरो मैंगनीज का बंद भंडार है। 31.03.2014 को ईएमडी का बंद भंडार 101 टन (गत वर्ष 71 टन) था जिसका मूल्य ₹ 0.91 करोड़ (गत वर्ष ₹ 0.58 करोड़) था।

पूंजी / मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाएं

इस्पात उद्योग में मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने के लिए और हमारे देश में मैंगनीज उद्योग के बाजार में अग्रणी बने रहने के लिए मैंगनीज अयस्क के उत्पादन को बढ़ाकर लगभग 1.1 मिलियन टन के वर्तमान स्तर से 2020-21 तक 2.0 मिलियन टन तक करना आवश्यक है। इस दिशा में आपकी कंपनी ने मौजूदा खदानों के विकास, देश के भीतर और बाहर नई खदानों के अधिग्रहण, खदानों के आस-पास के क्षेत्रों का अधिग्रहण, मूल्यवर्धन / विविधीकरण परियोजनाओं इत्यादि की स्थापना के लिए निवेश की योजना बनाई है।

❖ **खदान विस्तारीकरण परियोजना :**

मॉयल अपनी प्रत्याशित खदानों से उत्पादन की वृद्धि करने के लिए विभिन्न खदान विस्तारीकरण परियोजनाओं को शुरू किया है। कुछ परियोजनाएं पहले ही पूर्ण हो चुकी है और कुछ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, जो इस प्रकार है :

बालाघाट खदान :

बालाघाट खदान 48 प्रतिशत मैंगनीज तत्व के साथ उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है। वर्तमान में इस खदान में सतह से 750 मीटर की गहराई तक विभिन्न श्रेणी के लगभग 24.2 मिलियन टन अयस्क के भंडार उपलब्ध है। उत्पादन में वृद्धि के लिए इस खदान का सर्वाधिक योगदान होगा। मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू किया गया है :

- **प्रोडक्शन शाफ्ट का 10वें लेवल (240 मीटर) से 15वें लेवल (390 मीटर) तक गहरीकरण :**

  उत्पादन में कतिपय वृद्धि के साथ वर्तमान उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए यह परियोजना ₹ 8.00 करोड़ की लागत से वर्ष 2011 में पूर्ण हो गई है।

- **होम्स शाफ्ट का 12वें लेवल (300 मीटर) से 16 1/2 वें लेवल (435 मीटर) तक गहरीकरण :**

  होम्स शाफ्ट के गहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और ₹ 28.00 करोड़ की अनुमानित लागत से वर्ष 2016-17 तक पूरा होना निर्धारित है।

बालाघाट खदान में संस्थापित अंड़रग्राऊंड सिंगल बूमर क्रालर ड्रिलिंग मशीन

- **हाई स्पीड शाफ्ट**

  कंपनी ने बालाघाट खदान में गहरे स्तरों पर समानांतर खनन और विकास के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए योजना बनाई है। यह परियोजना विचाराधीन है और इसे आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद शुरू किया जाएगा।

उकवा खदान :

यह खदान 36 प्रतिशत मैंगनीज तत्व के साथ और उच्च फास्फोरस (0.2 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत) के साथ फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है। इस खदान में वर्तमान में विभिन्न श्रेणी के लगभग 8.8 मिलियन टन अयस्क के भंडार उपलब्ध है। मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू किया गया है :

- **पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 4.5 मीटर व्यास और 134 मीटर गहराई**

  हेड गियर और विंडर इत्यादि के साथ वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग का कार्य लगभग ₹ 18.50 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। शाफ्ट सिंकिंग का कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2014-15 में पूर्ण होना निर्धारित है।

- **दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 5.5 मीटर व्यास और 335 मीटर गहराई**

  लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए बड़े क्षेत्र में भूमिगत काम को विस्तारित करने की आवश्यकता है। अतः दूसरी शाफ्ट की सिंकिंग प्रस्तावित है। शाफ्ट के डिजाइन का काम पूरा हो गया है और आंकलनों की जाँच/पुनरीक्षण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना को वर्ष 2017-18 में ₹ 18.50 करोड़ की अनुमानित लागत से पूरा करने की योजना है।

चिखला खदान :

यह खदान भी 36 प्रतिशत मैंगनीज तत्व के साथ फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है। वर्तमान में इस खदान में सतह से 200 मीटर की गहराई तक विभिन्न श्रेणी के लगभग 4.22 मिलियन टन अयस्क भंडार उपलब्ध है। मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं को शुरू किया गया है :

- **वर्टिकल शाफ्ट का गहरीकरण -270' लेवल (109 मीटर) से -470' लेवल (169 मीटर)**

  मौजूदा उत्पादन को बनाए रखने के लिए 109 मीटर गहराई से 169 मीटर तक नये उत्पादन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए मौजूदा वर्टिकल शाफ्ट के गहरीकरण की आवश्यकता है। यह कार्य ₹ 9.50 करोड़ की अनुमानित लागत पर शुरू किया गया है। शाफ्ट के गहरीकरण का कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2015-16 में पूरा होना निर्धारित है।

- **दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 4.5 मीटर व्यास और 160 मीटर गहराई**

  उत्पादन में वृद्धि को प्राप्त करने के लिए ₹ 48.70 करोड़ की अनुमानित लागत से दूसरी वर्टिकल शाफ्ट के सिंकिंग की योजना है। यह कार्य निविदा के चरण में है। शाफ्ट सिंकिंग का कार्य वर्ष 2017-18 तक पूरा करने की योजना है।

मनसर खदान :

यह खदान 36 प्रतिशत मैंगनीज तत्व के साथ फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है। इस खदान में वर्तमान में सतह से 190 मीटर गहराई तक विभिन्न श्रेणी के लगभग 4.43 मिलियन टन अयस्क के भंडार उपलब्ध है। इस खदान के उत्पादन को 2020-21 तक मौजूदा स्तर 0.55 लाख टन से बढ़ाकर 1.25 लाख टन करने का लक्ष्य रखा गया है। मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और लक्षित उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित विस्तारण परियोजनाओं को शुरू किया गया है :

मॉयल मनसर खान पर वर्टिकल शाफ्ट

- **पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 4.5 मीटर व्यास और 156 मीटर गहराई**

  1.6 कि.मी. की स्ट्राइक लंबाई से अयस्क का दोहन करने के लिए मुख्य अयस्क तत्व के प्रमुख भाग में हेड गियर और विंडर के साथ ₹ 26.00 करोड़ की अनुमानित लागत पर वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना वर्ष 2014-15 तक पूरा करने की योजना है।

- **दूसरी वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 4.5 मीटर व्यास और 160 मीटर गहराई**

  लक्षित उत्पादन को प्राप्त करने के लिए भूमिगत खदान के क्षेत्र में कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः दूसरी वर्टिकल शाफ्ट स्थापित करने की योजना है। यह शाफ्ट आकार में गोल होगी और कुल 160 मीटर गहराई के साथ 4.5 मीटर व्यास की होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 51.32 करोड़ है। डिजाइन कार्य पूर्ण हो गया है और यह परियोजना 2017-18 तक पूरा करने की योजना है।

गुमगांव खदान :

यह खदान भी 42 प्रतिशत मैंगनीज तत्व के साथ उच्च ग्रेड मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है। इस खदान में वर्तमान में सतह से 310 मीटर गहराई तक विभिन्न श्रेणी के लगभग 4.34 मिलियन टन अयस्क के भंडार उपलब्ध है। मौजूदा उत्पादन स्तर को बनाए रखने के लिए और उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित खदान विस्तारण परियोजनाओं को शुरू किया गया है :

- **पहली वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 4.5 मीटर व्यास और 190 मीटर गहराई**

  उपर्युक्त वर्णित मैंगनीज अयस्क की गुणवत्ता और भंडार की उपलब्ध मात्रा को देखते हुए अयस्क का दोहन तेज गति से करना आवश्यक महसूस किया गया। इसके लिए इस खदान में हेड गियर, विंडर, सबस्टेशन, क्रशिंग और स्क्रीनिंग संयंत्र इत्यादि के साथ सतह से 190 मीटर गहराई तक वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग का कार्य लगभग ₹ 18 करोड़ की लागत से शुरू किया गया था और यह परियोजना पहले ही वर्ष 2012 में पूर्ण हो चुकी है। यह परियोजना मौजूदा उत्पादन को बनाए रखने और उसमें कतिपय वृद्धि के लिए शुरू की गई है।

गुमगांव खान पर वर्टिकल शाफ्ट

- **दूसरी तेज गति के वर्टिकल शाफ्ट की सिंकिंग 6.5 मीटर व्यास और 350 मीटर गहराई**

  खदान के पश्चिमी हिस्से में सतह से 210 मीटर के निचले स्तर पर बड़ी मात्रा में अयस्क है। इस अयस्क क्षेत्र के अयस्क तत्व की मोटाई बहुत अच्छी 40-50 मीटर तक मोटी है। अतः अयस्क तत्व के पश्चिमी हिस्से में वर्टिकल शाफ्ट को सिंक करना आवश्यक महसूस किया गया। इस परियोजना की अनुमानित लागत ₹ 150.00 करोड़ है। इस शाफ्ट के डिजाइन का कार्य प्रगति पर है और शाफ्ट सिंकिंग का यह कार्य वर्ष 2018 तक पूरा करने की योजना है।

❖ अतिरिक्त पट्टे

महाराष्ट्र सरकार ने मॉयल को महाराष्ट्र राज्य में 597.44 हेक्टेयर मैंगनीज धारित भूमि के लिए प्रास्पेक्टिंग लायसेंस (पी.एल.) प्रदान किया है। मौजूदा खदानों के कार्य विस्तारण के अलावा भविष्य में तीन नई खदानों के प्रारंभ होने की उम्मीद है जिससे मॉयल के उत्पादन में भारी वृद्धि होगी।

❖ देश के भीतर और बाहर खदानों का अधिग्रहण

मॉयल ने देश के भीतर और बाहर मैंगनीज और अन्य धातु खनिजों को अर्जित करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। इसके लिए मॉयल ने ऐसे प्रत्याशित मालिकों से जो अपनी खनन परिसंपत्तियों को बेचने के लिए तैयार है उनसे प्रस्ताव आमंत्रित करने के लिए एक रूचि-प्रकटन (ईओआई) प्रकाशित किया है। मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क और क्रोम अयस्क परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के प्रस्तावों की जरूरत पड़ने पर संवीक्षा की जा रही है। कंपनी ने इसके लिए पहले ही प्रतिष्ठित सलाहकारों को पैनल में शामिल कर लिया है।

❖ मूल्यवर्धित परियोजनाएं

सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉयज प्रा. लि. :

मॉयल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में भिलाई के निकट नंदिनी में 31,000 टन फेरो मैंगनीज एवं 75,000 टन सिलिको मैंगनीज के साथ 1.06 लाख टीपीए क्षमता का फेरो अलॉय संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम (50:50) है।

उसी तरह आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरएनआईएल) के साथ आंध्रप्रदेश के विजयनगरम जिले के बोब्बिली में 20,000 टन फेरो मैंगनीज एवं 37,000 टन सिलिको मैंगनीज के साथ 57,000 टीपीए क्षमता का फेरो अलॉय संयंत्र स्थापित करने के लिए एक अन्य संयुक्त उद्यम (50:50) है।

सेल और आरआईएनएल के फेरो अलॉय की संशोधित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने का कार्य जारी है। इन रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने पर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

- **पवन उर्जा उत्पादन**

  मॉयल के 4.8 मेगावाट और 15.2 मेगावाट क्षमता के दो पवन उर्जा फार्म है जो इन्दौर के निकट देवास जिले में क्रमशः नागदा पहाड़ी और रेटाडी पहाड़ी पर स्थित है। 4.8 मेगावाट पवन फार्म से बालाघाट खदान को उर्जा दी जा रही है और खदान के साथ ही कंपनी के फेरो मैंगनीज संयंत्र में भी उपभोग की जा रही है। 15.2 मेगावाट पवन फार्म से उत्पादित उर्जा को मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बिक्री किया जा रहा है।

अनुसंधान एवं विकास :

बालाघाट खान में, आई.एम.बी प्लान्ट के पिकिंग बेल्ट पर काम

मॉयल मैंगनीज अयस्क और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों के अन्वेषण, दोहन, बेनिफिशिएशन और मार्केटिंग में कार्यरत है। वह भूमिगत और ओपनकास्ट खदानों को संचालित करता है। मैंगनीज भंडार विभिन्न कठिन भू-खनन अवस्थाओं के साथ आम तौर पर खराब से लेकर अच्छी चट्टान स्थितियों में होते है। कंपनी पिट मायनिंग नियोजित करके मैंगनीज अयस्क की सेकेण्डरी रिकवरी के लिए पुराने मैंगनीज के डम्प पर भी काम कर रही है। वह डोंगरी बजुर्ग और बालाघाट खदान में स्थित प्रोसेसिंग प्लांट से क्रमशः इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) और फेरो मैंगनीज अलॉय का भी उत्पादन करती है।

खनन उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए खनिज भंडारों/संसाधनों का प्रभावशाली ढंग से अन्वेषण और दोहन करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ आवश्यक है। अतः अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के महत्वपूर्ण क्षेत्र भूमिगत और ओपनकास्ट खदानों की गहराई को बढ़ाने के साथ सुरक्षित और लागत प्रभावी खनन कार्यों की चुनौतियों का सामना करने की दिशा में निर्देशित कर रहे है। इन मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए मॉयल ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अनुसंधान एवं विकास कार्यों के लिए चयन किया है :

- गुमगांव खदान में इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, खड़गपुर द्वारा भूमिगत काम करने की स्थिति में सुधार लाने के लिए वेंटिलेशन के पुनर्गठन का अध्ययन किया गया। इससे भूमिगत वेंटिलेशन में सुधार के लिए मदद मिली है और परिणामस्वरूप सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार हुआ है।
- इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आईआईटी), खड़गपुर बालाघाट खदान में एक बूमर के लिए सुरक्षित ब्लास्ट कार्यों का डिजाइन बनाने में लगी है। खदान में मशीन प्राप्त कर ली गई है। इससे बालाघाट खदान में भूमिगत हेडिंग्स के विकास, स्टोप उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार हुआ है।
- कर्मचारियों को भूमिगत स्थिति में उचित हवा मिलने के लिए इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद द्वारा गहरे स्तर पर खनन के लिए वेंटिलेशन के पुनर्गठन का अध्ययन किया गया। इससे भूमिगत वेंटिलेशन और उत्पादकता में सुधार हुआ है।
- राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद महाराष्ट्र राज्य में प्रास्पेक्टिंग लायसेंस क्षेत्रों में मैंगनीज अयस्क भंडारों/संसाधनों के उच्च गति से अन्वेषण के लिए ग्रेविटी और मैगनेटिक पद्धति से भूभौतिकीय पूर्वेक्षण में लगा हुआ है।
- मैंगनीज अयस्क के गहरे अन्वेषण के लिए कंपनी की सभी खदानों में व्यापक कोर ड्रिलिंग की जा रही है। यह भविष्य में दोहन के लिए मैंगनीज अयस्क के भंडारों/संसाधनों की अतिरिक्त मात्रा उत्पन्न कर रहा है।
- इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद द्वारा उकवा खदान में यंत्रीकृत स्टोपिंग संचालन और सपोर्ट सिस्टम के विकास के लिए अध्ययन जारी है।
- बेहतर सुरक्षा के लिए डोंगरी बुजुर्ग खदान में नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, राउरकेला द्वारा रॉक मैकेनिक्स उपकरणों से निगरानी और स्लोप में स्थिरता के लिए अनुसंधान एवं विकास जारी है।
- भरण सामग्री के रूप में रेती के वैकल्पिक स्रोत के लिए प्रायोगिक आधार पर उकवा खदान में कन्सॉलिडेटेड हाइड्रोलिक स्टोइंग के लिए भरण सामग्री के रू प में नीचे की राख का इस्तेमाल करने के लिए तकनीकी विभाग द्वारा आंतरिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया गया है।

एएनएफओ में डीजल के वैकल्पिक ईंधन के लिए सीआईएमएफआर, धनबाद के साथ डोंगरी बुजुर्ग खदान में ब्लास्टिंग का अध्ययन किया गया।

- बालाघाट खदान में रॉक मैकेनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन 12वें स्तर से नीचे अंतराल स्तर को 30 मी. से 45 मी. तक बढ़ा दिया गया है और सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च (सीआईएमएफआर), नागपुर के सहयोग से स्ट्रैन बार की मदद से भूमिगत कामकाज की सुरक्षा के लिए डेटा मॉनिटरिंग की जा रही है।
- विश्वेश्वरैय्या नैशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीएनआईटी), नागपुर के साथ भूमिगत खनन प्रचालन के लिए कन्सॉलिडेटेड हाईड्रोलिक स्टोइंग प्रचालन के लिए ओवरबर्डन सामग्री के उपयोग पर एक सहयोगात्मक अनुसंधान अध्ययन जारी है। आगे के अध्ययन के लिए वीएनआईटी परिसर में पायलट हाईड्रोलिक स्टोइंग प्लांट स्थापित किया गया है। इससे कंपनी की भूमिगत खदानों में भरण प्रयोजन से रेती की खपत को कम करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप भविष्य में रेती की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- बेहतर सुरक्षा और उत्पादकता के लिए सेन्ट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ माइनिंग एण्ड फ्योल रिसर्च (सीआईएमएफआर), नागपुर द्वारा कान्द्री खदान में भूमिगत खनन प्रचालनों में स्टोप डिजाइन के लिए हाइड्रो-जियोलॉजिकल अध्ययन किया जा रहा है।

- सीआईएमएफआर और वीएनआईटी, नागपुर द्वारा बेलडोंगरी, तिरोड़ी और मनसर खदानों में जमीन कंपन को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षित ब्लास्ट डिजाइन के लिए ब्लास्टिंग अध्ययन किया गया।
- सीआईएमएफआर, नागपुर द्वारा स्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए इनसीटू स्ट्रेस आकलन के साथ बालाघाट खदान में सतह से 650 मीटर तक चट्टानों की भू-भौतिकीय और यांत्रिक संपदाओं की जांच की गई।
- डोंगरी बुजुर्ग खदान में बिल्ट इन डस्ट कलेक्टर के साथ आधुनिक पर्यावरण अनुकूल हाइड्रो स्टेटिक ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन प्रस्तुत की गई है।
- ऊर्जा संरक्षण की राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में बालाघाट खदान में आधुनिक ऊर्जा बचत उपकरणों के साथ 4000 सीएफएम एअर कम्प्रेशर स्थापित किया गया।
- उत्पादकता में वृद्धि के लिए आरओएम की यांत्रिक हैंडलिंग और विकास के लिए भूमिगत खदानों में साइड डिस्चार्ज लोडर्स (एसडीएल) और लोड हाउल एण्ड डम्प (एलएचडी) मशीनों को प्रस्तुत किया गया है।

डोंगरीबुजुर्ग खान में अत्याधुनिक पर्यावरण अनुकूल हायड्रो-स्टेटिक ड्रिल मशीन

उर्जा संरक्षण :

आपकी कंपनी उर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों को अपना रही है जिसमें मौजूदा उपकरणों की क्षमता में सुधार लाने के परंपरागत उपायों के साथ-साथ राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण नीति के अनुसरण में नई तकनीक को लागू करना भी शामिल है।

ऊर्जा खपत में कमी के लिए किए गए उपाय और इस संबंध में भविष्य की योजनाएं

1. सीमित ऊर्जा प्रयोग के लिए मॉयल ने मध्यप्रदेश के देवास जिले में नागदा पर्वतमाला पर 4.8 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है और इसे माह जून 2006 में ग्रिड से जोड़ा गया है। तब से उत्पन्न ऊर्जा को मॉयल की बालाघाट खदान के साथ ही फेरो मैंगनीज प्लांट के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसकी स्थापना के बाद से मार्च 2014 तक 72.35 मिलियन केडब्लूएच उर्जा उत्पन्न की गई है। यह ऊर्जा का संरक्षण करता है और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की दिशा में एक कदम है। स्थापना के बाद से इस पवन ऊर्जा फार्म ने वातावरण में लगभग 65,115 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बचाया है।

2. जनोपयोगी सेवा हेतु बिक्री के लिए मध्यप्रदेश के देवास जिले में रेटाड़ी पर्वतमाला पर एक अन्य 15.2 मेगावाट का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है और इसे चरणों में माह जून 2008 में ग्रिड से जोड़ा गया है। इस पवन ऊर्जा फार्म से उत्पन्न ऊर्जा को मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बिक्री की जा रही है। इसकी स्थापना के बाद से मार्च 2014 तक 144.75 मिलियन केडब्लूएच ऊर्जा उत्पन्न की गई है। यह ऊर्जा का संरक्षण भी करता है और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए गैर-परंपरागत ऊर्जा के स्रोत की दिशा में एक कदम है। स्थापना के बाद से इस पवन ऊर्जा फार्म ने वातावरण में लगभग 130,375 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को बचाया है।

3. कंपनी ने बालाघाट में पारंपरिक प्रकार के स्क्रू एयर कम्प्रेसर के स्थान पर 11 केवी वोल्टेज सप्लाय पर प्रचालित होने वाले दो अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित 4000 सीएफएम क्षमता के सेन्ट्रिफ्यूगल एयर कम्प्रेशर को स्थापित किया है। उच्च ऑपरेटिंग वोल्टेज के कम नुकसान के साथ ही संपीड़ित हवा के कम तापमान के कारण ऊर्जा में बचत हुई है। पारंपरिक स्क्रू एयर कम्प्रेशर प्रचालन से लगभग 7.50 प्रतिशत तक ऊर्जा में बचत हुई है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान लगभग 0.305 मिलियन केडब्लूएच की बचत हुई है और परिणामस्वरूप मार्च 2014 तक वातावरण में लगभग 274.80 टन कार्बन डाइऑक्साइड (co2) के उत्सर्जन को बचाया है।

4. हाल ही में, कंपनी ने नवीनतम तकनीक पर आधारित पूरी तरह स्वचालन शुरू करके बालाघाट खदान के समग्र भूमिगत वेंटिलेशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए खदान के उत्तरी छोर पर स्थापित वेंटिलेशन फैन की क्षमता में 120 एचपी से 350 एचपी का इजाफा किया है। स्वचालन में एससीएडीए सिस्टम के साथ पीएलसी और वीएफडी का संयोजन शामिल है। इसके परिणामस्वरूप खदान के भूमिगत वेंटिलेशन में उल्लेखनीय सुधार के साथ विद्युत ऊर्जा का इष्टतम उपयोग होगा। वेंटिलेशन फैन की ऊर्जा खपत में संरक्षित बचत स्वचालन के कारण लगभग 5 प्रतिशत तक की जाएगी।

5. कंपनी की खदानों और संयंत्रों के लिए उत्पादन की प्रति टन बिजली खपत इस प्रकार है:

क्र.	केडब्लूएच खपत प्रति टन	केडब्लूएच खपत पीएमटी	
		वर्ष 2013-14	वर्ष 2012-13
1.	**मैंगनीज अयस्क**	**21.11**	18.75
2.	**ईएमडी**	**2900.72**	2889.00
3.	**फेरो मैंगनीज**	**2986.86**	3132.00

सभी प्रयासों के बावजूद चूंकि कंपनी की खदानों की गहराई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है तद्नुसार खपत बढ़ती प्रवृत्ति पर है।

खनन पट्टा और अन्वेषण

31 मार्च, 2014 को मॉयल के पास कुल 1829.851 हेक्टर खनन पट्टा क्षेत्र है जिसमें से 700.066 हेक्टर भूमि महाराष्ट्र राज्य में तथा 1129.785 हेक्टर भूमि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और भंडारा जिले में मैंगनीज के प्रास्पैक्टिंग के लिए केन्द्र सरकार के अनुसार मॉयल के लिए 814.71 हेक्टर क्षेत्र आरक्षित कर रखा है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने 814.71 हेक्टर के इस आरक्षित क्षेत्र में से 597.44 हेक्टर क्षेत्र में मैंगनीज के प्रास्पैक्टिंग के लिए अनुमति प्रदान की है और शेष क्षेत्रों की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद मंजूर प्रास्पैक्टिंग लाइसेंस क्षेत्रों में 5000 स्टेशनों के साथ ग्रैविटी-मैगनेटिक सर्वेक्षण कर रहा है।

मॉयल में अतिरिक्त संसाधनों / नये भंडारों को प्रमाणित करना अन्वेषण का काम होता है। हाल ही में प्रास्पैक्टिंग लाइसेंस के अंतर्गत अधिग्रहित 5.36 हेक्टर क्षेत्र में गड्ढा करके मैंगनीज के एक नये भंडार का पता लगा। यह क्षेत्र मौदा तहसील के नंदपुरी गांव में स्थित है। भंडार प्रमाणित करने के लिए ड्रिलिंग द्वारा अन्वेषण गतिविधियाँ की जा रही है। कंपनी के पुराने सातुक भंडार के जैसे ही नये भंडार भी है। अतः पुराने सातुक भंडार की तरह गहराई और गुणवत्ता मिलने की उम्मीद है। मौजूदा खनन पट्टा क्षेत्रों में वर्तमान अन्वेषण ने मॉयल के खनन पट्टा क्षेत्र के कान्द्री में 350 मीटर, उकवा में 400 मीटर और गुमगांव में 300 मीटर की गहराई तक खनिज सुनिश्चितता को प्रमाणित किया है।

उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)

मॉयल में ईआरपी कार्यान्वयन सूचना के आधार पर निर्णय लेने के लिए सक्षम करने की सभी व्यावसायिक प्रक्रियाओं के सहज एकीकरण की परिकल्पना करता है, जो सभी स्तरों पर दर्शनीय और पारदर्शी है। एकल संव्यवहार आधार के साथ जिसे अद्यतन साझा किया जाता है और संपूर्ण संगठन द्वारा तैयार किया जाता है, व्यावसायिक कार्यों के सभी मास्टर डेटा का मानकीकरण प्राप्त कर लिए जाने की उम्मीद है। प्रक्रियाओं को विस्तार से सूचीबद्ध और अभिलेखित किया गया है। ईआरपी के लिए आरएफपी पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति के साथ ही कोर कमेटी का गठन कर दिया गया है। सिस्टम इंटीग्रेटर (एसआई) और ईआरपी उत्पाद का चयन वर्ष 2014-15 तक पूर्ण करने की योजना है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू होने की उम्मीद है।

सुरक्षा एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य

श्री जी.पी. कुंदरगी, सी.एम.डी., मॉयल, खदानों में सुरक्षा विषय पर त्रिपक्षीय कमेटी को संबोधित करते हुए

आपकी कंपनी खदानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर विशेष जोर देती है तथा अत्याधुनिक खनन तकनीक एवं खनन प्रचालन में यांत्रिकीकरण का समावेश करके सुरक्षा उपकरणों के मानकों में लगातार सुधार लाकर दुर्घटनाओं में कमी लाने का सतत प्रयास भी करती है। खदानों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाये गये है :

- सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं पुर्नप्रशिक्षण देना।
- दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए खदानों पर सुरक्षा समितियों की सभा नियमित तौर पर आयोजित की जाती है जिसमें सतर्कतापूर्वक दुर्घटना का विश्लेषण किया जाता है।
- दुर्घटनाओं की अधिक से अधिक रोकथाम के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ गहन वार्तालाप किया जाता है।

- विशेष प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक कर्मचारी को नियमित रूप से व्यावसायिक और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- सुरक्षा और पर्यावरण विभाग ने निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है :

अनुमोदित विस्फोंटको एवं डिटोनेटर्स के मानको एवं परीक्षण पद्धति पर कार्यशाला

ए) खदानों में सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्थायी विकास का महत्व

बी) खदानों में आपदा प्रबंधन

सी) खदानों में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा

डी) वर्ष 2008 और 2009 के लिए चिखला खदान और डोंगरी बुजुर्ग खदान को क्रमशः अधिकतम दुर्घटनारहित अवधि और न्यूनतम दुर्घटना आवृति दर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।

ई) मॉयल को गुमगांव और मनसर खदानों के लिए ओएचएसएएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया है इसके अलावा डोंगरी बुजुर्ग और बालाघाट खदानों के लिए पुनर्प्रमाणीकरण भी जारी हो गया है। इस प्रकार अब तक कुल छह खदानों को ओएचएसएएस प्रमाणीकरण प्राप्त हो गया है।

पर्यावरण संरक्षण

आज के युग में इकोलॉजी संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। समुदाय के विकास की प्रक्रिया में उसके पर्यावरण के अनुकूल रहने के साथ-साथ उस समुदाय की विशिष्ट संस्कृति के अनुकूल रहना भी जरूरी होता है। आपकी कंपनी ने स्थायी विकास को प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए है। कंपनी अपने पट्टा धारित क्षेत्रों एवं उसके आस-पास के क्षेत्रों में पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरह सजग हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी की विभिन्न खदानों में करीब 65,000 पौधों का रोपण किया गया। अब तक कुल पौधों का रोपण 18.13 लाख हो चुका हैं। कंपनी ने सूखी/बंजर जमीन और अपशिष्ट की जगह पर जेटरोपा के पौधों का रोपण करने का काम हाथों में लिया है, जिसके बीजों का उपयोग परीक्षण आधार पर जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाएगा। पर्यावरण-मित्र उद्योग के तौर पर कंपनी ने 20 मेगावाट क्षमता का पवन उर्जा फार्म स्थापित किया है, जिसमें से उत्पन्न 4.8 मेगावाट बिजली की खपत कंपनी में की जाती है तथा पवन उर्जा फार्म से उत्पन्न 15.2 मेगावाट बिजली एमपीईडीसीएल को बेच दिया जाता है। रेती घाटों सहित सभी यूनिटों को पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरण मंजूरी मिल गई है।

सतर्कता

मॉयल के सतर्कता विभाग के कामकाज में निवारक के साथ-साथ दण्डात्मक सतर्कता शामिल है और संगठन की प्रणाली में सुधार लाने पर विशेष ध्यान है। वर्ष 2013-14 के दौरान सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं :

महत्वपूर्ण योगदान

1) सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2013 का आयोजन

मॉयल ने दिनांक 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर 2013 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन श्री संजय सक्सेना, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर ने किया। इस अवसर पर श्री गिरीश भटनागर, महानिदेशक, इंडियन रेलवे इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एण्ड मटेरियल मैनेजमेंट (आईआरआईएलएमएम), नई दिल्ली भी उपस्थित थे। जागरूकता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की गई :

I. सतर्कता पत्रिका ''शुचिता'' के द्वितीय वार्षिक अंक का विमोचन

सतर्कता विभाग ने सतर्कता पत्रिका "शुचिता" के द्वितीय वार्षिक अंक को तैयार किया, जिसका विमोचन श्री संजय सक्सेना, आईपीएस, संयुक्त पुलिस आयुक्त, नागपुर ने किया।

श्री जी.पी. कुंदरगी, सी.एम.डी., मॉयल द्वारा सतर्कता सप्ताह का उद्घाटन

II. ईआरपी, व्हीसल ब्लोअर सुरक्षा और पब्लिक प्रोक्युरमेंट बिल 2012 पर संगोष्ठी

मनसर प्रशिक्षण केन्द्र पर कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तकनीकों के इस्तेमाल और उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के कार्यान्वयन से विभिन्न प्रक्रियाओं और कामकाज में हाल ही में विकास के संबंध में जागरूकता लाने के लिए "उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी)" पर प्रस्तुतीकरण आयोजित किया गया। इसके अलावा मॉयल के कर्मचारियों में जागरूता लाने के लिए "व्हीसल ब्लोअर सुरक्षा" और "पब्लिक प्रोक्युरमेंट बिल 2012" पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

सतर्कता सप्ताह-2013 के दौरान द्वितीय वार्षिक सतर्कता पत्रिका का विमोचन

III. "पब्लिक प्रोक्युरमेंट में पारदर्शिता" पर एक दिन की कार्यशाला

"पब्लिक प्रोक्युरमेंट में पारदर्शिता" विषय पर मॉयल मुख्यालय, नागपुर में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मॉयल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री गिरीश भटनागर, महानिदेशक, इंडियन रेलवे इन्स्टिट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक्स एण्ड मटेरियल मैनेजमेंट (आईआरआईएलएमएम), नई दिल्ली इस कार्यशाला में अतिथि वक्ता थे जो प्रोक्युरमेंट और भ्रष्टाचार निरोधक क्षेत्र में एक प्रख्यात विशेषज्ञ है। उन्होंने 1) सार्वजनिक खरीद निविदाओं की तैयारी, आमंत्रण और मूल्यांकन, 2) सार्वजनिक खरीद में महत्वपूर्ण पहलू और सतर्कता मामले, और 3) अनुबंध प्रबंधन पर प्रस्तुतीकरण दिया।

IV. "ई- प्रोक्युरमेंट और ई-ऑक्शन" पर एक दिवसीय कार्यशाला

"ई- प्रोक्युरमेंट और ई-ऑक्शन" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत में सबसे ज्यादा ई-ऑक्शन करने वाले पीएसयू एमएसटीसी लि., कोलकाता से श्री संजीव पोद्दार, वरिष्ठ प्रबंधक (ई- प्रोक्युरमेंट) अतिथि वक्ता थे।

V. समाज के लिए सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

बालाघाट और कान्द्री खदान के सतर्कता अधिकारियों ने रामटेक के कॉलेज और स्कूल में तथा बालाघाट के सेन्ट्रल स्कूल में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में उन्होंने भ्रष्टाचार और बेईमानी के दुष्प्रभाव के संबंध में अध्यापकों और छात्रों के साथ परिचर्चा सत्रों का आयोजन किया।

VI. फोटोग्राफी और "मॉडल ऑन गुड गवर्नेंस / प्रैक्टीसेस" पर प्रतियोगिता

कर्मचारियों की सक्रीय भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक आम कर्मचारी द्वारा उसके दैनंदिन गतिविधियों के दौरान महसूस की जाने वाली कमियों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से कार्पोरेट स्तर पर "मॉडल ऑन गुड गवर्नेंस / प्रैक्टीसेस" पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए सभी कर्मचारियों के लिए "मॉयल-ए सक्सेस स्टोरी" विषय पर एक अनोखी फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

2) नियमित गतिविधियाँ

1. **क्षमता निर्माण :** विभाग में कार्यरत सतर्कता कार्मिकों की क्षमता निर्माण की दिशा में नियमित गतिविधियों के अंतर्गत आंतरिक के साथ-साथ बाहरी प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है और इसके लिए सुनियोजित तरीके से प्रयास किए जाते है। इन नियमित प्रशिक्षणों के अलावा कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है।
2. **निवारक सतर्कता :** निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में अवधि के दौरान चार काम संविदाओं की छानबीन की गई तथा अड़सठ जाँच कार्य किए गए। प्रचालनों के विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए समय-समय पर परामर्श जारी किए गए।
3. **शिकायत :** वर्ष के दौरान उनतीस शिकायतें प्राप्त हुई और छह स्रोत सूचनाएं प्राप्त हुई तथा विस्तृत जाँच के पश्चात संबंधित प्राधिकारियों को निर्णय एवं निष्कर्ष के साथ इन मामलों की जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
4. **व्यवस्थागत सुधार :** शिकायत, अध्ययन, जाँच इत्यादि से संबंधित विभिन्न अन्वेषणों के परिणाम के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों में व्यवस्थागत सुधार के लिए परामर्श और सुझाव दिए गए :
   1) मैनुअल का अद्यतन और वेबसाईट पर पोस्टिंग
   2) खरीदी और कार्य संविदाओं की निविदा प्रक्रिया
   3) भर्ती और पदोन्नति से संबंधित प्रक्रिया
   4) कार्य संविदाओं में इस्टीमेट और दर सूची तैयार करना

5) पूंजी संपत्ति रजिस्टर की पुनर्संरचना

6) हेराफेरी की घटनाओं को रोकने के क्रम में बिक्री लेखा प्रणाली का नवीनीकरण

5. **प्रौद्योगिकी के लाभ :** पणधारियों के साथ संवाद के लिए एक साधन के रूप में और साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने एवं कार्यक्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता लाने के लिए वेबसाइट का व्यापक इस्तेमाल मॉयल द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तद्नुसार, ई-सेल्स, ई-ऑक्शन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-पेमेंट को सीमारेखाओं को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया गया। मॉयल की ऑफिशियल वेबसाईट पर जिसमें सतर्कता मैनुअल और अन्य महत्वपूर्ण लिंक है, उसमें एक नया सतर्कता पृष्ठ समाविष्ट किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आगमन के साथ मॉयल ने इसके प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए है।

मॉयल ने अपने कारपोरेट कार्यालय में प्रमुख जन सूचना अधिकारी नियुक्त किया है तथा अपनी सभी खदानों में जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी भी नियुक्त किए है। कार्यकारी निदेशक (तक.) को इस अधिनियम के अंतर्गत "अपीलीय प्राधिकारी" के तौर पर नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी जन सूचना अधिकारी/सहायक जन सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के नाम कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में दर्शाए गए है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (बी) में निर्धारित किए अनुसार कंपनी और उसके कर्मचारियों के संबंध में जानकारी 17 शीर्षकों में तैयार की गई है तथा इसे कंपनी के पोर्टल में डाला गया है। मॉयल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवं विवरणी प्रस्तुत करती है तथा नियमित तौर पर इसे अद्यतन करती रहती है।

इस अधिनियम का उद्देश्य एवं यथार्थ भावना के बारे में कंपनी के कर्मचारियों को जागरूक बनाने के लिए व्यापक जागरूकता उत्पन्न की गई है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर परिपत्रों को जारी करके ध्यान में लाया गया है तथा उनसे अपने रोजमर्रा के काम में पारदर्शिता लाने और सभी अभिलेखों को उचित/व्यवस्थित ढंग से रखने को कहा गया है। आगे जनता के लिए भी कंपनी अपनी वेबसाईट में नियमित अंतराल के पश्चात स्वमेव अधिक से अधिक जानकारी डालती है / अद्यतन भी करती है ताकि जनता को सूचना के अधिकार के अधीन जानकारी हासिल करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का कम से कम उपयोग करना पड़े।

बड़े पैमाने पर कर्मचारियों में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम का महत्व समझने तथा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डालने के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 67 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 63 आवेदन स्वीकृत किए गए, 4 अस्वीकृत किए गए एवं 10 अपील आरटीआई के अंतर्गत स्वीकृत की गई तथा वर्ष के दौरान सभी का निपटारा कर दिया गया। 31 मार्च, 2014 तक कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 387 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें 320 व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल है जिसे खदानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में श्रमिकों के लिए आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान लगभग 1250 अधिकारी, 885 गैर-अधिकारियों और 2713 श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा 72 अधिकारियों को बाहर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया। इस प्रकार समीक्षाधीन वर्ष के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर 1,37,506 श्रम दिवस प्रशिक्षण पूर्ण किया गया तथा कुल 8125 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। समझौता ज्ञापन के दर्जे के अनुसार उत्कृष्ट प्रदर्शन 1.30 है, इसकी तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान प्रदर्शन 3.77 दर्ज किया गया है।

श्रम कल्याण योजना, मनोरंजन और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं

मॉयल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के कर्मचारियों के साथ-साथ इसके समीपस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवास, पीने का पानी, बिजली, अस्पताल, स्वास्थ्य शिविर, स्कूल, किफायती ब्याज दर पर गृह कर्ज इत्यादि जैसी अनेक कल्याण योजनाएं चला रहा है। ऐसी योजनाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :-

- जीवनमान में सुधार लाने के लिए और कर्मचारियों की आकांशा को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्वार्टरों का निर्माणकार्य किया है और इसे अधिकांश कर्मचारियों को निःशुल्क आबंटित किया है।
- खदान कालोनी में रहने वाले कर्मचारियों के लिए परंपरागत कुंओं, बोरवेल, पाइपलाइन सप्लाई इत्यादि के द्वारा पीने के पानी की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान की जा रही है।

कांद्री मे श्री जी.पी.कुंदरगी, सी.एम.डी, मॉयल द्वारा कर्मचारी आवासीय परिसर का उद्घाटन

- कैंपों की कालोनियाँ और सड़कें अच्छी तरह से प्रकाशमान है। कर्मचारियों को रियायती दर पर उनके निवास पर बिजली प्रदान की गई है।
- सभी खदानों पर अस्पताल की स्थापना की है जिसे योग्य डॉक्टरों और विधिवत प्रशिक्षित पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा चलाया जा रहा है। पुरूषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग ओपीडी के साथ-साथ इनडोर वार्ड की व्यवस्था उपलब्ध है। आपात स्थिति के लिए सभी अस्पतालों को एम्बुलेंस वैन भी प्रदान की गई है। आवश्यकता के अनुसार मरीजों को चिकित्सा इलाज के लिए विशेष अस्पतालों में भेजा जाता है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा बीमा भी शुरू किया है।
- कुछ खदानों में प्राइमरी स्कूल भी चलाने में मदद कर रही है जहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी खदानों पर स्कूल बसों की व्यवस्था की गई है ताकि बच्चों को समीपस्थ क्षेत्रों के हाई स्कूलों / कॉलेजों में ले जाया जा सके।
- कंपनी में ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति तथा मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की योजना भी है। व्यवसायिक क्षेत्रो में शिक्षा लेने हेतु श्रमिकों के बच्चों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- स्थानीय बच्चों के लिए बेहतर वातावरण देने के लिए एक उकवा और भारवेली में दो स्कूल इमारतों को पुनर्निर्मित किया गया है और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदम :

मॉयल दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार अपने रोल पर 6473 कर्मचारियों के साथ एक श्रमिक बहुल संगठन है। कुल मानवबल का लगभग 74.55 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से है जिसमें से 43.87 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता है। हमारी कंपनी दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खदानों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले पददलित लोगों के विकास में भी गहरी रूचि ले रही है जिसका विवरण निम्नानुसार है :

ए) खदानों के निकट के गाँवों को गोद लिया गया है तथा इन गाँवों में रहने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की सुविधा, सड़क की मरम्मत, समय-समय पर चिकित्सा जाँच और उपचार प्रदान किया जाता है।

बी) खदानों के निकट स्थित स्कूलों में वित्तीय सहायता, स्टेशनरी, पुस्तकें इत्यादि प्रदान करना।

सी) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को तीन पहिया साइकिल प्रदान करना।

महिला सशक्तिकरण

मॉयल अंतर खान प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण

मॉयल में दिनांक 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कुल मानवबल 6473 था जिसमें 819 महिला कर्मचारी थे जो कुल मानवबल का 12.66 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्देश जारी किए गए है। तद्नुसार 3 अधिकारियों की एक शिकायत समिति 1999 में गठित की गई थी जिसमें एक महिला चिकित्सक का समावेश था तथा मार्च 2006 में इस समिति का पुर्नगठन किया गया। तब से अब तक कंपनी की किसी भी खदान से या उसके निगमित कार्यालय से कोई उत्पीड़न की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। महिला कर्मचारियों में जागृति पैदा करने के लिए दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से परिचालित किया गया है।

कंपनी की सभी खदानों पर महिला मंडलों का कार्य प्रभावपूर्ण ढंग से चल रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा सामुदायिक गतिविधियाँ जैसे - प्रौढ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रम विशेषकर दूरदराज के खदान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ हेतु आयोजित किए जा रहे है।

8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व छुट्टी प्रदान करती है और परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान करती है।

अपनी सीएसआर गतिविधियों के एक भाग के रूप में खदानों पर स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया गया है जिसमें दूरदराज के गाँवों की महिलाओं का समावेश किया गया है। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोमबत्ती, वाशिंग पावडर, साबुन, बाँस की टोकरियाँ, सिलाई तथा विभिन्न अन्य व्यवसायिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है। मॉयल में इस कार्यक्रम को बड़ी सफलता मिली है।

कार्मिक

31.03.2014 को आपकी कंपनी के मानवबल की स्थिति नीचे दिए अनुसार है :-

श्रेणी	कार्यपालक	गैर-कार्यपालक	पीआर कामगार	कुल
पुरूष	338	2571	2744	5653
महिला	21	128	671	820
कुल	359	2699	3415	6473

31.03.2014 को वर्गानुसार कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :-

समूह	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य	कुल
ए	34	9	40	138	221
बी	47	12	79	129	267
सी	314	224	419	521	1478
डी	812	1323	1448	859	4442
सफाई कामगार	65	0	0	0	65
कुल	1272	1568	1986	1647	6473
कुल प्रतिशत	19.65%	24.22%	30.68%	25.45%	100.00%

नागरिक चार्टर एवं शिकायत निवारण यंत्रणा

ए) कर्मचारियों की शिकायत - मॉयल के पास कार्यपालक के साथ ही गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए स्वयं की शिकायत निवारण कार्यप्रणाली है। कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण नियमानुसार किया जाता है।

बी) जन शिकायत - जनता से प्राप्त शिकायतों का निपटारा करने के तरीके से सभी शिकायत अधिकारियों को अवगत कराया गया है। पूर्व में विभिन्न प्राधिकारियों के द्वारा प्राप्त निर्देशों के आधार पर जनता से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करने की प्रणाली बनाई गई है।

सी) मॉयल की शिकायत निवारण यंत्रणा में प्रत्येक यूनिट के लिए एक मनोनित शिकायत अधिकारी होता है। यूनिटों में इस कार्य को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने के लिए मुख्यालय में मनोनित किया गया शिकायत अधिकारी यूनिटों के शिकायत अधिकारियों के साथ समन्वय करता है।

डी) जन शिकायतों के लिए पदनामित निदेशकों द्वारा मासिक/ त्रैमासिक शिकायतों की निगरानी की जाती है तथा मंत्रालय/विभाग से स्वतंत्र विभागों के प्रभाग के लिए जन शिकायत निवारण यंत्रणा भी होती है।

ई) यूनिटों से प्राप्त डाटा के मूल्यांकन के आधार पर शिकायत अधिकारी मासिक रिपोर्ट तथा मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के माध्यम से परिवीक्षण करते है।

दिनांक 01.04.2013 से 31.03.2014 की अवधि में लोक कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

क्र.	शिकायतों का प्रकार	01.04.2013 को बकाया शिकायतें	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	31.03.2014 को लंबित मामलों की संख्या
1	जन शिकायतें	--	--	--	--
2	कर्मचारी शिकायतें	शून्य	614	614	शून्य
	कुल	**शून्य**	**614**	**614**	**शून्य**

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और संधारणीय विकास

मॉयल में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) एक नियमित प्रक्रिया है। मॉयल कई वर्षों से सीएसआर गतिविधियाँ एक कृतसंकल्प तरीके से कर रहा है। कंपनी ने एक सीएसआर नीति तैयार की है जो निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीएसआर के अंतर्गत कई योजनाएं हाथों में ली गई है और कार्यान्वित की जा रही है, इसमें मुख्य रूप से शामिल है :

- शिक्षा और कौशल विकास की पहल में कंपनी ने भंडारा जिले के चिखला में ₹ 800 लाख की लागत से मॉयल डीएवी पब्लिक स्कूल का निर्माणकार्य किया है जिसमें 1400 छात्रों की क्षमतायुक्त 35 कक्षाएं है।

निगमित समाजिक उत्तरदायित्व के अन्तर्गत चिकला में नवनिर्मित मॉयल डी.ए.बी. पब्लिक स्कूल

- बालाघाट (मप्र) में भारवेली में अतिरिक्त कक्षा के कमरों का निर्माणकार्य।
- बोरवेल की खुदाई करके दूरदराज के क्षेत्रों में गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- जरूरतमंद ग्रामीण गरीबों के लिए "लाइट टू लाइव्स" कार्यक्रम के अंतर्गत एनजीओ सूरज आई इन्स्टिट्यूट द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद सर्जरी।+
- भंडारा जिले में तुमसर गांव के लिए क्षेत्र विकास परियोजना। इस परियोजना के अंतर्गत कंपनी ने 1.5 कि.मी. लंबे बायपास सड़क का निमार्णकार्य पूर्ण कर किया है और जलाशयों के जिर्णोद्धार का काम जारी है।

सीएसआर योजना के अन्तर्गत मुफ्त नेत्र परीक्षण शिबिर

- नैसर्गिक आपदाओं से ग्रस्त राज्यों को वित्तीय सहायता। सूखा राहत के लिए महाराष्ट्र राज्य को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई, चक्रवात और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए उत्तराखण्ड और ओडिशा राज्यों को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।
- सड़कों का निर्माण, सामुदायिक भवन, वनीकरण इत्यादि जैसे विभिन्न संरचनागत विकास कार्यों को किया जा रहा है।

संधारणीय विकास

कंपनी ने वर्ष 2013-14 में निम्नलिखित संधारणीय विकास परियोजनाओं को किया है :

1) वनीकरण

ए) सामाजिक वानिकी प्रणाली से वनीकरण : मध्यप्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्र बालाघाट जिले में स्थित उकवा, बालाघाट और तिरोडी खदानों में इस परियोजना के अंतर्गत कुल 40,000 पौधे लगाए गए हैं। परियोजना में वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए फेन्सिंग शामिल है।

बी) कंपनी ने चिखला, डोंगरी, कान्द्री और गुमगांव खदानों के खदान क्षेत्रों, आवासीय कालोनियों और खेल मैदानों में 25,000 वृक्षारोपण भी किया है।

मॉयल द्वारा जैव विविधता पार्क की स्थापना

2) जैव विविधता पार्क की स्थापना

मॉयल ने नागपुर-कलमेश्वर मार्ग पर लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर फेटरी गांव के समिप एक जैव विविधता पार्क स्थापित किया है। यह जैव विविधता पार्क महाराष्ट्र सरकार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वाइरमेंटल साइन्स, नागपुर के साथ परामर्श करके स्थापित किया गया है।

इसके अलावा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास के बारे में अधिकारियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मॉयल द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर और संधारणीय विकास पर 39 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मॉयल ने सीएसआर और संधारणीय विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 1036.04 लाख की राशि व्यय की है।

हिन्दी का प्रगतिशील प्रयोग

मॉयल में करीब 97 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है। कंपनी के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड सिस्टम डाला गया है। कंपनी ने कंप्यूटरों में हिन्दी सॉफ्टवेयर का प्रावधान किया गया है तथा कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मॉयल के कर्मचारी इसका अपने रोजमर्रा के कार्यों में इस्तेमाल कर सके।

राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए कंपनी निरंतर निबंध लेखन, टिप्पण, आलेखन, कविता और लेखों जैसी विविध हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है तथा इसे विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की "हिंदी शिक्षण योजना" के अंतर्गत पुर्नप्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें 312 कर्मचारियों को प्राज्ञ (उच्च स्तर) का प्रशिक्षण पहले ही दिया जा चुका है, जो कंपनी में एक सतत प्रक्रिया है।

कंपनी ने द्विभाषी गृह पत्रिका "संकल्प" का प्रकाशन किया है।

परितोषण और पुरस्कार

मॉयल देश के उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है जिसे निरंतर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए जाना जाता है। आपकी कंपनी को लगभग सभी क्षेत्रों में अपने अच्छे कामों के लिए राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मान प्राप्त होते आ रहे है। कंपनी को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान में से कुछ का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

माननीय पूर्व इस्पात मंत्री, श्री जी.पी. कुंदरगी, सी.एम.डी. मॉयल को शेड्यूल ''ए'' कंपनी का औपचारिक अपग्रेडेशन आदेश प्रदान करते हुए

- ❖ मॉयल का शेड्यूल ''बी'' कंपनी से शेड्यूल ''ए'' कंपनी अपग्रेडेशन।
- ❖ श्री जी. पी. कुंदरगी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉयल को आइएम एण्ड ई जर्नल, भुवनेशवर द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार।
- ❖ इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेस, हैदराबाद द्वारा श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त), मॉयल को कारपोरेट एक्सलन्स अवार्ड (वित्त और वित्तीय प्रबंधन) से सम्मानित किया गया।
- ❖ वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 1.213 के कम्पोजिट स्कोर के साथ 18वें वर्ष में एक्सेलेंट एमओयू रेटिंग जो इस्पात मंत्रालय में सेल, आरएनआईएल, एनएमडीसी, इत्यादि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सबसे अधिक है।
- ❖ 97.89 प्रतिशत स्कोर के साथ डीपीई द्वारा कारपोरेट गर्वनेंस एक्सेलेंट ग्रेडिंग।
- ❖ दो पार एक्सेलेंस अवार्ड और एक एक्सलन्स सर्टिफिकेट ऑफ नैशनल क्वालिटी सर्किल अवार्ड (अर्थात् नैशनल कन्वेंशन क्वालिटी कन्सेप्ट - एनसीक्यूसी - 2013)

श्री जी.पी. कुंदरगी, अध्यक्ष, सह-प्रबंधक निदेशक, मॉयल को आई. एम. एण्ड ई जर्नल भुवनेश्वर, द्वारा लाईफटाईम अचीवमेंट पुरस्कार

- ❖ बालाघाट जिले में लगातार 5 वर्षों से उच्चतम कमर्शियल टैक्स का भुगतान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए उच्चतम करदाता पुरस्कार।
- ❖ ईएमडी संयंत्र - डोंगरी बुजुर्ग खदान के लिए आईएसओ 9001-2008 प्रमाणन
- ❖ एफएम संयंत्र - बालाघाट खदान के लिए आईएसओ 9001-2008 प्रमाणन

निदेशक

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सात स्वतंत्र निदेशक डॉ. एस. के. भट्टाचार्य, श्री. विजय काले, डॉ. मधु विज, श्री. संजीव नारायण, श्री. एच. सी. डिसोदिया, श्री. बी. के. गुप्ता और श्री. डी. डी. कौशिक कंपनी के मंडल से सेवानिवृत्त हुए है। उनके कार्यकाल के दौरान मंडल के लिए उनके अमूल्य योगदान और मार्गदर्शन के लिए मंडल ने अपने हार्दिक आभार को अभिलेखित किया है।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने श्री. ए. के. झा को निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना) के रूप में नियुक्त किया है और मॉयल के मंडल ने चार स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त किया है जिनके नाम सुश्री. सुनंदा प्रसाद, श्री. जी. एस. ग्रोवर, डॉ. ए. के. लोमस और श्री. जी. पी. डांगे है।

लेखांकन नीति में बदलाव

वर्ष के दौरान, लेखा के नोट क्र. 1.2 में दिए विवरण के अनुसार कंपनी ने मैंगनीज अयस्क बिक्री पर अपनी लेखांकन नीति को परिवर्तित कर दिया है। नीति में परिवर्तन से लेखाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य

आपके निदेशक यह पुष्टि करते है कि :

1. सामग्री विचलन से संबंधित वार्षिक खातों को तैयार करते समय उचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों को अपनाया गया।
2. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें दृढ़तापूर्वक लागू किया है तथा उसके आधार पर निर्णयों को लिया एवं आंकलन किया जो कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति और उस वर्ष के दौरान कंपनी के लाभ-हानि की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश करने में सक्षम थी।
3. कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी या अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम के लिए निदेशकों ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में यथोचित लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए समुचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
4. निदेशकों ने विकासशील प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक खातों को तैयार किया है।

जमा

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा स्वीकार नहीं किया है।

लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम की धारा 619(2) के अनुसार मेसर्स वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नागपुर को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2013-14 के लिए आपकी कंपनी का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है।

लागत अंकेक्षण

दिनांक 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखांकन अभिलेखों का अंकेक्षण करने के लिए कंपनी के लागत अंकेक्षक के रूप में मेसर्स उज्ज्वल पी. लोया एण्ड कंपनी की नियुक्ति को केन्द्र सरकार ने अनुमोदन दिया है। 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने की नियत तिथि दिनांक 30 सितम्बर, 2014 है। निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया जाएगा। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए अनुसार वर्ष 2012-13 के लिए लागत अंकेक्षण रिपोर्ट और अनुपालन रिपोर्ट समय-सीमा के भीतर दाखिल की गई।

अन्य प्रकटीकरण

अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि का विवरण : कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 1988 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1)(ई) के प्रावधानों के अंतर्गत जरूरी अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी आत्मसात आदि से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट के साथ **अनुलग्नक- I** के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है।

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2031-14 के दौरान मैंगनीज अयस्क का कोई निर्यात नहीं किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹ 50.99 लाख का व्यय विदेशी मुद्रा में किया है जबकि पिछले वर्ष ₹ 28.86 लाख किया गया था।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम, 1975 और समय-समय पर संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के दायरे में शामिल कर्मचारियों के संबंध में जानकारी **शून्य** है।

नियंत्रित कंपनी : मॉयल की कोई नियंत्रित कंपनी नहीं है।

संदिग्ध लेखा में अंशों का विवरण

संदिग्ध लेखों में अंशों का विवरण इस प्रकार है :

विवरण	अंशधारकों की संख्या	अंशों की संख्या
दिनांक 01.04.2014 को प्रारंभिक जमा	21	357
अंशों का अंतरण करने के लिए संपर्क करने वाले अंशधारक	1	17
हस्तांतरित अंश	1	17
दिनांक 31.03.2014 तक लंबित	20	340

जब तक ऐसे शेयरों के वास्तविक हकदार इन शेयरों पर अपना दावा नहीं करते तब तक इन शेयरों पर मतदान का अधिकार नहीं रहेगा।

मॉयल द्वारा इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन 2014-15 पर हस्ताक्षर

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

मॉयल 20 वर्षों से अधिक समय से इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर कर रहा है। समझौता ज्ञापन विभिन्न लक्ष्यों और प्रदर्शन के मानकों को निर्धारित करता है, जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद वास्तविक उपलब्धियों पर निर्धारित किए जाते है। वर्ष 1995-96 से कंपनी लगातार उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त कर रही है। आपकी कंपनी ने एक बार फिर 18वें वर्ष में 2012-13 के लिए उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त किया है।

परंपरा को कायम रखते हुए मॉयल ने वर्ष 2014-15 के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है।

निगमित अधिशासन

कंपनी निगमित अधिशासन के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है। निगमित अधिशासन पर एक भाग अलग से जोड़ा गया है और **अनुलग्नक-।।** के रूप में संलग्न है, जो निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग है।

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण

प्रबंधन विवेचन तथा विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक-।।।** में प्रस्तुत की गई है।

औद्योगिक संबंध

वर्ष 2013-14 के दौरान हमारी कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहा। कंपनी में इस दौरान कोई भी काम बंद अथवा श्रम आंदोलन की घटना नहीं हुई। बेहतर उत्पादन और उत्पादकता की गति को बनाए रखा गया। संगठन के सुचारू संचालन हेतु विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तथा शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र निर्णय लेने के लिए खदान स्तर और निगमित स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो संतोषजनक प्रीति से कार्य कर रही है।

मॉयल बालाघाट खान का विहंगम दृश्य

आभार ज्ञापन

आपके निदेशक, भारत सरकार, इस्पात मंत्रालय, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की राज्य सरकार, कंपनी के अंशधारकों, बैंकर्स, मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और सभी पणधारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते है।

कंपनी के कर्मचारियों द्वारा लगातार उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों में अपनी पूर्णतः प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। आपके निदेशक इस अवसर पर कर्मचारियों द्वारा बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी सराहना करते है एवं आशा करते है कि आने वाले वर्षों में भी वे इसी उत्साह एवं समर्पण की भावना से काम करेंगे ताकि कंपनी को और अधिक उंचाई पर ले जा सके।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण, आपके निदेशक सभी पणधारियों को मॉयल के शेड्यूल "ए" अपग्रेडेशन के लिए बधाई देते है।

निदेशक मंडल की ओर से

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Place: नई दिल्ली
Date: 23 मई, 2014

अंशधारकों के लिए निदेशकों की रिपोर्ट - अनुलग्नक-।
फार्म-बी

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) (ई) एवं 1988 में किए गए संशोधनों के अंतर्गत जरूरी प्रौद्योगिकी आत्मसात के संबंध में विवरणों का प्रकटीकरण

(I)	पद्ध अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)	
क्रम संख्या	**विर्निदिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास के कार्य किए गए है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास के कार्यों का हाथों में लिया है।**	**अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप व्युत्पन्न लाभ**
1	वेंटिलेशन मानक में सुधार	इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम), धनबाद और इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आईआईटी), खड़गपुर द्वारा क्रमशः बालाघाट और गुमगांव खदान के लिए गहरे स्तरों के लिए वेंटिलेशन पुर्नगठन अध्ययन किए गए। इससे भूमिगत वेंटिलेशन और उत्पादकता में सुधार आया है।
2	भूमिगत यांत्रिकीकरण	बालाघाट खदान में सिंगल बूमर के लिए सुरक्षित ब्लास्टिंग कार्यों के डिजाइन के लिए इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आईआईटी), खड़गपुर कार्य कर रही है। इससे बालाघाट खदान में सुरक्षा, स्टोप उत्पादकता और भूमिगत हेडिंग्स के विकास में सुधार करने में मदद मिलेगी।
3	अयस्क भंडार का गवेषण	यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनी की स्वयं की कोर ड्रिलिंग मशीनों के द्वारा कोर ड्रिलिंग होल गवेषण ड्रिलिंग से अयस्क भंडार और पट्टा क्षेत्रों के आसपास गवेषण किया जाता है। इसके अलावा, गहरे अन्वेषण आउटसोर्सिंग के द्वारा किए जाते है। वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी इस प्रक्रिया से 2.1 मिलियन टन अतिरिक्त अयस्क भंडारों/संसाधनों को जोड़ने में सक्षम हुई है।
4	गुरूत्वाकर्षण और चुंबकीय विधि से भूभौतिकीय पूर्वेक्षण द्वारा गवेषण	संसाधनों का तेजी से गवेषण करने के लिए भूभौतिकीय चुंबकीय प्रणाली से भूभौतिकीय गवेषण का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान (एनजीआरआई), हैदराबाद महाराष्ट्र राज्य में मंजूर 11 प्रास्पेक्टिंग लायसेंस क्षेत्रों में कार्यरत है।
5	खनिज प्रसंस्करण	इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज मेटल (ईएमएम), कंपनी ने ईएमएम विनिर्माण के लिए प्रोसेस फ्लो शीट तैयार की है। इसमें बाजार की अच्छी संभाव्यता है और टीईएफआर के तैयार होने के बाद कंपनी निकट भविष्य में इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है।
6	पर्यावरण पहलु	एएनएफओ में डीजल के वैकल्पिक ईंधन के लिए डोंगरी बुजुर्ग खदान में सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद के साथ ब्लास्टिंग अध्ययन किया गया।
7	उर्जा की बचत	उर्जा बचत हेतु कान्द्री, गुमगाँव, उकवा और बालाघाट खदान में वीएफडी के साथ काम्प्रेसर स्थापित किया गया है। जब संपीड़ित हवा की जरूरत कम हो, तब मोटरों की गति को विनियमित करने से बिजली उर्जा की खपत में कमी आयी है।
8	लेवल अंतराल में वृद्धि	30 मीटर से 45 मीटर के लेवल अंतराल में वृद्धि के लिए सुझाव देने हेतु सीएसआईआर- सीआईएमएफआर, नागपुर की नियुक्ति की गई थी। तद्नुसार बालाघाट खदान में 12वाँ लेवल से नीचे मौजूदा लेवल अंतराल 30 मीटर से 45 मीटर बढ़ाने के लिए डिजाइन बना लिया गया है।
9	एक्सआरएफ विश्लेषक	कंपनी ने खदानों एवं नागपुर स्थित निगमित कार्यालय में सफलतापूर्वक एक्सआरएफ विश्लेषक मशीन को लगा लिया है। इससे ग्राहक समाधान में सुधार हुआ है।
10	पर्यावरण अनुकूल मशीन	कर्मचारियों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए ओपनकास्ट खदानों में आधुनिक उच्च तकनीक की हाइड्रोस्टेटिक पर्यावरण अनुकूल ड्रिलिंग मशीन को लगाया गया है।

(I)	पद्ध अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)	
क्रम संख्या	**विर्निदिष्ट क्षेत्र जहाँ कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास के कार्य किए गए है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कंपनी ने अनुसंधान एवं विकास के कार्यों का हाथों में लिया है।**	**अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप व्युत्पन्न लाभ**
11	सुरक्षा मानकों में सुधार	मौजूदा पूर्व-खनन समर्थन के अलावा अतिरिक्त यांत्रिक साधनों का इस्तेमाल किया गया। इससे भूमिगत खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार आया और लकड़ी की बचत हुई।
12	नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक	सीआईएमएफआर और वीएनआईटी ओपनकास्ट खदान में भूकंपन और फ्लाइ एश रॉक समस्याओं के लिए कार्यरत है। इन अध्ययनों से कंपनी की ओपनकास्ट खदानों के सुरक्षा मानकों में सुधार आया है।
13	रेती की वैकल्पिक भरण सामग्री के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान	वीएनआईटी, नागपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजना जारी है। वीएनआईटी परिसर में आगे के अध्ययन के लिए पायलट हायड्रोलिक स्टोइंग प्लांट शुरू किया गया है। यह खदानों में स्टोइंग के लिए रेती की बजाय अन्य वैकल्पिक सामग्री देगा।

(ii)	पपद्ध प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकार एवं नवाचार	
	प्रौद्योगिकी समावेशन, अंगीकार एवं नवाचार की दिशा में प्रयासों का संक्षिप्त विवरण	उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप व्युत्पन्न लाभ
	1) उपर्युक्त के अनुसार खनन में अनुसंधान एवं विकास के प्रयास	उपर्युक्त के परिणामस्वरूप इन प्रयासों से खनन प्रचालनों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार दिखाई दिया है। इस विकास के साथ त्वरित खनन तकनीक जैसे हेडिंग्स विकास के लिए बड़े होल की ड्रिलिंग, भूमिगत में एसडीएल द्वारा स्टोप्स में रॉम की यांत्रिक हैण्डलिंग तथा भूभौतिकीय प्रास्पेक्टिंग द्वारा खनन ने कोर ड्रिलिंग के लिए नए क्षेत्र निर्धारित किए है।
	2) एच वी मोटर द्वारा संचालित 4000 सीएफएम काम्प्रेसर और वीएफडी चालित काम्प्रेसर लगाना	संपीड़ित हवा से संचालित उपकरणों की उर्जा खपत में 1 - 2 प्रतिशत की कमी हुई है।
(iii)	भविष्य की कार्ययोजना	**भूमिगत में सौर उर्जा एवं इलेक्ट्रो-हाईड्रोस्टॅटिक ड्रिलिंग मशीनों का भविष्य में इस्तेमाल किया जाना प्रस्तावित है।**

(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय (रूपये करोड़ में)	**पूंजीगत (ए)**	**आवर्ती (बी)**	**कुल (सी)**	**टर्न ओवर के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान एवं विकास का कुल व्यय**
	शून्य	9.19	9.19	1.80

पिछले पांच वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी के बारे में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से गिनती करते हुए	**आयात का वर्ष**	**क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया गया है**	**यदि नहीं, तो पूरी तरह समावेशित वह क्षेत्र जहां इसे नहीं किया गया है, उसका कारण तथा उसके लिए भविष्य की कार्य योजना**
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुलग्नक - ।।

निगमित शासन रिपोर्ट

''निगमित शासन में कंपनी का प्रबंधन, उसका मंडल, उसके अंशधारक और अन्य पणधारियों के बीच सामूहिक संबंध शामिल होता है। निगमित शासन एक ऐसी संरचना भी प्रदान करता है जिसके माध्यम से कंपनी के लक्ष्यों को तय किया जाता है एवं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों तथा कार्य-निष्पादन का पर्यवेक्षण निर्धारित किया जाता है।''

-ऑर्गनायजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संगठन)

1- निगमित शासन दर्शन :

मॉयल एक "लघु रत्न श्रेणी- ।" की "शेड्यूल ए" कंपनी है जो कुशल, सत्यनिष्ठ, ईमानदार, जवाबदेही तथा नैतिक तरीके से व्यापार करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस बात में विश्वास करती है कि निगमित शासन कानून के दायरे से भी उपर है। यह प्रबंधन की संस्कृति एवं मानसिकता से उभरता है तथा अकेले कानून द्वारा विनियमित नहीं किया जा सकता है। एक अच्छा निगमित शासन कानून के अनुपालन से परे चला जाता है और इसमें कंपनी की व्यापक प्रतिबद्धता शामिल होती है। यह प्रतिबद्धता निदेशक मंडल से प्रारंभ होती है, जो सभी को दीर्घकालिक लाभ मिलने के साथ संतुलित तरीके से, सभी पणधारियों के सर्वोत्तम हित में, कंपनी की रणनीतिक एवं प्रचालन उत्कृष्टता पर ध्यान केन्द्रित करके निगमित शासन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है।

निगमित शासन स्थायी मूल्य निर्माण में लगातार सुधार करने वाली एक यात्रा है तथा लक्ष्य की ओर लगातार ऊपर बढ़ते जाना है। नियामक और अनुपालन की आवश्यकता के रूप में शासन के परंपरागत दृष्टिकोण ने कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप शासन अपनाने के लिए मार्ग मुहैया कराया है। खण्ड 49 में पंजीकृत कंपनी के लिए अनुपालन की बैंचमार्क नियमावली तथा शासन के मानकों के लिए निर्देशरेखा स्थापित की गई है। मॉयल, धारा 49 के अनुसार निर्धारित निगमित व्यवहारों का न केवल पालन करती है बल्कि विश्व में उभरते सर्वोत्तम व्यवहारों को अपनाने का लगातार प्रयास करती है। उच्चतर मानकों को प्राप्त करना तथा रणनीतिक कार्यान्वयन और जोखिम प्रबंधन में प्रबंधनवर्ग को निगरानी और मार्गदर्शन प्रदान करना तथा निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करना हमारा प्रयास होता है।

2- निदेशक मंडल

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अंतर्गत मॉयल एक सरकारी कंपनी है। मॉयल के अंतर्नियमों के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। अतः मॉयल के मंडल के सभी निदेशकों को इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। दिनांक 31 मार्च, 2014 को निदेशक मंडल में 10 निदेशक शामिल थे, जिसमें अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को मिलाकर 4 पूर्णकालिक निदेशक है, भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 2 सरकारी निदेशक तथा 4 स्वतंत्र निदेशक शामिल है। मॉयल के मंडल की संरचना लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 तथा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप की गई है।

2.1 मॉयल के निदेशक मंडल की संरचना

31 मार्च, 2014 को निदेशक मंडल की श्रेणी के अनुसार संरचना इस प्रकार है :-

पूर्णकालिक निदेशक

1. श्री जी.पी.कुंदरगी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)
3. श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त)
4. श्री ए.के. झा, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)

भारत सरकार के नामित निदेशक

1- श्री. लोकेश चन्द्र, भारत सरकार के नामित निदेशक

2- श्री अपूर्वा चन्द्र, महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशक

स्वतंत्र निदेशक

1- सुश्री. सुनंदा प्रसाद

2- डॉ. ए. के. लोमस

3- श्री. जे. पी. डांगे

4- श्री. जी. एस. ग्रोवर

सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति, पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा, अन्य निदेशक पदों की संख्या तथा समिति की सदस्यता/अध्यक्षता का विवरण

निदेशक का नाम	कार्यकाल के दौरान आयोजित मंडल सभाओं की संख्या	मंडल सभाओं में उपस्थित होने की संख्या	पिछली वार्षिक सर्वसाधारण सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशक पदों की संख्या	समिति की सदस्यता/अध्यक्षता' की संख्या	
					समिति की अध्यक्षता	समिति की सदस्यता
पूर्णकालिक निदेशक						
श्री जी. पी. कुंदरगी अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	8	8	हाँ	शून्य	शून्य	शून्य
श्री ए. के. मेहरा निदेशक (वाणिज्य)	8	8	हाँ	2	शून्य	1
श्री एम. पी. चौधरी निदेशक (वित्त)	8	8	हाँ	2	शून्य	1
श्री ए. के. झा निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना) (29.07.2013 से)	6	6	हाँ	2	शून्य	1
सरकार के नामित निदेशक						
श्री. लोकेश चन्द्र (भारत सरकार के नामित निदेशक)	8	7	---	7	शून्य	शून्य
सुश्री अपूर्वा चन्द्र (महाराष्ट्र सरकार के नामित निदेशक)	8	2	---	3	शून्य	शून्य
स्वतंत्र निदेशक						
डॉ. एस. के. भट्टाचार्य (24.06.2013 तक)	2	2	--	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री विजय काले (24.06.2013 तक)	2	2	---	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. मधु विज (26.06.2013 तक)	2	2	---	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री संजीवा नारायण (15.10.2013 तक)	4	4	हां	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री एच. सी. डिसोदिया (08.11.2013 तक	6	6	---	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री बी. के. गुप्ता (08.11.2013 तक)	6	5	---	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. डी. डी. कौशिक (08.02.2014 तक)	7	1	---	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सुश्री सुनंदा प्रसाद (18.11.2013 से)	2	2	---	शून्य	1	शून्य
श्री. जी. एस. ग्रोवर (18.11.2013 से)	2	2	---	शून्य	शून्य	शून्य
श्री. जे. पी. डांगे (18.11.2013 से)	2	2	---	शून्य	1	शून्य
डॉ. ए. के. लोमस (18.11.2013 से)	2	2	---	शून्य	शून्य	2

***पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की लेखा-परीक्षा समिति तथा अंशधारक/निवेशक शिकायत समिति सदस्यता/अध्यक्षता को विचार में लिया गया है।**

2.3 वर्ष 2013-14 के दौरान मंडल सभाओं का विवरण

वर्ष 2013-14 के दौरान मंडल की आठ (8) सभाएं आयोजित की गई जो दिनांक 25 मई 2013, 20 जून 2013, 07 अगस्त 2013, 27 सितम्बर 2013, 28 अक्तूबर 2013, 07 नवम्बर 2013, 19 जनवरी 2014 और 11 फरवरी 2014 को आयोजित की गई।

3. समितियाँ

निदेशक मंडल की समितियों का गठन

मंडल की समितियाँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रो पर ध्यान केन्द्रित करती है तथा प्रत्यायोजित प्राधिकारी के साथ सूचित निर्णय लेती है। मंडल की प्रत्येक समिति अपने चार्टर के अनुसार जो उसकी संरचना, कार्यक्षेत्र, अधिकार, भूमिका को परिभाषित करता है तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार और लिस्टिंग एग्रीमेंट और निगमित शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है। वर्तमान में, कंपनी की निम्नलिखित मंडल समितियाँ है :

1. लेखा-परीक्षा समिति
2. अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति
3. पारिश्रमिक समिति
4. परियोजना एवं कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति (पीपीआरसी)
5. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास समिति
6. सीपीएसई समिति के शेयरों में निवेश और शेयरों का बायबैक
7. पेंशन नियमावली समिति
8. मॉयल भर्ती और पदोन्नति नियमावली 2013 समिति

3.1 मंडल की लेखा-परीक्षा समिति

लेखा-परीक्षा समिति लेखा की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा का पर्यवेक्षण, कंपनी की लेखा-परीक्षा एवं रिपोर्टिंग प्रणाली तथा उसके कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने में मंडल को अपनी जिम्मेदारी का वहन करने में सहायता करती है। कंपनी की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली का पर्यवेक्षण, कंपनी के वित्तीय विवरण का अंकेक्षण, नियुक्ति, स्वतंत्रता, सांविधिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों का पर्यवेक्षण करना समिति का उद्देश्य है।

ए) संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

वर्ष 2013-14 के दौरान, मॉयल के मंडल के निदेशको की सेवा निवृत्ति के कारण लेखा समिति का पुनर्गठन किया गया। लेखा-परीक्षा समिति में 3 सदस्य होते है जिनमें से 2 सदस्य स्वतंत्र निदेशक और 1 सदस्य कार्यकारी निदेशक होता है। लेखा-परीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 1956 और लिस्टिंग अनुबंध के खण्ड 49 की आवश्यकताओं को पूरा करती है। 31.03.2014 को समिति के सदस्य निम्नलिखित है :

1. श्री जे. पी. डांगे, अध्यक्ष (अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक)
2. डॉ. ए. के. लोमस, सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
3. श्री ए. के. झा, सदस्य (कार्यात्मक निदेशक)

कंपनी का सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बी) वर्ष के दौरान सभाएं एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की चार सभाएं आयोजित की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	तारीख	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1	25.05.2013	5	5
2	07.08.2013	4	3
3	06.11.2013	4	4
4	11.02.2014	3	3

सी) लेखा-परीक्षा समिति के अधिकार

लेखा-परीक्षा समिति के अधिकारों में निम्नलिखित का समावेश है :

1. अपने विचारार्थ विषय के दायरे में किसी भी गतिविधि का अन्वेषण करना।
2. किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगना।
3. बाहर से कानूनी या अन्य व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।
4. यदि ऐसा आवश्यक समझा जाता है तो, सुसंगत विशेषज्ञता-प्राप्त बाहरी व्यक्ति की सेवा प्राप्त करना।
5. व्हीसल ब्लोअर्स की सुरक्षा, यदि कोई हो

डी) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

लेखा-परीक्षा समिति की भूमिका में निम्नलिखित का समावेश है :

1) वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है इसे सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली एवं वित्तीय जानकारी के प्रकटीकरण का पर्यवेक्षण करना;

2) सांविधिक लेखा-परीक्षक की नियुक्ति, पुर्ननियुक्ति तथा यदि आवश्यक हो तो प्रतिस्थापन करने अथवा हटाने तथा लेखा-परीक्षा शुल्क तय करने के लिए मंडल को सिफारिश करना; जैसा भी लागू हो

3) सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षक को भुगतान स्वीकृत करना;

4) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना, इन विशेष संदर्भ में :

   a. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 के खण्ड (2 एए) के अनुसार मंडल की रिपोर्ट में शामिल करने के लिए निदेशक उत्तरदायित्व विवरण में समाविष्ट किए जाने वाले आवश्यक मामले;
   b. कारणों को दर्शाते हुए लेखांकन नीतियों और व्यवहारों में यदि कोई परिवर्तन करना हो;
   c. प्रबंधन द्वारा आकलन पर आधारित निर्णय के प्रयोग को शामिल करते हुए प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियां;
   d. वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण समायोजन जो लेखापरीक्षा निष्कर्ष से उत्पन्न हुए;
   e. वित्तीय विवरणों से संबंधित लिस्टिंग एवं अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   f. पार्टी से संबंधित किसी भी व्यवहारों का प्रकटीकरण; और
   g. मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अहर्ता, यदि कोई हो।

5) मंडल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणी पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

6) निधि जो इश्यू (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रिफ्रेन्शियल इश्यू इत्यादि) के माध्यम से उभारी गई है उसके उपयोग/विनियोग का विवरण, पब्लिक या राइट इश्यू से आय के उपयोग की प्रक्रिया पर निगरानी रखने वाली एजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत ऑफर डाक्युमेंट/प्रॉस्पेक्टस/नोटिस तथा रिपोर्ट में दर्शाए गए के अतिरिक्त, अन्य कारणों के प्रयोजन से इस्तेमाल की गई निधि के विवरण पर प्रबंधन के साथ समीक्षा एवं मॉनिटरिंग करना तथा इन मामलों पर उचित कदम उठाने के लिए मंडल को योग्य सिफारिश करना;

7) सांविधिक एवं आंतरिक लेखा-परीक्षकों का कार्य-निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

8) आंतरिक लेखा-परीक्षक विभाग की संरचना, कर्मचारी तथा विभाग प्रमुख की वरियता, रिपोर्टिंग संरचना की व्याप्ति तथा आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा की गतिविधि की पर्याप्तता की समीक्षा करना;

9) आंतरिक लेखा-परीक्षकों और/या सांविधिक लेखा-परीक्षक के साथ किसी उल्लेखनीय जांच परिणाम पर विचारविमर्श करना तथा उस पर कार्रवाई करना;

10) संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता के महत्वपूर्ण प्रकार के मामले, जो आंतरिक लेखा-परीक्षक द्वारा आंतरिक अन्वेषण के दौरान पाए गए उसकी समीक्षा करना तथा मामले की जानकारी बोर्ड को देना;

11) लेखा-परीक्षा का प्रकार और उसकी व्यापकता के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ चर्चा करना साथ ही लेखा-परीक्षा के बाद सरोकार के किसी क्षेत्र निर्धारण करने के लिए वार्तालाप करना; यदि कोई हो।

12) जमाकर्ताओं, डिबेंचर-धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में) और ऋणदाताओं को भुगतान में भारी चूक के कारणों को देखना; यदि कोई हो

13) यदि "व्हीसल ब्लोअर" यंत्रणा मौजूद हो तो उसके कामकाज की समीक्षा करना;

14) प्रमुख वित्त अधिकारी (अर्थात् पूर्णकालिक वित्त निदेशक अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो वित्तीय कार्यों का प्रमुख हो या वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता हो) पद के उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव एवं पार्श्वभूमि इत्यादि का आकलन करके नियुक्ति करना;

15) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

16) संसदीय सार्वजनिक उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना; यदि कोई हो।

17) स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक और मंडल के बीच संवाद का एक खुला अवसर प्रदान करना;

18) कार्यक्षेत्र की पूर्णता सुनिश्चित करने, निरर्थक प्रयासों में कमी लाने और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों के प्रभावी उपयोग के समन्वय की स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ समीक्षा करना;

19) स्वतंत्र अंकेक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

ए. कंप्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रणों और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता, और

बी. स्वतंत्र अंकेक्षक और आंतरिक अंकेक्षक की सिफारिशों और संबंधित निष्कर्षों के साथ प्रबंधन की प्रतिक्रिया।

20) प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षक और स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करना :

ए. पिछले लेखापरीक्षा सिफारिश की वर्तमान स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

बी. गतिविधियों के दायरे अथवा आवश्यक सूचना प्राप्त करने पर प्रतिबंधों सहित ऑडिट कार्य के दौरान किसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।

21) लेखा-परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय में उल्लेख के अनुसार या मंडल के निदेश के अनुसार अन्य कार्यों का निर्वहन करना।

ई) अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचना की अनिवार्य रूप से समीक्षा करेगी :

1. प्रबंधन चर्चा तथा वित्तीय स्थिति और प्रचालन परिणामों का विश्लेषण;
2. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष के लेनदेन का विवरण;
3. प्रबंधन के पत्र और सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमियों के पत्र;
4. आंतरिक नियंत्रण कमियों के संबंध में आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट; तथा
5. आंतरिक अंकेक्षक प्रमुख की नियुक्ति, निष्कासन अंकेक्षण समिति की समीक्षा के अधीन होगा;
6. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी के वित्तीय विवरणों का प्रमाणन / घोषणा।

3.2 अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति

शेयरों का हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट नहीं मिलना, घोषित लाभांश नहीं मिलना इत्यादि के संबंध में अंशधारक तथा निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। समिति कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के कार्यनिष्पादन एवं सेवास्तर का मूल्यांकन भी करती है तथा निवेशकों को प्रदान किए जा रहे सेवास्तर को सुधारने के लिए लगातार मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) विनियम, 1992 के अनुसरण में इनसाइडर ट्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कंपनी की आचार संहिता के क्रियान्वयन एवं अनुपालन के पर्यवेक्षण का कार्य भी समिति करती है। मंडल ने आरटीए तथा/या कंपनी सचिव को प्रतिभूतियों के हस्तांतरण का अनुमोदन प्रदान करने का अधिकार प्रत्यायोजित किया है।

ए) विचारार्थ विषय का संक्षिप्त विवरण :

समिति की जिम्मेदारियाँ नीचे दिए अनुसार है :

a. निवेशकों की शिकायतों का निवारण करना
b. शेयरों का आबंटन, शेयर, डिबेंचर या अन्य किसी भी प्रतिभूतियों के हस्तांतरण या पारेषण को अनुमोदन देना
c. विभाजन/समेकन/नवीनीकरण इत्यादि के मामले में डुप्लीकेट प्रमाणपत्र तथा नए प्रमाणपत्र जारी करना
d. कंपनी का घोषित लाभांश, तुलनपत्र नहीं मिलने बाबत
e. समय-समय पर संशोधित लिस्टिंग एग्रीमेंट में समाविष्ट अन्य कार्यों का निर्वहन करना
f. समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय

बी) समिति की संरचना

वर्ष 2013-14 के दौरान मॉयल के मंडल से निदेशकों की सेवानिवृत्ति के कारण समिति का पुनर्गठन किया गया। दिनांक 31.03.2014 को समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. सुश्री सुनंदा प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक - सभापति
2. डॉ. ए. के. लोमस, स्वंतत्र निदेशक - सदस्य
3. श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य) - सदस्य
4. श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त) - सदस्य

सी) सभा एवं उपस्थिति

वर्ष 2013-14 के दौरान अंशधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति की चार (4) सभाएं 25 मई, 07 अगस्त, 06 नवम्बर 2013 और 11 फरवरी 2014 को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा सभा की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
डॉ. मधु विज (20.06.2013 तक)	1	1
डॉ. डी. डी. कौशिक (08.02.2014 तक)	3	1
श्री ए. के. मेहरा	4	4
श्री. मुकुंद पी. चौधरी	4	4
श्री. एस. नारायण (20.06.2013 से 27.09.2013 तक)	1	1
श्री. बी. के. गुप्ता (27.09.2013 से 08.11.2013 तक)	1	1
कु. सुनंदा प्रसाद (19.01.2014 से)	1	1
डॉ. ए. के. लोमस (19.01.2014 से)	1	1

डी) अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम

कंपनी के अनुपालन अधिकारी श्री नीरज दत्त पांडे, कंपनी सचिव है।

ई) निवेशकों की शिकायतें

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी एवं रजिस्ट्रार ने उन मामलों को छोड़कर जो विवाद या कानूनी बाधाओं के कारण बाधित हुए है, निवेशकों की शिकायतों को तत्परता से देखा है। शिकायतों का विवरण इस प्रकार है :

अनु. क्र.	विवरण	शिकायतों की संख्या
1	01 अप्रैल, 2013 को शेष	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त	211
3	वर्ष के दौरान देखा गया/सुलझाया गया	210
4	31 मार्च, 2014 को लंबित	1

3.3 पारिश्रमिक समिति

मॉयल एक केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और इसलिए निदेशकों की नियुक्ति, कार्यकाल और पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा तय किए जाते है। हालांकि सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने अधिकारियों को 'परफॉरमेंस रिलेटेड पे' (पीआरपी) का निर्धारण करने के प्रयोजन से एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है।

ए) वर्तमान में समिति में निम्नलिखित सदस्यों का समावेश है :

1. डॉ. ए. के. लोमस , (स्वतंत्र निदेशक) - अध्यक्ष
2. श्री. जे. पी. डांगे, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य
3. श्री. जी. एस. ग्रोवर, (स्वतंत्र निदेशक) - सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 19.01.2014 को समिति की सभा आयोजित की गई। सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.	सदस्य का नाम	कुल आयोजित सभा	सभा में उपस्थिति
1.	डॉ. ए. के. लोमस	1	1
2.	श्री जे. पी. डांगे	1	1
3.	श्री. जी. एस. ग्रोवर,	1	1

बी) पारिश्रमिक समिति की भूमिका :

पारिश्रमिक समिति के काय

1. निर्धारित सीमा के भीतर एक्जीक्युटिव तथा नॉन युनियनॉइज सुपरवाइजरों में वितरण के लिए वार्षिक बोनस / वेरीएबल पे पूल एवं नीति निर्धारण करना।
2. कंपनी अधिनियम 1956, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के दिशानिर्देशों तथा लिस्टिंग एग्रीमेंट तथा अन्य सरकारी दिशानिर्देशों, जो भी लागू हो तथा निर्धारित हो, ऐसी अन्य जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।

सी) वर्तमान कार्यात्मक निदेशक के द्वारा प्राप्त किया गया पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किये गए पारिश्रमिक का विवरण

क्र. सं.	निदेशकों का नाम	वेतन	अनुलाभ	भविष्य निधि	बोनस/कमीशन	कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन	कुल
1	श्री जी. पी. कुंदरगी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	1659082.00	663019.00	214831.00	शून्य	1511865.00	4048797.00
2	श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य)	1646381.00	912114.00	214343.00	शून्य	1353360.00	4126198.00
3	श्री. एम. पी. चौधरी निदेशक (वित्त)	1441758.00	650553.00	180463.00	शून्य	883940.00	3156714.00
4	श्री ए. के. झा, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना)	1107326.00	469518.00	132879.00	शून्य	शून्य	1709723.00

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान मंडल की प्रत्येक सभा में उपस्थित होने के लिए स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क ₹ 15,000/- (₹ पन्द्रह हजार) और समिति की सभा के लिए ₹ 10,000/- (₹ दस हजार) अदा किया गया।

3.4 परियोजना एवं कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीपीआरसी)

परियोजना एवं कार्यनिष्पादन समीक्षा समिति में श्री जी. पी. कुंदरगी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, और श्री.लोकेश चन्द्र, सचिव -भारत सरकार, एमओएस, श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्य), श्री. एम. पी. चौधरी निदेशक (वित्त), श्री ए. के. झा, निदेशक (उत्पादन एवं आयोजना) शामिल है।

समिति समय-समय पर कंपनी द्वारा की गई विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति और प्रदर्शन की समीक्षा करती है और मंडल को इसकी जानकारी देती है।

कंपनी के सचिव श्री नीरज दत्त पांडे समिति के सचिव के तौर पर कार्य करते है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दो सभाएं आयोजित की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार है :

क्रम सं.	तारीख	संबंधित सभा में समिति के सदस्यों की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	25.05.2013	5	5
2.	07.08.2013	4	4

3.5 निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास समिति (सीएसआर)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास नीति बनाने/समीक्षा करने, कंपनी द्वारा स्वीकृत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है, ताकि स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप यह कार्य किए जा रहे, यह सुनिश्चित किया जा सके। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास के सभी प्रस्तावों को मंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले समिति के समक्ष रखा जाएगा और यदि उपयुक्त पाया जाता है तो समिति मंडल को इसकी सिफारिश की करेगी।

ए) विचारार्थ विषयों का संक्षिप्त विवरण

समिति के उत्तरदायित्व इस प्रकार है :-

1. कंपनी की सीएसआर और संधारणीय विकास नीति की समीक्षा करना, यदि आवश्यक हो,

2. सीएसआर और संधारणीय विकास पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन अथवा तत्समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अनुपालन की समीक्षा करना,
3. मॉयल के मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर और संधारणीय विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और पर्यवेक्षण,
4. सीएसआर और संधारणीय विकास नीति के अंतर्गत की जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के अनुमोदन की सिफारिश करना,
5. समय-समय पर मंडल द्वारा निर्धारित कोई अन्य विषय।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान सीएसआर और एसडी समिति की 5 सभाएं आयोजित की गई, जो 25 मई, 20 जून, 07 अगस्त, 15 अक्तूबर 2013 और 11 फरवरी 2014 को आयोजित की गई। समिति के सदस्यों द्वारा सभा में उपस्थिति और सदस्यों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं.	सदस्य का नाम	समिति के सदस्य के कार्यकाल के दौरान आयोजित सभाएं	सभा में उपस्थिति
1.	श्री एच. सी. डिसोदिया (08.11.2013 तक)	4	4
2.	श्री विजय काले (20.06.2013 तक)	2	2
3.	डॉ. डी. डी. कौशिक (08.02.2014 तक)	4	0
4.	डॉ. मधु विज (20.06.2013 तक)	2	2
5.	श्री. एम. पी. चौधरी (07.08.2013 तक)	3	3
6.	श्री बी. के. गुप्ता (20.06.2013 से 08.11.2013 तक)	2	2
7.	श्री ए. के. झा (07.08.2013 से)	2	2
8.	श्री. जे. पी. डांगे (19.01.2014 से)	1	1
9.	सुश्री सुनंदा प्रसाद (19.01.2014 से)	1	1
10.	श्री. जी. एस. ग्रोवर (19.01.2014 से)	1	1

3.6 शेयरों के बायबैक और शेयरों में निवेश की सीपीएसई समिति :

शेयरों के बायबैक और शेयरों में निवेश की सीपीएसई समिति का गठन सरकार द्वारा उसकी अधिशेष रोकड़ से अन्य सीपीएसई में सीपीएसई द्वारा शेयरों का बायबैक और सीपीएसई द्वारा इक्विटी की खरीदी के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अध्ययन करने तथा मॉयल द्वारा सीपीएसई के शेयरों में कंपनी की अधिशेष निधि का निवेश / शेयर के बायबैक की संभावनाओं का पता लगाने, बायबैक के विभिन्न पहलुओं को खोजने और मंडल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए किया गया है।

31.03.2014 को समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल है :

1.	श्री. जी. पी. कुंदरगी, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री. लोकेश चन्द्र, (भारत सरकार के नामित निदेशक	सदस्य
3.	श्री. मुकुंद पी. चौधरी, निदेशक (वित्त)	सदस्य

कंपनी के कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

रिपोर्ट में वर्ष के दौरान समिति की कोई सभा नहीं हुई है।

3.7 पेंशन नियमावली समिति

मॉयल समूह सेवनिवृत्ति नकद संचय योजना (परिभाषित अंशदान) नियमावली के परीक्षण और समीक्षा के लिए और मंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ इसकी सिफारिश करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2013 को श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्यिक), श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त) और श्री ए. के. झा, निदेशक (उत्पादन और आयोजना) समिति के सदस्य थे।

3.8 मॉयल की भर्ती और पदोन्नति नियमावली 2013 समिति

मॉयल के भर्ती और पदोन्नति नियमावली, 1994 में संशोधन की के परीक्षण और समीक्षा के लिए और मंडल के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ इसकी सिफारिश करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2013 को श्री ए. के. मेहरा, निदेशक (वाणिज्यिक) और श्री एम. पी. चौधरी, निदेशक (वित्त) समिति के सदस्य थे।

4. सर्वसाधारण सभा

4.1 कंपनी की पिछली तीन वार्षिक सर्वसाधारण सभाओं का विवरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

वर्ष	तारीख	समय	स्थान	पारित विशेष प्रस्तावों की संख्या
2010-11	23 सितम्बर, 2011	02.30 बजे	वसंतराव देशपांडे सभागृह, एमएलए होस्टल के पास, सिविल लाइन्स, नागपुर - 440 001	शून्य
2011-12	27 जुलाई, 2012	02.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व- सरकारी) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर - 440 013	शून्य
2012-13	22 अगस्त, 2013	02.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिल्हा परिषद (पूर्व- सरकारी) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर - 440 013	शून्य

4.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

4.3 आगामी वार्षिक सर्वसाधारण सभा में पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव संचालित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है।

5. नियंत्रित कंपनी की सूचना : मॉयल की कोई नियंत्रित कंपनी नहीं है।

6. प्रकटीकरण

ए. कंपनी ने संबंधित पक्ष से ऐसा कोई महत्वपूर्ण व्यवहार नहीं किया है जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित संघर्ष निर्माण कर सकता है। फिर भी पक्षों से संबंधित व्यवहार को लेखों पर टिप्पणी के मद संख्या 13 के नोट नं. 1.2 में प्रकट किया गया है।

बी. कंपनी अधिनियम, 1956 या स्टॉक एक्सचेंज या सेबी के नियम एवं विनियम या अन्य कोई सांविधिक प्राधिकारी के प्रावधानों का पालन नहीं करने का कोई मामला नहीं हुआ है। पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजारों से संबंधित किसी भी मामले पर इन प्राधिकारियों ने कंपनी पर कोई आक्षेप या जुर्माना नहीं लगाया है।

सी. गैर-कार्यकारी निदेशक कंपनी में कोई भी शेयर या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट्स धारण नहीं कर रहे है।

डी. कंपनी के किसी कार्मिक ने लेखा-परीक्षा समिति से मिलने से इनकार नहीं किया है।

ई. निदेशक मंडल के गठन से संबंधित प्रावधानों के अलावा कंपनी द्वारा निगमित शासन पर डीपीई के दिशानिर्देशें और खण्ड 49 के जरूरी प्रावधानों का अनुपालन किया गया है। मॉयल एक सरकारी कंपनी है तथा निदेशक इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय में लंबित है।

खण्ड 49 की अनिवार्य और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अंगीकरण

मॉयल ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 (उपरोक्त उल्लेखित को छोडकर) में सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुलग्नक आईडी में निर्देशित गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए/अनुपालित क्षेत्र नीचे दर्शाए अनुसार है :

1. चूंकि कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कंपनी के पूर्णकालिक कार्मिक है, इसलिए अध्यक्ष का अलग से कार्यालय रखना आवश्यक नहीं है। आगे भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्षों के कार्यकाल हेतु की जाती है। इसलिए किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने कुल मिलाकर 9 वर्षों से अधिक की सेवा प्रदान नहीं की है।

2. कंपनी ने पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसका विवरण अनुक्रमांक 3.3 में दर्शाया गया है।

3. कंपनी अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को "मिन्स ऑफ कम्यूनिकेशन" शीर्षक के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों में प्रकाशित करती है। इन अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in पर भी डाला गया है, लेकिन अलग से परिचालित नहीं किया गया है। कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार-पत्रों तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेषित करती है।

4. कंपनी का हमेशा प्रयास रहता है कि अनक्वालिफाइड वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

5. कंपनी के निदेशकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया गया है।

6. एक सरकारी कंपनी होने के कारण सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन इस्पात मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अतः गैर-कार्यपालक निदेशकों के मूल्यांकन के लिए कोई पियर ग्रुप का गठन नहीं किया गया है।

7. संचार के माध्यम

7.1 कंपनी अपने अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित तिमाही वित्तीय परिणामों को प्रमुख राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों जैसे इकॉनॉमिक टाइम्स तथा हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र जैसे नवभारत में प्रकाशित करती है।

7.2 यह अन-अंकेक्षित/अंकेक्षित वित्तीय परिणामों को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

7.3 कंपनी अपनी प्रमुख गतिविधियों, उपलब्धियों, प्रस्तुतीकरणों इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, समाचार-पत्र तथा अपनी वेबसाइट पर भी संप्रेषित करती है।

8. सामान्य अंशधारक जानकारी

8.1 वार्षिक सर्वसाधारण सभा

दिनांक	दिवस	समय	स्थान
30.08.2014	शनिवार	11.30 बजे	मॉयल लिमिटेड, गोल्डन जुबली हॉल, वेस्ट कोर्ट परिसर, जिला परिषद (पूर्व-सरकारी) हायस्कूल के सामने, काटोल रोड, नागपुर - 440 013

8.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी ने वित्तीय वर्ष प्रणाली को अपनाया है जो प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह के पहले दिन से प्रारंभ होकर मार्च माह के 31वें दिन को समाप्त होता है।

8.3 रजिस्टर बंद होने की तारीख

दिनांक 23 अगस्त, 2014 से 30 अगस्त, 2014 (दोनों दिवस शामिल)

8.4 लाभांश भुगतान तिथि

लाभांश के घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर अंशधारकों को उसका भुगतान/प्रेषण किया जाता है।

8.5 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग

आपकी कंपनी के शेयरों को दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 को सूचीबद्ध किया गया है। एक्सचेंजों और स्टॉक कोड का विवरण इस प्रकार है :

स्टॉक एक्सचेंज	शेयरों के प्रकार	स्टॉक कोड
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	इक्विटी शेयर	533286
नैशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड	इक्विटी शेयर	मॉयल -ईक्यू

वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक सूचीबद्ध शुल्क उपरोक्त दोनों एक्सचेंज को अदा कर दिया गया है।

बाजार मूल्य डेटा - पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च एवं निम्न मूल्य

माह	एनएसई		बीएसई	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2013	244.20	217.20	244.00	217.05
मई, 2013	227.45	197.00	227.00	197.60
जून, 2013	209.90	187.20	210.90	187.75
जुलाई, 2013	206.00	186.05	205.95	186.00
अगस्त, 2013	216.05	182.00	216.50	182.35
सितम्बर, 2013	228.00	196.15	226.00	202.00
अक्तूबर, 2013	239.45	200.05	239.35	201.00
नवम्बर, 2013	238.50	213.60	239.00	223.00
दिसम्बर, 2013	248.90	227.20	248.00	228.10
जनवरी, 2014	241.25	218.10	241.95	218.00
फरवरी, 2014	235.50	210.35	235.00	210.50
मार्च, 2014	260.95	231.20	259.95	231.00

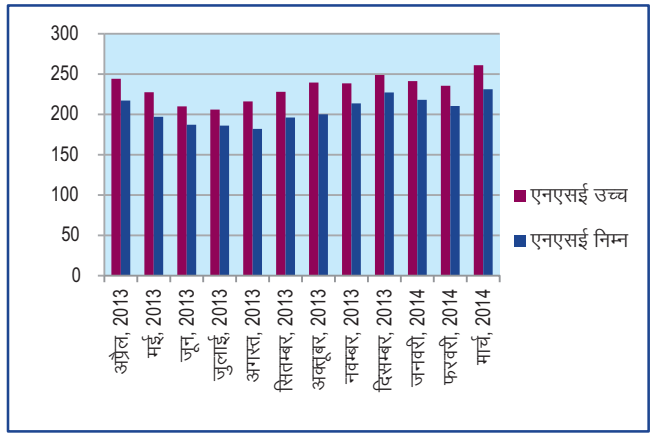

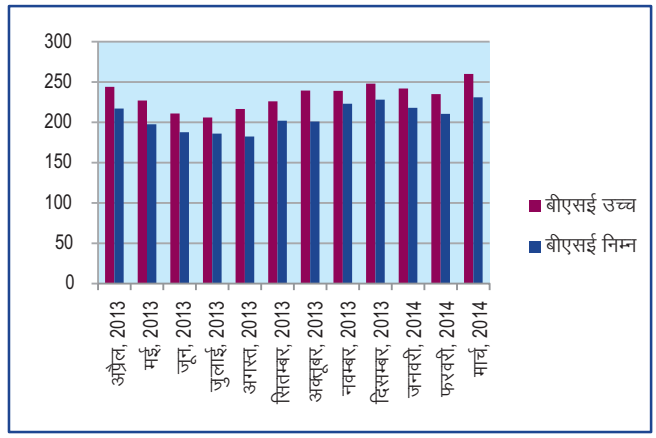

8.6 बीएसई एवं एनएसई ब्रॉड-बेस्ड सूचकांक की तुलना में निष्पादन

माह	एनएसई		बीएसई	
	एस एण्ड पी सीएनएक्स निफ्टी	मॉयल	सेन्सेक्स	मॉयल
अप्रैल, 2013	5930.20	223.25	19504.15	223.55
मई, 2013	5985.95	197.85	19760.30	198.30
जून, 2013	5842.20	199.70	19395.81	199.60
जुलाई, 2013	5742.00	187.80	19345.70	188.15
अगस्त, 2013	5471.80	209.95	18619.72	209.45
सितम्बर, 2013	5735.30	203.50	19379.77	203.30
अक्तूबर, 2013	6299.15	234.40	21164.52	235.05
नवम्बर, 2013	6176.10	229.20	20791.93	229.15
दिसम्बर, 2013	6304.00	241.80	21170.68	239.90
जनवरी, 2014	6089.50	220.05	20513.85	219.50
फरवरी, 2014	6276.95	232.85	21120.12	231.95
मार्च, 2014	6704.20	251.45	22386.27	250.95

8.7 पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता का नाम व पता

पंजीयक एवं हस्तांतरण अभिकर्ता
बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. ई-2 एण्ड 3, अंसा इण्डस्ट्रियल इस्टेट साकी-विहार रोड, साकीनाका, अंधेरी (ईस्ट), मुम्बई - 400 072 **टेलीफोन:** 91-22-40430200 **फैक्स :** 91-22-2847 5207 **ईमेल :** investor@bigshareonline.com **वेबसाईट :** www.bigshareonline.com

8.8 शेयर हस्तांतरण प्रणाली

भौतिकीय खण्ड के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण के कार्य बिग शेयर सर्विसेस प्रा. लि. के द्वारा किए जा रहे है। शेयर हस्तांतरण प्रणाली में हस्तांतरिती से हस्तांतरण विलेख के साथ शेयरों के हस्तांतरण की रसीद, इसका सत्यापन, हस्तांतरण का ज्ञापन तैयार करना इत्यादि शामिल है। कंपनी की प्रतिभूतियों के आबंटन एवं उत्तर आबंटन के लिए मंडल की उप-समिति द्वारा शेयर हस्तांतरण अनुमोदित किया जाता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 47-सी के अनुसरण में छमाही आधार पर निर्धारित समय के भीतर शेयर हस्तांतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि करते हुए कार्यकारी कंपनी सचिव द्वारा प्रमाणपत्र स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत किया गया है।

8.9 मंडल और लेखा-परीक्षा समिति के लिए बैठकों का संभावित कैलेंडर

समाप्त तिमाही	सभा की संभावित तारीख
30.06.2014	10.08.2014
30.09.2014	10.11.2014
31.12.2014	10.02.2015
31.03.2015	25.05.2015

उपरोक्त के अतिरिक्त जब भी आवश्यक हो सभा का आयोजन किया जा सकता है।

8.10 शेयर धारणाधिकार का वितरण

ए. 31 मार्च, 2014 को आकार के अनुसार धारणाधिकार का प्रतिशत

शेयर की संख्या	शेयर धारकों की संख्या	शेयर धारकों का प्रतिशत	कुल शेयरों की संख्या	शेयर का प्रतिशत
1-5000	371637	99.2787	10964362	6.5264
5001- 10000	1560	0.4167	1125921	0.6702
10001-20000	593	0.1584	857048	0.5101
20001-30000	162	0.0433	406307	0.2418
30001-40000	87	0.0232	312665	0.1861
40001-50000	64	0.0171	297925	0.1773
50001-100000	101	0.0270	729079	0.4340
100001 एवं अधिक	133	0.0355	153306693	91.2540
कुल	**374337**	**100.0000**	**168000000**	**100.0000**

बी. 31 मार्च, 2014 को शेयर धारणाधिकार का श्रेणीवार सारांश

श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
केन्द्र/राज्य सरकार (प्रमोटर्स/प्रमोटर्स समूह)	134400000	80.00
जनता	13995675	8.33
विदेशी संस्थागत निवेशक	12332518	7.34
निगमित संस्था	2240751	1.33
म्युचुअल फंड	1438422	0.86
वित्तीय संस्थान एवं बैंक	2224032	1.32
इंश्योरेंस कंपनी	1011234	0.60
अनिवासी भारतीय	254535	0.15
क्लियरिंग सदस्य	66414	0.04
न्यास	22455	0.01
कर्मचारी	13964	0.01

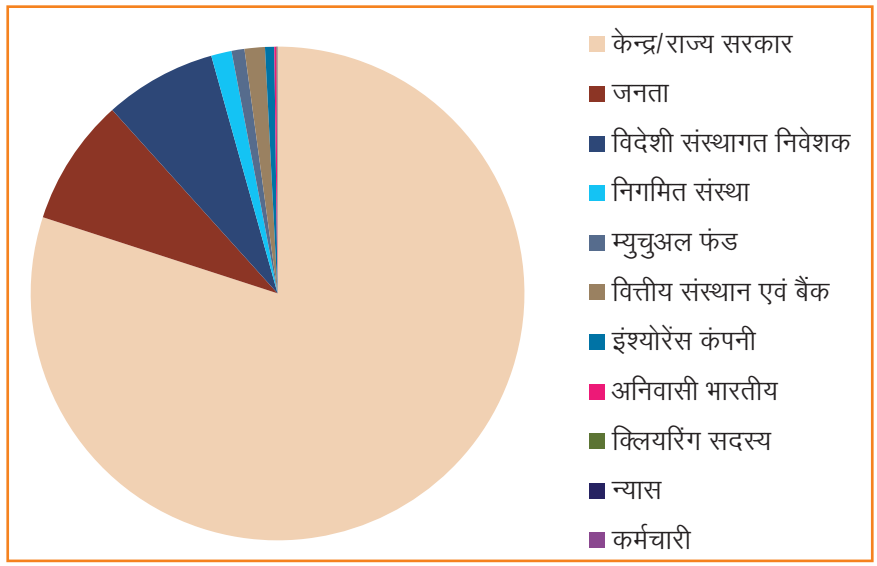

8.11 शेयर का विभौतिकीकरण एवं नकदीकरण

नैशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) तथा सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ कंपनी के शेयरों का विभौतिकीकरण किया जाता है।

31.03.2014 को विभौतिकीय और भौतिकीय रूप में शेयरों की संख्या

श्रेणी	शेयरों की संख्या	जारी की गई कुल पूंजी का प्रतिशत
सीडीएसएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	5507582	3.28
एनएसडीएल के साथ डिमैट प्रणाली में शेयर	162492252	96.72
भौतिकीय प्रणाली में शेयर	166	0.00
कुल	16,80,00,000	100.00

8.12 बकाया जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या अन्य परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट, परिवर्तित तिथि एवं इक्विटी पर संभावित प्रभाव

कंपनी द्वारा कोई भी जीडीआर/एडीआर/वारन्ट या परिवर्तनीय इन्स्ट्रुमेंट जारी नहीं किए गए है।

8.13 खदानों तथा पवन उर्जा फार्म के स्थान

खदानों की सूची

अनुक्रमांक	खदान का नाम और पता
	महाराष्ट्र
1.	**चिखला खदान** पो.ऑ. चिखला, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन - 441 920
2.	**डोंगरी बजुर्ग खदान** पो.ऑ. डोंगरी बजुर्ग, तहसील तुमसर, जिला भंडारा, महाराष्ट्र पिन - 441 907
3.	**बेलडोंगरी खदान** पो.ऑ. सातुक, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 105
4.	**कान्द्री खदान** पो.ऑ. कान्द्री, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 401
5.	**मनसर खदान** पो.ऑ. मनसर, तहसील रामटेक, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 106
6.	**गुमगाँव खदान** पो.ऑ. खापा, तहसील सावनेर, जिला नागपुर, महाराष्ट्र पिन - 441 101
	मध्यप्रदेश
7.	**बालाघाट खदान** पी.ओ. भारवेली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 102
8.	**उकवा खदान** पी.ओ. उकवा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 105
9.	**तिरोडी खदान** पी. ओ. तिरोडी, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 449
10.	**सीतापातोरे खदान** पी.ओ. सुकली, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश पिन - 481 449

पवन उर्जा फार्म की सूची

1.	नागदा हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश
2.	रातेडी हिल्स, जिला देवास, मध्यप्रदेश

8.13 पत्रव्यवहार के लिए पता

पंजीकृत कार्यालय
मॉयल लिमिटेड
"मॉयल भवन",
1-ए, काटोल रोड,
नागपुर - 440 013

9. आचार संहिता

अपने कर्मचारियों के लिए आचरण के उत्तम मानकों को स्थापित करने के मॉयल के निरंतर प्रयासों के एक भाग के रूप में सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" बनाया गया है। उक्त संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाईट www.moil.nic.in में प्रस्तुत की गई है। कंपनी के सभी मंडल सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान मॉयल की "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" का पालन करने का अभिवचन दिया है।

घोषणा

स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में किए गए प्रावधान के अनुसार कंपनी के सभी मंडल सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए "कोड ऑफ बिजनेस कन्डक्ट्स एण्ड एथिक्स" का अनुपालन करने की पुष्टि करते है।
मंडल के निदेशकों की ओर से

कृते मॉयल लिमिटेड

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/05/2014

10. सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 के अनुसार कंपनी के सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र निगमित शासन रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

11. व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी

कंपनी के पास कोई विशिष्ट व्हीसल ब्लोअर पॉलिसी नहीं है लेकिन अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचार संहिता या नैतिक नीतियों के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के नेतृत्व में सक्षम एवं स्वतंत्र सतर्कता विभाग कंपनी में विद्यमान है। और सभी कर्मियों को अपनी तक्रार शिकायतों इत्यादि को सतर्कता विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की सुलभता है।

12. मंडल के सदस्यों का प्रशिक्षण

मंडल सदस्यों के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया गया। लेकिन व्यापार से संबंधित मामलें, जोखिम मूल्यांकन आदि विषयों पर मंडल/समिति सभाओं में वरिष्ठ अधिकारी/व्यावसायिक/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया जाता है। विभिन्न बाहरी संस्थाओं/एजेन्सियों द्वारा आयोजित संगोष्ठी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु कंपनी अपने निदेशकों को नामित भी करती है।

13. लागू कानूनों के अनुपालन की समीक्षा

कंपनी में लागू सभी कानूनों के अनुपालन रिपोर्ट की समीक्षा समय-समय पर मंडल द्वारा की जाती है तथा सभी लागू कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है।

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणीकरण

सेवा में,
निदेशक मंडल
मॉयल लिमिटेड
नागपुर

ए) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमने 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों एवं नकद प्रवाह विवरण की समीक्षा की है:

(i) इन विवरणों में कोई महत्वपूर्ण असत्य विवरण नहीं है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य का विलोप नहीं किया गया है या ऐसे विवरण शामिल नहीं है जो गुमराह कर सकते है।

(ii) इन विवरणों के साथ कंपनी के कार्यकलापों की सही एवं निष्पक्ष छवि प्रस्तुत होती है तथा यह मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों एवं विनियमों के अनुपालन में है।

बी) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर कंपनी द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करता हो।

सी) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं बनाए रखने की जिम्मेदारी को स्वीकार करते है तथा हमने कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभाव का मूल्यांकन किया है तथा हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की संरचना या प्रचालन में कमियों, यदि कोई हो, जिसकी हमें जानकारी हो तथा इन कमियों को सुधारने के लिए उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में हमने उनके समक्ष प्रकटीकरण किया है।

डी) हमने अंकेक्षक एवं अंकेक्षण समिति को सूचित किया है कि :

(i) वर्ष 2013-14 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में उल्लेखनीय परिवर्तन;

(ii) वर्ष 2013-14 के दौरान लेखांकन नीतियों में उल्लेखनीय परिवर्तन तथा उसे वित्तीय विवरणी की टिप्पणी में प्रकट किया है; तथा

(iii) ऐसे धोखाधड़ी के मामले जिसकी हमें जानकारी हुई है तथा उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की संलिप्तता, यदि कोई हो, जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में उल्लेखनीय भूमिका है।

एम.पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23/05/2014

अनुलग्नक III
प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट वर्ष 2013-14

प्रस्तावना

प्रबंधकीय विवेचन तथा विश्लेषण रिपोर्ट (एमडीएआर) का उद्देश्य कंपनी के कारोबारी माहौल में विकास एवं पिछली रिपोर्ट की तुलना में कंपनी का कार्य-निष्पादन तथा भावी दृष्टिकोण को विषद करना है। एमडीएआर निदेशक की रिपोर्ट का एक भाग है। किसी भी कंपनी का कार्य-निष्पादन विभिन्न घटकों से जुड़ा होता है जिसमें माँग, पूर्ति, जलवायु स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनैतिक स्थिति, सरकारी नियमों तथा नीतियों, कराधान एवं प्राकृतिक आपदा शामिल है, जो कंपनी के नियंत्रण कक्षा से बाहर है तथा जो कंपनी के प्रचालन में उल्लेखनीय अंतर ला सकते है। इसे मद्देनजर रखते हुए अनुमान, दृष्टिकोण, अपेक्षा, आंकलन इत्यादि के संबंध में इस रिपोर्ट में दिए गए कुछ कथन वास्तविकता से अलग हो सकते है।

ए) औद्योगिक संरचना, बाजार परिदृश्य, अवसर और चुनौती, संभावना, जोखिम और चिंता

- **औद्योगिक संरचना और बाजार परिदृश्य**

भारतीय इस्पात उद्योग एक ऐतिहासिक मुकाम पर खड़ा है - पहले से नियोजित बड़े पैमाने के निवेशों के साथ विकास के एक उच्च स्तर की बढ़त छूने के लिए तैयार है। देश ने कई वर्षों से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक राष्ट्र होने की अपनी स्थिति को कायम रखा है और अब से कुछ वर्षों के समय में दूसरे स्थान पर पहुँचने की संभावना है। विश्व में स्पंज आयरन के उत्पादन में देश अपना शीर्ष स्थान रखता है।

मैंगनीज अयस्क उद्योग का निष्पादन मुख्यतः इस्पात उद्योग के निष्पादन पर निर्भर करता है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) के अनुसार वर्ष की दूसरी छमाही में विकसित दुनिया में उम्मीद से अधिक अच्छे प्रदर्शन के कारण वर्ष 2013 में विश्व में इस्पात की मांग में पिछले पूर्वानुमान से ज्यादा वृद्धि हुई है। ऐसी उम्मीद है कि यूरोजोन में इस्पात की मांग वर्ष 2014 में सकारात्मक विकास की दिशा में जाएगी। यूरोप में सुधार अभी भी धीमा है और अत्यधिक कर्ज और बेरोजगारी से विवश है। उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संरचनात्मक समस्याओं के हल होने की संभावना कम है जो उसे बाहरी झटकों से कमजोर करती है। संक्षेप में विश्व में इस्पात की मांग में सुधार जारी है लेकिन बढ़त अस्थिरता और अनिश्चितता के साथ निम्न दर पर स्थिर हो रही है जो इस्पात कंपनियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना रही है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) के पूर्वानुमान के अनुसार विश्व में इस्पात का उपयोग वर्ष 2014 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर 1527 एमटी तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2013 की 3.6 प्रतिशत बढ़त से अधिक है। यह पूर्वानुमान है कि वर्ष 2015 में विश्व में इस्पात की मांग आगे और 3.3 प्रतिशत से बढ़ेगी और 1576 एमटी तक पहुँचेगी।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) के पूर्वानुमान के अनुसार निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण के कारण भारत में इस्पात की मांग वर्ष 2014 में 3.3 प्रतिशत की बढ़त से 76.2 एमटी तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2013 की 1.8 प्रतिशत की बढ़त से अधिक है, भले ही वह उच्च मुद्रास्फीति और संरचनागत समस्याओं से विवश हो सकती है। अनिश्चितताओं के बावजूद संरचनागत सुधारों को लागू किये जाने की अपेक्षा के साथ इस्पात की मांग वर्ष 2015 में 4.5 प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान है।

विश्व में कच्चे इस्पात का उत्पादन वर्ष 2013 में 2.39 प्रतिशत बढ़त के साथ वर्ष 2012 के 1,545 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2013 में 1,582 मिलियन टन हो गया है, जबकि भारत में इस्पात का उत्पादन 77.56 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2013 में 81.213 मिलियन टन हो गया है, जो 2013 के दौरान 4.709 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करता है। यह भारत में इस्पात उद्योग की तेज बढ़त दर को दर्शाता है।

विश्व मैंगनीज उत्पादन 7.96 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2012 में 53.45 मिलियन टन से बढ़कर 2013 में 57.705 मिलियन टन हो गया, जबकि भारत में वर्ष 2012 में 2.22 मिलियन टन का उत्पादन 7.66 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2013 में 2.05 मिलियन टन हो गया है।

- **क्षमता एवं कमजोरी**

क्षमता

- उच्च श्रेणी के मैंगनीज अयस्क का बड़ा भंडार है।
- परिमाण की दृष्टि से देश में मैंगनीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- देश में फेरो ग्रेड मैंगनीज अयस्क के कुल प्रमाणित भंडार का 55 प्रतिशत से अधिक मॉयल के पास धारित होने की क्षमता है।
- एक कम लागत वाली उत्पादक कंपनी है।
- उत्पादन की वर्तमान दर के अनुसार 40 से अधिक वर्षों तक भंडार टिके रहने की उम्मीद है।
- महाराष्ट्र राज्य में मॉयल के पास 597 हेक्टर मैंगनीज धारित भूमि के लिए प्रास्पेक्टिव लायसेंस (पी.एल.) की मंजूरी है।

- उच्च शुद्ध संपत्ति एवं शून्य ऋण की विशेषता के साथ वित्तीय क्षमता मजबूत है।
- उत्तम कार्य संस्कृति के साथ योग्यता प्राप्त तकनीकी रूप से कुशल मानवबल की उपलब्धता है।
- कंपनी के भंडार मध्य भारत के मैंगनीज पट्टे में स्थित है जो सामान्य रूप में नियमित आकार के है।
- कंपनी की सभी खदानें राज्य/राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी हुई है जिससे उसे सुप्रचालन का लाभ प्राप्त है। उसकी खदानें दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नेटवर्क में स्थित है तथा उसे रेलवे साइडिंग की सुविधा प्राप्त है।
- मैंगनीज अयस्क खनन में मूल सक्षमता है।
- औद्योगिक अशांति या श्रम की समस्या नहीं है।
- मॉयल के मैंगनीज अयस्कों की उत्तम ब्राण्ड छवि है।
- आंतरिक अनुसंधान एवं विकास क्षमता और विकास केन्द्र तथा आंतरिक गवेषण क्षमता जो अयस्क बेनीफिशिएशन एवं खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्य लेने में सक्षम है।

कमजोरी

- खनन कंपनी होने के कारण मॉयल अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा तथा पर्यावरण के व्यापक विनियमों के अधीन है। नियामक मानकों के निरंतर विकास तथा समुदाय की अपेक्षाओं के अनुरूप कंपनी को अनुपालन लागत में वृद्धि तथा अप्रत्याशित पर्यावरण सुधार व्यय करना पड़ता है।
- नये खदान पट्टों के प्राप्त होने में विलंब के कारण नई खदानों को शुरू करने में देरी होकर कंपनी की निवेश योजना प्रभावित होती है।
- कंपनी ने अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय विविधीकरण नहीं किया है। जिसके कारण मैंगनीज उद्योग में आय के विपरित प्रभाव से कंपनी के लाभ को धक्का पहुँचता हैं।
- मॉयल की खदानें काफी पुरानी है तथा उसे पूरी तरह यंत्रीकृत करना बहुत मुश्किल है।
- अयस्क भंडार काफी गहराई में जाने के कारण उत्पादन लागत में भी वृद्धि होती है।

• अवसर और चुनौती

अवसर

- मौजूदा राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) लगभग एक दशक पुरानी है और वर्ष 2005 में जब भारतीय इस्पात उद्योग उच्च बढ़त के मार्ग में आया ही था तब इसे तैयार किया गया था। तब से अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने बदलाव का अनुभव किया है और साथ ही साथ भारतीय इस्पात उद्योग निष्पादन के अनुमानित स्तरों पर श्रेष्ठ रहा है। इस्पात का उपयोग 2005-06 से 2011-12, 2012-13 तक तकरीबन 10 प्रतिशत तक बढ़ गया है और उसी अवधि के दौरान उत्पादन 7.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ गया है। 2007-08 से भारत इस्पात का एक मुख्य आयातकर्ता बन गया। हालांकि 2013-14 में भारत मुख्य निर्यातकर्ता बन गया है और इसे 2014-15 में जारी रखने की उम्मीद है क्योंकि नियंत्रित घरेलु खपत की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादक अतिरिक्त विदेशी लदान गोदी लगाने की सोच रहे है। भारत द्वारा 5.44 एमटी के इस्पात आयात की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान कुल इस्पात का निर्यात 5.59 एमटी रहा।
- सरकार घरेलू और विदेशी दोनों स्त्रोतों से भारतीय इस्पात क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने और निवेश प्रयोजनों के त्वरित कार्यान्वयन को सुगम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे संपूर्ण घरेलू माँग को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 तक 300 मिलियन टन कच्चे इस्पात की क्षमता स्तर तक पहुँचा जा सके तथा 2025-26 तक 275 मिलियन टन के अनुमानित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण आदानों और जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुलभता भी सुनिश्चित की जा सके। (स्त्रोत : मसौदा राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2012)। 12वीं योजना अवधि (2012-16) के अनुसार वर्ष 2016-17 तक इस्पात की उत्पादन माँग तकरीबन 120 मिलियन टन तक पहुँचने की उम्मीद है। इसे देखते हुए फेरो अलॉय की उपलब्धता और आवश्यकता के बीच एक बहुत बड़ा मांग अंतर आने की संभावना है।
- भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज अयस्क निर्माता होने के नाते मॉयल देश के उत्पादन के करीब 50 प्रतिशत उत्पादन के लिए उत्तरदायी है तथा लगभग 73.5 एमटी मैंगनीज अयस्क भंडार एवं संसाधनों का लगभग 44 प्रतिशत प्रमाणिक भंडार होने के कारण अपनी सर्वोच्च स्थिति, मध्यम से उच्च ग्रेड के अयस्क, मध्य स्थित खदानों, मजबूत ग्राहक संबंधों के कारण मॉयल भारत की इस्पात मांग में वृद्धि को पूंजीकृत करने की अच्छी स्थिति में है।
- इस्पात उत्पादन में सिलिको मैंगनीज की क्रमिक उपयोगिता आने के कारण कम/मध्यम श्रेणी के अयस्कों के लिए अच्छा बाजार मिलने की संभावना है।
- कम लागत, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल खनन कंपनी के तौर पर लगातार बनी रही है।
- सशक्त वित्त अर्थात् विशाल नकद संचित निधि के कारण प्रमुख निवेश परियोजनाओं में जाने के अवसर है।
- सेल एवं आरआईएनएल के साथ संयुक्त उद्यम के अंतर्गत फेरो अलॉय उत्पादन से मैंगनीज अयस्क उत्पादन की अपनी अच्छी हिस्सेदारी के लिए तैयार बाजार उपलब्ध करता है।

- कंपनी ने अपनी मौजूदा खदानों के विकास के लिए भारी निवेश की योजना भी बनाई है जिससे भविष्य में मैंगनीज अयस्क की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- सरकार ने महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिलों में 814.71 हेक्टर भूमि के आरक्षित क्षेत्र में से मॉयल को 597 हेक्टर मैंगनीज धारित भूमि के लिए प्रास्पेक्टिव लायसेंस (पी.एल.) प्रदान किया है। यह आरक्षित क्षेत्र कंपनी की मौजूदा खदानों के निकट है तथा उसके मौजूदा पट्टा क्षेत्रों का लगभग 45 प्रतिशत है। अन्य आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाने एवं औपचारिकताओं के पूर्ण हो जाने पर मैंगनीज अयस्क की मांग को पूरा करने तथा भारत में इस्पात की माँग में वृद्धि को पूंजीकृत करने के उत्तम अवसर तैयार हो सकते है। 597 हेक्टर क्षेत्र के संबंध में प्रास्पेक्टिंग लायसेंस विलेख निष्पादित और पंजीकृत हो गए है। मॉयल इन विलेखों की नियम और शर्तों के अनुसार प्रास्पेक्टिंग प्रचालन आरंभ करेगा।
- मैंगनीज अयस्क खनन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव के साथ कंपनी अन्य खनिजों के क्षेत्र में जाने की विस्तार योजना भी बना सकती है।

चुनौती

- मैंगनीज अयस्क का आयात आज भी कंपनी के लाभ मार्जिन के लिए एक जोखिम और चुनौती बना हुआ है।
- विनियामक मंजूरी मिलने में किसी विलंब से भी कंपनी के दीर्घकालिन विकास पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा, खदानों, विशेषकर भूमिगत खदानों के विकास के लिए हाथों में ली गई परियोजनाओं को निर्धारित समय में एवं लागत के अंदर पूरा करने की चुनौती सदैव बनी रहती है तथा इसमें किसी भी तरह की कमी से लक्षित कार्य-निष्पादन पर परिणाम होता है।
- इस्पात उद्योग की चक्रीय प्रकृति होने के कारण मैंगनीज अयस्क की मांग इस्पात क्षेत्र के विकास से आगे जाती है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्टॉक्स की उच्च वस्तुसूची के संबंध में जोखिम का सामना भी कर सकती है और इससे मैंगनीज अयस्क का उठाव प्रभावित हो सकता है, जो अल्पावधि का होता है।
- मॉयल का लगभग 67.5 प्रतिशत उत्पादन भूमिगत खदानों से होता है जिसकी उत्पादन लागत ओपन कास्ट खदानों की तुलना में अधिक होती है। भूमिगत खदानों की लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि से मार्जिन पर विपरित परिणाम हो सकता है।
- मैंगनीज अयस्क के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी के फलस्वरूप इसकी घरेलु कीमतों में गिरावट आ सकती है।

- **संभावना**

मैंगनीज एवं फेरो अलॉय उत्पादों की मांग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग की संभावनाओं एवं समग्र अर्थव्यवस्था के विकास पर निर्भर होती है। विश्व का 90 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज अयस्क का उत्पादन वि-गंधकीकरण एवं इस्पात को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके पहले इस्पात उत्पादन में हुई वृद्धि के कारण मैंगनीज अयस्क एवं फेरो अलॉय की मांग में भारी वृद्धि हुई है।

वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन (डब्लूएसए) का अनुमान है कि भारत का स्टील उपयोग वर्ष 2014 में 3.3 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 एमटी पहुंच जाएगा। आगे, 2015 में, ढांचागत सुधारों को लागू किए जाने की उम्मीद पर विकास दर में 4.50 प्रतिशत तेजी आने का पूर्वानुमान है। विश्व परिदृश्य के अनुसार इस्पात का उपयोग भी वर्ष 2013 में 3.6 प्रतिशत की बढ़त के साथ वर्ष 2014 में 3.1 प्रतिशत बढ़कर 1,527 एमटी वृद्धि की संभावना है। वर्ष 2015 में, दुनिया में स्टील की मांग 3.3 प्रतिशत और बढ़कर 1,576 एमटी के आसपास होगी।

वर्ष की दूसरी छमाही में विकसित देशों में अपेक्षा से अधिक अच्छे प्रदर्शन के कारण वर्ष 2013 में दुनिया में इस्पात की माँग पिछले पूर्वानुमान से अधिक बढ़ी है। यह उम्मीद है कि विश्व में इस्पात की मांग में सुधार जारी है लेकिन बढ़त अस्थिरता और अनिश्चितता के साथ निम्न दर पर स्थिर हो रही है जो इस्पात कंपनियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण वातावरण बना रही है।

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के साथ इस्पात की माँग में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो बदले में देश में मैंगनीज अयस्क उद्योग के लिए अच्छे अवसर प्रदान करेगी। मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात अलॉय में मजबूती, कठोरता, टिकाऊपन और संक्षारण प्रतिरोध के रूप में कई अनुकूल विशेषताओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अतः मैंगनीज अयस्क उद्योग का विकास इस्पात उद्योग के विकास के साथ भली-भाँति संतुलित होता है।

देश में प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग तकरीबन 60 किलो के साथ विश्व के औसत प्रति व्यक्ति इस्पात उपयोग 214 किलो की तुलना में बहुत कम है। वास्तव में, अधिकांश विकसित देशों में यह 250 किलो से अधिक है। यह देश में इस्पात उद्योग के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है परिणामस्वरूप मैंगनीज अयस्क की माँग को बढ़ाता है।

भारत आज भी मैंगनीज अयस्क का शुद्ध आयातक है।

घरेलू फेरो अलॉय निर्माताओं की मैंगनीज अयस्क आवश्यकताओं में काफी वृद्धि हुई है। भारत में उच्च श्रेणी मैंगनीज अयस्क की कम उपलब्धता के कारण निर्माता मैंगनीज अयस्क का आयात नियमित रूप से कर रहे है। वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान देश में मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 2.57 मिलियन टन रहा है। वर्ष 2012-13 में तकरीबन 2.327 एमटी की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान यह आयात 2.195 एमटी रहा है। (स्रोत : डीजीएफटी)

- **जोखिम और चिंता**

मैंगनीज अयस्क उद्योग सीधे तौर पर इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है जिसकी चक्रीय प्रकृति है तथा मैंगनीज अयस्क की मांग पर असर डालती है। मॉयल एक श्रमिक बहुल संगठन है। यद्यपि, कंपनी में औद्योगिक संबंध उत्कृष्ट है लेकिन श्रमिक से जुड़े जोखिम हमेशा उत्पादन के निष्पादन में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते है।

पिछले वर्ष के दौरान इस्पात उद्योग में बढ़त अपेक्षा अनुरूप नहीं रही है और खपत की अपेक्षा की तुलना में बढ़त पिछले चार साल में सबसे कम है। वर्ष 2013-14 में यह 73.932 एमटी के साथ केवल 0.6 प्रतिशत से बढ़ी है। यह अगले 3-4 साल में दूसरे सबसे बड़े इस्पात विनिर्माण राष्ट्र बनने की भारत की अभिलाषा को एक धक्का है और इन बाधाओं के कारण यह संभव नहीं लगता है।

भूमि और खदान के अधिग्रहण के लिए नियामक मंजूरी के अतिरिक्त, मांग परिदृश्य अगले कुछ वर्षों के लिए अनिश्चित सा लग रहा है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी सुधार की स्थिति में है।

उच्च तेल कीमतें अभी भी वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए एक जोखिम है। भारत में, मुद्रास्फीति, हालांकि कम हो गई है लेकिन अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है और विकास के लिए नकारात्मक पहलू है। आपूर्ति पक्ष के उपायों में सुधार और उत्पादकता में सुधार पर ध्यान देने की जरूरत है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैंगनीज अयस्क की अधिक आपूर्ति अभी भी चिंता का एक अन्य विषय बना रहेगा तथा यह लम्बे समय में घरेलू मैंगनीज की कीमतों को कमजोर कर सकता है।

बी) खण्ड अथवा उत्पादानुसार निष्पादन

बिक्री निष्पादन

मात्रा

पिछले वर्ष 11.93 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 11.33 लाख टन मैंगनीज अयस्क की बिक्री की गई। पिछले वर्ष के 1014 टन की तुलना में 893 टन इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) की बिक्री हुई, जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में 10080 टन फेरो मैंगनीज की बिक्री की तुलना में 8707 टन की बिक्री की गई। कंपनी ने पिछले वर्ष के 9397 टन की तुलना में 15352 टन फेरो मैंगनीज स्लैग की बिक्री दर्ज की है। पिछले वर्ष के 274.24 लाख (केडब्लूएच) यूनिट की तुलना में चालू वर्ष में 253.87 लाख (केडब्लूएच) यूनिट बिजली की बिक्री एमपीईडीसीएल को की गई।

मूल्य

पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान ₹ 967.12 करोड़ (निर्मित उत्पादों की ₹ 67.13 करोड़ और बिजली की ₹ 9.26 करोड़ बिक्री सहित) की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान बिक्री कारोबार ₹ 1021.28 करोड़ (निर्मित उत्पादों की ₹ 66.61 करोड़ और बिजली की ₹ 8.52 करोड़ बिक्री सहित) था।

ई-सेल्स

कंपनी के व्यवहार में पारदर्शिता लाने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त ने ई-कॉमर्स पर जोर दिया है। इसे दृष्टि में रखते हुए तथा मैंगनीज अयस्क का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए तथा अधिक से अधिक ग्राहकों की भागीदारी जुटाने के लिए इस वर्ष के दौरान भी कंपनी लगातार ई-सेल पर जोर देती रही है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ई-ऑक्शन के माध्यम से कंपनी ने सफलतापूर्वक 30 निलामी करके मैंगनीज अयस्क, फेरो मैंगनीज, स्लैग तथा डायऑक्साइड अयस्क के विभिन्न श्रेणियों की ₹ 86.26 करोड़ के 50575 टन की बिक्री की है।

उत्पादन

पिछले वर्ष के दौरान 11.39 लाख टन की तुलना में चालु वित्तीय वर्ष में कंपनी ने विभिन्न श्रेणियों के मैंगनीज अयस्क का 11.35 लाख टन उत्पादन किया है। इलैक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) का उत्पादन 923 टन (गत वर्ष 786 टन) हुआ जबकि पिछले वर्ष के 9210 टन फेरो मैंगनीज के उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 10042 टन फेरो मैंगनीज का उत्पादन दर्ज किया है। गत वर्ष के 11510 टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष 12750 टन फेरो मैंगनीज स्लैग का उत्पादन रिकार्ड किया है। पवन उर्जा संयंत्र द्वारा पिछले वर्ष के 375.45 लाख (केडब्लूएच) यूनिट की तुलना में इस वर्ष 332.06 लाख (केडब्लूएच) यूनिट का निर्माण किया गया।

सी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा उसकी यथेष्ठता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण के औचित्य का आंकलन करने, नीतियों, प्रक्रियाओं का पालन करने एवं किसी भी अंतर को ठीक करने के लिए एक आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली विद्यमान है। आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग तथा आंतरिक अंकेक्षण एक बहु-अनुशासनिक कार्य है जो अनुभवी विशेषज्ञों की टीम द्वारा संचालित किया जाता है।

उचित लेखांकन नियंत्रण के रखरखाव के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने, प्रचालन की मॉनिटरिंग करने, संपत्तियों के अनधिकृत उपयोग या हानियों से बचाव करने, नियमों का पालन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए इस नियंत्रण प्रणाली को डिजाइन किया गया है। उत्तम निगमित प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जोखिम प्रबंधन को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित तथा अनुशासित दृष्टिकोण भी ला रही है।

व्यवस्था तथा आंतरिक यंत्रणा में पारदर्शिता को लक्षित करते हुए मंडल द्वारा गठित अंकेक्षण समिति की देखरेख में आंतरिक लेखा-परीक्षा समस्त नियंत्रण का कार्य देखती है। मंडल की अंकेक्षण समिति सक्रिय रूप से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की यथेष्ठता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा करती है तथा इसको सक्षक्त बनाने के लिए सुधार के सुझाव देती है। कंपनी में सर्वांगीण सुधार लाने के लिए विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को समाविष्ट करते हुए वार्षिक अंकेक्षण कार्यक्रम बनाए जाते है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आम तौर पर कंपनी के आकार के अनुरूप होती है। तथापि, कंपनी अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक लेखा-परीक्षा और ईआरपी के क्रियान्वयन को सशक्त बनाने का प्रयास करती रहती है। लेखा-परीक्षा में पाए गए महत्वपूर्ण लेखा निष्कर्षों को कंपनी की अंकेक्षण समिति को प्रस्तुत किया जाता है तथा अंकेक्षण समिति के माध्यम से मंडल को प्रस्तुत किया जाता है।

डी) प्रचालनिक कार्य-निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर परिचर्चा

पिछले वर्ष की तुलना में मैंगनीज अयस्क के बाजार ने बेहतर प्रदर्शन किया है जिससे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान कंपनी के उच्चस्तर और निम्नस्तर दोनों कार्य-निष्पादन बढ़ाने में मदद मिली है।

वित्तीय निष्पादन

₹ करोड़ में

विवरण	2013-14	2012-13
शुद्ध बिक्री	1021.28	967.12
अन्य आय	303.32	235.27
कुल आय	1324.60	1202.39
कुल व्यय	520.10	532.57
सकल मार्जिन	804.51	669.82
मूल्य ऱ्हास	35.18	33.03
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ	769.33	636.78
आयकर प्रावधान	259.76	205.06
वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ	509.56	431.72
लाभ-हानि लेखा में प्रारंभिक लाभ	12.22	14.52
लाभांश और लाभांश कर	147.87	107.39
सामान्य आरक्षित निधि और सीएसआर आरक्षित निधि को स्थानांतरण	370.34	326.63
लाभ अग्रेनीत	5.20	12.22

कंपनी के कुल राजस्व में 10.16 प्रतिशत की बढ़त आयी जो कि पिछले वर्ष के ₹ 1202.39 करोड़ की तुलना में वर्ष के दौरान ₹ 1324.60 करोड़ रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष ₹ 967.12 करोड़ कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 1021.28 करोड़ का कारोबार करके 5.60 प्रतिशत उच्च कारोबार दर्ज किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 769.33 करोड़ रहा जो कि 20.81 प्रतिशत बढ़ गया है, जबकि पिछले वर्ष का ₹ 431.72 करोड़ कर पश्चात लाभ (पीएटी) 18.03 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 509.56 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान कंपनी की ईबीआयडीटीए मार्जिन 69.26 प्रतिशत से बढ़कर 78.77 प्रतिशत हो गई। अपनी व्यवहार कुशल नकद योजना के चलते कंपनी की ब्याज आय पिछले वर्ष ₹ 229.17 करोड़ से वर्ष 2013-14 में 9.03 प्रतिशत से बढ़कर 249.86 करोड़ हो गई।

प्रचालनिक निष्पादन

वर्ष 2009 से जब मांग लगभग 0.6 प्रतिशत से कम हो गई थी तब से इस्पात के उपयोग में अत्यंत धीमी दर से वृद्धि के साथ वर्ष 2013-14 इस्पात उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण था। समग्र बाजार अवस्था, माँग और आपूर्ति पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी का निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है।

उत्पादन समीक्षा

बेहतर योजना और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के कारण कंपनी ने मैंगनीज अयस्क लम्प्स और चीप्स की विभिन्न श्रेणियों के गत वर्ष के 882661 टन के उत्पादन को चालु वर्ष में 889460 टन के उत्पादन से सफलतापूर्वक पार कर लिया है। कंपनी ने गत वर्ष 256234 टन फाइन्स के उत्पादन की तुलना में वर्ष के दौरान 245048 टन फाइन्स के उत्पादन को भी दर्ज किया है।

इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) और फेरो मैंगनीज के मामले में गत वर्ष के निष्पादन की तुलना में क्रमशः 17.30 प्रतिशत (923 टन) और 9.03 प्रतिशत (10042 टन) उत्पादन बढ़ गया है। फेरो मैंगनीज का उत्पादन 9210 टन से 10042 टन बढ़ गया है।

कंपनी की उत्पादकता प्रति मानवपाली आउटपुट 0.805 टन (पिछले वर्ष 0.798 टन) के रूप में उत्कृष्ट रही है।

ई) अनुसंधान और विकास की गतिविधियों का विवरण

एफ) नियोजित श्रम बल की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध की दिशा में भौतिकीय विकास;

जी) पर्यावरण सुरक्षा एवं संवर्धन, प्रौद्योगिकी संवर्धन, अक्षय उर्जा के विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण;

एच) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास।

कृपया निदेशक की रिपोर्ट 2013-14 का संदर्भ लें क्योंकि इसमें मद ई, एफ, जी और एच से संबंधित विवरण शामिल किया गया है।

रात्री के समय, मॉयल, डोंगरी बुजुर्ग खान का दृश्य

अमित के. राजकोटिया
एम.कॉम.एल.एल.बी.डीएमएम एफ.सी.एस.
व्यावसायी कंपनी सचिव

102, श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट, श्रीधर आर्ट्स के ऊपर, झेंडा चौक,
धरमपेठ, नागपुर-400010 ई-मेल-amitraj123@rediffmail.com
सेल: 9823122521 (कार्यालय) 2545670 (आवास) 2731292

निगमित शासन अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्य
मॉयल लिमिटेड

भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए निगमित अधिशासन पर दिशानिर्देश और भारत में स्टॉक एक्सचेंजों के साथ उपर्युक्त कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में निर्धारित किए अनुसार 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड द्वारा निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित अधिशासन की शर्तों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। हमारी जांच का दायरा, डीपीई के दिशानिर्देशों और उपर्युक्त खण्ड में निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तों के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए कंपनी द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित था। यह अंकेक्षण नहीं है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणी पर प्रकट की गई कोई राय है।

हमारी राय में तथा हमारी अधिकतम जानकारी और निदेशकों और प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन के आधार पर और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि बोर्ड की संरचना से संबंधित प्रावधानों के अलावा उपर्युक्त उल्लेखित डीपीई दिशानिर्देशों और लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में निर्धारित निगमित अधिशासन की शर्तें का कंपनी द्वारा अनुपालन किया गया है। लेखा-परीक्षा समिति से संबंधित संरचना का भी दिनांक 09.11.2013 से 18.01.2014 तक पालन नहीं किया गया। हालांकि इस अवधि के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की कोई भी सभा नहीं हुई। कंपनी ने अभ्यावेदन दिया है कि मॉयल के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 138 के अनुसार कंपनी में निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

हम आगे कहना चाहते है कि ऐसा अनुपालन कंपनी की भावी व्यवहार्यता के रूप में कोई आश्वासन नहीं है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का कोई आश्वासन है जिससे प्रबंधन द्वारा कंपनी का व्यवहार संचालित किया जाता है।

नागपुर

हस्ता./-

दिनांक : 19 मई, 2014

सीएस अमित के. राजकोटिया
कार्यकारी कंपनी सचिव
एफसीएस-5561सीपी नं. 5162

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अधीन मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए मॉयल लिमिटेड, नागपुर की वित्तीय विवरणी बनाने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक अंकेक्षक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणी पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो उनकी व्यावसायिक निकाय, भारतीय सनदी लेखापाल संस्था द्वारा निर्धारित, अंकेक्षण मानकों के अनुकूल स्वतंत्र लेखा-परीक्षण पर आधारित है। यह कहा जाता है कि दिनांक 23 मई, 2014 की उनकी अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया है।

में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (बी) के अनुसार मॉयल लिमिटेड, नागपुर के 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष की वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक अंकेक्षण किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्य संबंधी दस्तावेजों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से किया गया तथा यह सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की प्राथमिक जाँच तथा कुछ चुनिंदा लेखा अभिलेखों की जाँच तक सीमित था। मेरे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करने या अनुपूरक जोड़ने का कारण बन सके।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

Tanuja Mittal

(तनुजा एस. मित्तल)
प्रधान निदेशक वाणिज्य लेखापरीक्षा एवं
पदेन सदस्य, लेखापरीक्षा बोर्ड-।।।
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 जुलाई, 2014

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट

मॉयल लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मॉयल लिमिटेड ("कंपनी") के संलग्न वित्तीय विवरणियों का अंकेक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2014 का तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि का विवरण एवं नकद-प्रवाह विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

इन वित्तीय विवरणियाँ को तैयार करने का कार्य प्रबंधन का है जो कंपनी अधिनियम 1956 ("अधिनियम") की धारा 211 की उप-धारा (3सी) में संदर्भित लेखा मानकों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन और नकद-प्रवाह की सही और निष्पक्ष स्थिति प्रकट करता हो। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइनिंग, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है जो एक सही और निष्पक्ष जानकारी देता हो और भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त हो, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियाँ

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। भारत के इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार हमने अंकेक्षण किया है। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा-परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय विवरण भौतिकीय गड़बड़ी से मुक्त है ।

लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोके से हो या त्रुटि से हो। उन जोखिम का आकलन करने में परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा-परीक्षा प्रक्रिया का निर्धारण करने के क्रम में अंकेक्षक वित्तीय विवरणों पर कंपनी की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करता है। लेखा-परीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा किए लेखांकन आकलनों की तर्कसंगतता के साथ ही वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए है वह हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियाँ अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी निर्धारित तरीके से प्रदान करती है तथा आम तौर पर भारत में मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट करती है।

ए. 31 मार्च, 2014 को कंपनी की व्यवहार स्थिति के तुलनपत्र के मामले में; और

बी. वर्ष समाप्ति की उस तिथि पर लाभ के लाभ-हानि लेखा विवरण के मामले में, और

सी. वर्ष समाप्ति की उस तिथि पर नकद प्रवाह के नकद-प्रवाह विवरणी के मामले में।

अन्य संवैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 की उपधारा (4ए) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसरण में आदेश के पैरा 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण हमने अनुलग्नक में संलग्न किया है।

2. अधिनियम की धारा 227(3) की आवश्यकता के अनुरूप हमारी टिप्पणियाँ -

   ए) हमने वह सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   बी) हमारी राय में हमारे द्वारा इन किताबों की जाँच करने पर यह प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा विधि की आवश्यकता के अनुसार लेखा पुस्तकें रखी गई है।

सी) इस प्रतिवेदन से संबंधित तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरण लेखा-पुस्तकों के साथ मेल खाते है।

डी) हमारी राय में तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा विवरण तथा नकद-प्रवाह विवरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3सी) में संदर्भित लेखांकन मानकों का अनुपालन करते है।

ई) निदेशकों से दिनांक 31 मार्च, 2014 को प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिए अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक निदेशकों में से कोई भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

एफ) चूंकि, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441 ए के अंतर्गत उपकर किस दर पर भुगतान किया जाना है इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, न ही उपर्युक्त धारा के अंतर्गत कोई नियमावली जारी की है जिसमें इस तरह का उपकर के भुगतान का तरीका निर्धारित हो, कंपनी द्वारा कोई उपकर देय नहीं है।

कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

सी. ए. सुधीर सुराणा
भागीदार
सदस्यता क्रः 43414
फर्म रजि. नं. 110634 डब्लू

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

स्वतंत्र लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों पर मॉयल लिमिटेड के सदस्यों को समतिथि की हमारी रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित अनुलग्नक

इस तरह की जांच के आधार पर जैसा कि हम यथोचित समझते है और हमारे लेखा-परीक्षा के दौरान हमें दी गई जानकारी और विवरण के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते है कि :

1. ए) कंपनी ने अपने अभिलेखों को व्यवस्थित रखा जिसमें स्थायी संपत्तियों की स्थिति एवं उसके मात्रात्मक विवरण सहित पूरा ब्योरा दर्शाया गया है।

   बी) जैसा कि हमें बताया गया है, वर्ष के अंत में प्रबंधन ने स्थायी संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिकीय गड़बड़ी नहीं पायी गई। हमारी राय में कंपनी के आकार तथा संपत्तियों के प्रकार को देखते हुए वर्ष के अंत में स्थायी संपत्तियों का सत्यापन उचित रहा।

   सी) हमारी राय में, वर्ष के दौरान निपटान की गई स्थायी संपत्तियाँ कंपनी की स्थिति में कोई प्रभाव नहीं डालती है।

2. ए) कंपनी के वस्तुसूची का वर्ष के दौरान उचित अंतराल में प्रबंधन द्वारा भौतिकीय सत्यापन किया गया।

   बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची के भौतिकीय सत्यापन की प्रक्रिया उचित एवं पर्याप्त थी।

   सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है तथा भौतिकीय स्टॉक और लेखा अभिलेख के बीच भौतिकीय सत्यापन में जो विसंगतियाँ पायी गई वह वस्तुगत नहीं थी तथा उसे लेखा-पुस्तकों में उचित ढंग से दर्ज किया गया है।

3. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने ऐसी किसी भी कंपनी, फर्म अथवा अन्य किसी पार्टी से ऋण, सुरक्षित व असुरक्षित रूप में न तो लिया है या दिया है, जिसका ब्योरा रखना कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के आकार एवं व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए वस्तुसूची, स्थायी संपत्ति की खरीदी तथा माल की बिक्री के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया अपनायी गई है। हमारे लेखा-परीक्षा के दौरान इस क्षेत्र में आंतरिक नियंत्रण में कोई बड़ी खामियाँ नहीं पायी गई है।

5. हमारे द्वारा अपनाई गई लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी यह राय है कि ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में पंजीकृत करना आवश्यक है।

6. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने आम जनता से किसी प्रकार जमा स्वीकार नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58(ए) और 58(एए) के अंतर्गत प्रावधान तथा कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 1975 के संबंध में आम जनता से जमा स्वीकार करना कंपनी को लागू नहीं होता है।

7. कंपनी में आंतरिक लेखा प्रणाली विद्यमान है। लेकिन हमारी राय में कंपनी के आकार तथा व्यवसाय के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए इसे और अधिक मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है।

8. केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रख-रखाव को निर्धारित किया गया है और प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत अभिलेख रखे गये हैं। हालांकि लागत अभिलेख सही या संपूर्ण है अथवा नहीं इसे निर्धारित करने के नजरिए से हमने इसका विस्तृत परीक्षण नहीं किया है।

9. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा लेखा-पुस्तकों की जांच के आधार पर कंपनी आम तौर पर वर्ष के दौरान अविवादित वैधानिक देय जैसे भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक देय को उचित प्राधिकारियों को चुकाने के मामले में नियमित रही है।

   व्यवसाय कर और बिक्री कर की बकाया राशि जिसे कंपनी द्वारा विभिन्न विवादों के कारण जमा नहीं किया गया, निम्नानुसार है :

अधिनियम का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मांग की गई राशि	विरोध के अंतर्गत भुगतान राशि	राशि जिस अवधि से संबंधित है	मंच जहां विवाद लंबित है
व्यवसाय कर 1975	निर्धारण बकाया	2.27	1.13	06-07	बिक्री कर अपील (महा.)
व्यवसाय कर 1975	निर्धारण बकाया	7.7	1.93	07-08	बिक्री कर अपील (महा.)
म. प्र. प्रवेश कर अधिनियम, 1975	निर्धारण बकाया	13.68	6.7	08-09	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मंडल
म. प्र. वैट अधिनियम, 2002	निर्धारण बकाया	2.28	0.23	10-11	अपीलीय प्राधिकारी

10 वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी का कोई भी जमा घाटा नहीं है, और उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

11. कंपनी ने किसी वित्तीय संस्थान और बैंक से न तो कोई ऋण लिया है और न ही कोई ऋण पत्र जारी किया है।

12. कंपनी ने शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों के बंधक के माध्यम से सुरक्षा के आधार पर कोई ऋण और अग्रिम नहीं प्रदान किया है।

13. कंपनी कोई चिट फंड, निधि, म्युचुअल फंड या सोसायटी नहीं है इसलिए आदेश के खण्ड 4(गपपप) लागू नही होते है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने शेयरों, प्रतिभूतियों, डिबेंचरों तथा अन्य निवेशों में कारोबार या सौदा नहीं किया है। तद्नुसार, आदेश के खण्ड 4 (गपअ) लागू नहीं होते है।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

16. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई टर्म लोन नहीं लिया है।

17. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अल्प अवधि के आधार पर कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

18. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी पार्टी या ऐसी कंपनी के पक्ष में पूर्वाधिकार अंशों का आबंटन नहीं किया है जिनका रजिस्टर रखना कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अंतर्गत आता है।

19. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई डिबेंचर जारी नहीं किए है।

20. वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने पब्लिक इश्यु के माध्यम से कोई पैसा इकट्ठा नहीं किया है।

21. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर वर्ष के दौरान कंपनी में अथवा कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी का मामला ध्यान में नहीं आया है।

कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

सी. ए. सुधीर सुराणा
भागीदार
सदस्यता क्रः 43414
फर्म रजि. नं. 110634 डब्लू

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र

रूपये लाख में

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
I इक्विटी और देयताएँ					
(1) अंशधारकों की निधि					
(ए) शेयर पूंजी	2.1	16800.00		16800.00	
(बी) आरक्षित निधि तथा अधिशेष	2.2	295933.24		259763.82	
			312733.24		276563.82
(2) गैर-चालू देयताएँ					
(ए) दीर्घकालिक उधार राशियाँ		0.00		0.00	
(बी) आस्थगित कर देयताएँ (शुद्ध)		0.00		0.00	
(सी) दीर्घकालिक प्रावधान	3.1	11281.29		9125.21	
(डी) दीर्घकालिक देयताएँ	3.2	463.70		285.05	
			11744.99		9410.26
(3) चालु देयताएँ					
(ए) दीर्घकालिक उधार राशियाँ		0.00		0.00	
(बी) व्यापार देय	4.1	2747.78		2651.45	
(सी) अन्य चालु देयताएँ	5.1	12887.76		16614.04	
(डी) अल्पकालिक प्रावधान	5.2	7068.67		8251.16	
			22704.21		27516.65
	कुल		347182.44		313490.73
II परिसंपत्ति					
(1) गैर-चालू परिसंपत्ति					
(ए) अचल संपत्ति					
(i) वास्तविक संपत्ति	6.1	22265.15		22266.47	
(ii) अवास्तविक संपत्ति	6.1	968.36		1085.66	
(iii) पूंजी चालु-कार्य	6.1	6882.55		2697.17	
(iv) विकासशील अवास्तविक संपत्ति	6.1	14.70		0.00	
(बी) गैर-चालु निवेश	7.1	421.29		421.29	
(सी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	1.2 (12)	1654.22		1543.27	
(डी) दीर्घकालिक ऋण एवं अग्रिम	8.1	5568.51		10670.57	
(ई) अन्य गैर-चालु संपत्ति	8.2	738.75		700.72	
			38513.53		39385.15
(2) चालु परिसंपत्ति					
(ए) चालु निवेश		0.00		0.00	
(बी) वस्तुसूची	9.1	4910.93		5148.75	
(सी) व्यापार प्राप्तियाँ	9.2	11317.56		28809.85	
(डी) नकद और नकदी समकक्ष	9.3	279283.41		227678.42	
(ई) अल्पकालिक ऋण एवं अग्रिम	10.1	1582.02		721.71	
(एफ) अन्य चालु संपत्ति	10.2	11574.99		11746.85	
			308668.91		274105.58
	कुल		347182.44		313490.73

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा 1.1 और 1.2 पर टिप्पणी।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

नीरज पांडे
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा विवरण

₹ लाख में

	विवरण	टिप्पणी संख्या	वर्ष 2013-14 के लिए		वर्ष 2012-13 के लिए	
1	प्रचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क का शुद्ध)	11.1	102128.38		96712.00	
2	अन्य आय	11.2	30332.05		23527.05	
	कुल राजस्व			132460.43		120239.05
3	व्यय :					
	सामग्री उपभोग की लागत	12.1	2575.10		2432.61	
	तैयार माल, चालु-कार्य और व्यापारगत माल की वस्तुसूची में परिवर्तन	13.1	661.64		2802.63	
	कर्मचारी लाभ खर्च	14.1	25608.84		26203.16	
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	6.1	3518.23		3303.33	
	अन्य खर्च	14.2	24298.19		22803.96	
	उप जोड़		56662.00		57545.69	
	घटाएं : आंतर ईकाई हस्तांतरण	13.2	1134.25		984.92	
	कुल खर्च			55527.75		56560.77
4	असाधारण और असामान्य वस्तुओं और कर से पूर्व लाभ			76932.68		63678.28
5	असाधारण वस्तुएं			0.00		0.00
6	असामान्य वस्तुओं और कर से पूर्व लाभ			76932.68		63678.28
7	असामान्य वस्तुएं			0.00		0.00
8	कर से पूर्व लाभ			76932.68		63678.28
9	कर व्यय					
	(ए) चालु कर		26087.41		21384.15	
	(बी) आस्थगित कर		-110.95		-878.13	
				25976.46		20506.02
10	अवधि के लिए कर के पश्चात लाभ			50956.22		43172.26
11	प्रति इक्विटी शेयर आय :					
	1. मूल			30.33		25.70
	2. डायल्यूटेड			30.33		25.70

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा 1.1 और 1.2 पर टिप्पणी।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

नीरज पांडे
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

टिप्पणी संख्या 1.1

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. स्थायी परिसंपत्ति का लेखांकन

ए) स्थायी परिसंपत्ति का मूल्यांकन

स्थायी परिसंपत्ति मूल लागत पर कम संचित मूल्य-ह्रास पर रखी जाती है।

बी) मूल्य-ह्रास

यह कंपनी, कंपनी अधिनियम की अनुसूची-ग्प्ट में निर्धारित किए अनुसार ₹ 5,000 तक मूल्य के स्थायी परिसंपत्ति पर 100 प्रतिशत मूल्य-ह्रास लगाती है। ऐसी परिसंपत्ति पर उसके शामिल होने की तारीख के बिना उसके शामिल होने वाले वर्ष में पूरी तरह मूल्य-ह्रास लगाया जाता है।

मूल्य-ह्रास (1) विंड टरबाइन जनरेटर के मामले में स्ट्रेट लाइन प्रणाली तथा (2) अन्य सभी परिसंपत्ति पर रिटर्न डाऊन वैल्यु प्रणाली, प्रोरेटा आधार पर समय-समय पर अनुसूची-ग्प्ट में किए गए संशोधन के अनुसार निर्धारित किए गए दर से की जाती है। यद्यपि पूरे माह के मूल्य-ह्रास की गणना तब से की जाती है जब उस माह के जिस किसी भी दिन से किसी परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता है।

पट्टाधारी भूमि की लागत, वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्यों को शामिल करते हुए पट्टे की कालावधि पर परिशोधित किया जाता है।

सी) परिसंपत्ति पर हानि बट्टा खाता

गिराई गई/हटाई गई सभी परिसंपत्तियों का स्क्रैप मूल्य शून्य मानकर बट्टे खाते में डाला जाता है। यदि जब ऐसी स्क्रैप परिसंपत्तियों का आंशिक या पूरी तौर पर निपटान किया जाता है तब इस प्रकार से वसूल हुई राशि उस वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में जमा की जाती है।

डी) निर्माणकार्य अवधि के दौरान खर्च

विशिष्ट प्रकल्पों को पूर्ण तथा प्रतिस्थापित किए जाने की तारीख तक निर्माण अवधि के दौरान उस प्रकल्प पर किए जाने वाले सभी खर्च जो प्रत्यक्ष पहचाने गए है, संबंधित प्रकल्प के नाम में डाले जाते है।

ई) निर्माणकार्य अवधि के दौरान ब्याज

निर्माणकाल में आरंभ होने से समाप्त होने तक विशिष्ट परिसंपत्ति से संबंधित ऋण (ऋण पर अन्य संबंधित वित्तीय लागत का समावेश करते हुए) का ब्याज पूंजीकृत किया जाता है।

एफ) संपत्ति की हानि

कंपनी प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को निर्धारण करती है कि क्या ऐसे कोई संकेत है कि संपत्ति में हानि हो सकती है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है तो कंपनी संपत्तियों की वसूली योग्य राशि का आकलन करती है। यदि ऐसी वसूली योग्य राशि इसकी वास्तविक राशि से कम होती है तो वास्तविक राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक कम किया जाता है। इस कमी को हानि के रूप में माना जाता है और लाभ-हानि खाते में दिखाया जाता है। यदि ऐसे कोई संकेत होते है कि पहले निर्धारण की गई हानि अब नहीं है तो वसूली योग्य राशि को पुर्ननिर्धारित किया जाता है और संपत्ति को वसूली योग्य राशि में परिलक्षित किया जाता है।

2. निवेश

दीर्घकालिन शेयरों में निवेश लागत में डाला जाता है। यदि अस्थायी प्रकृति के न हो तो मूल्य में घटत का प्रावधान किया जाता है।

3. बंद भंडार का मूल्यांकन

वस्तुसूची का निम्न आधार पर मूल्यांकन किया जाता है।

ए) तैयार माल

1. सभी ग्रेड के मैंगनीज अयस्क (फाइन्स, हच डस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट छोड़कर) - खदानों पर लागत के आधार पर जिसमें खदान परिसंपत्ति पर मूल्य-ह्रास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम है, शामिल है।
2. मैंगनीज अयस्क फाइन्स, हचडस्ट एवं एचआईएमएस रिजेक्ट्स : जिगिंग/प्रोसेसिंग, परिवहन इत्यादि पर प्रतिटन खर्च के आधार पर तकनीकी अनुमान या शुद्ध बिक्री योग्य मूल्य पर, इसमें जो भी कम है, आबंटन किया जाता है।
3. बंदरगाहों पर मैंगनीज अयस्क : बंदरगाहों पर उतराई पश्चात प्राप्त लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसमें से जो भी कम है। उतराई लागत में परिवहन किराया, उतराई खर्च, नमूना परीक्षण का खर्च आदि का समावेश होता है।

प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर का समायोजन तब तक नहीं किया जाता, जब तक खदानों में स्थित भंडार का कुल पुस्तकीय भंडार से तुलना करने पर अधिक पाया नहीं जाता। जब भी वास्तविक तौर पर अयस्क भेजा जाता है और रेलवे/जहाजों में माल भरने के बाद प्रत्येक पारेषण के अनुसार आने वाली अधिकता या कमी निर्धारित की जाती है तब उसका उस वर्ष के कंपनी के पुस्तकों में लेखाकृत किया जाता है।

4. इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज डाय ऑक्साइड (ईएमडी) (उत्पादन के विविध चरणों में 31 मार्च के अनुसार प्रक्रियागत भंडार के साथ जिसकी

निश्चिती ईएमडी की पूर्ण निर्मित यूनिटों के प्रतिशत से संबंधित तकनीकी प्राक्कलनों द्वारा की जाती है) : संयंत्र का मूल्यऱ्हास या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो का समावेश करते हुए चालु वर्ष की उत्पादन लागत।

5. ए) तकनीकी मूल्यांकन के द्वारा निर्धारित केक रूप में शामिल करते हुए फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज का 31 मार्च को निर्धारण तकनीकी मूल्यांकन द्वारा किया जाता है : चालु वर्ष की उत्पादन लागत जिसमें फेरो मैंगनीज संयंत्र का मूल्यऱ्हास (स्लैग का वसूली योग्य मूल्य कम करके) अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें से जो भी कम हो।

बी) प्रक्रियागत भंडार : प्रक्रिया से गुजरने वाले फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज की मात्रा को तोला नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता या निर्धारित नहीं किया जा सकता और इसलिए उसका कोई भी मूल्य नियत नहीं किया जाता है।

सी) स्लैग का भंडार : स्लैग यह फेरो मैंगनीज की उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित अशुद्ध द्रव्यों का एक पिघला हुआ पिंड होता है उसे स्क्रैप माना जाता है तथा वसूली योग्य कीमत पर मूल्य आंका जाता है।

बी) भंडार सामग्री वस्तुसूची : (सामग्री, कलपूर्जे, टिम्बर, विस्फोटक, ईंधन एवं लुब्रीकेन्ट्स और कच्चा माल) : भारित औसत पद्धति पर लागत निर्धारित की जाती है.

1. सभी भंडार सामग्री, स्पेअर्स आदि का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रत्यक्ष भंडार एवं पुस्तकीय भंडार के अंतर की जाँच की जाती है तथा लेखा पुस्तकों में आवश्यक समायोजन किया जाता है।
2. फेरो मैंगनीज संयंत्र के मामले में, संयंत्र में उपलब्ध मैंगनीज अयस्क छोड़कर कच्चे माल के भंडार का मूल्य भारित औसत पद्धति के लागत पर किया जाता है। संयंत्र में विद्यमान मैंगनीज अयस्क के भंडार का मूल्य चालु वर्ष की उत्पादन कीमत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, इसमें जो कम हो तथा परिवहन खर्च तथा अन्य खर्च, यदि कोई हो, तो उसे मिलाकर मूल्यांकित किया जाता है। प्लांट में उपलब्ध अयस्क का खुला एवं बंद भंडार को "स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल" के शीर्षक में वर्गीकृत किया जाता है।

4. बिक्री

रेलवे रसीद/लॉरी रसीद/डिलिवरी चालान के आधार पर माल की रवानगी के पश्चात बिक्री इनवॉइज तथा राजस्व को लेखा पुस्तकों में मान्य किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में राजस्व स्वीकार किया जाता है।

ए) मैंगनीज अयस्क की बिक्री

1. लॅबारेटरी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणवत्ता में अंतर के लिए पूरक बिलों को प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष में नियत तारीख तक प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टो को प्रेषण के वर्ष में विचार किया जाता है। तदनुसार पूरक बिल प्रस्तुत किए जाते है और उसी वर्ष हिसाब में रखे जाते है। नियत तारीख के बाद प्राप्त विश्लेषण रिपोर्टों के संबंध में इसे आगामी वर्ष में शामिल किया जाता है।
2. बिक्री में रॉयल्टी की राशि शामिल रहती है।

बी) ईएमडी/फेरो मैंगनीज/सिलिको मैंगनीज/स्लैग की बिक्री

ईएमडी, फेरो मैंगनीज तथा स्लैग की बिक्री में इस पर लागू उत्पाद शुल्क एवं शिक्षा उपकर का समावेश है।

सी) मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को विद्युत की बिक्री

विद्युत बिक्री समझौते में मंजूर किए गए शुल्क दर के आधार पर ग्रिड में डाली गई उर्जा के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता है।

5. अन्य आय

ए) विविध देनदारों से ब्याज के रूप में आय भारत के सनदी लेखाकार संस्थान के लेखांकन मानक-9 के निर्देश अनुरूप निम्नानुसार माने जाते है:

1. जहाँ देनदारों से वसूली की बैंक द्वारा क्रेडिट पत्र से पुष्टि की जाती है और जहाँ उसकी वसूली सुनिश्चित होती है वहाँ उपार्जन आधार पर स्वीकृति की जाती है।

   चालु वित्तीय वर्ष के बाहर ऋण टर्म के लिए ग्राहक को ब्याज बिल जिस वर्ष से संबंधित हो उस वर्ष के लिए मान्य किया जाता है।
2. जहाँ देनदारों से वसूली बैंक के मार्फत क्रेडिट पत्र द्वारा पुष्टि नहीं की गई हो, जहाँ वसूली मूल्य अनिश्चित हो, वहाँ प्रबंधन के अनुभव के आधार पर जब कभी वास्तविक वसूली मूल्य प्राप्त होता है उसे आय के तौर पर माना जाता है।

बी) जमा राशियाँ एवं पेशगियों पर प्राप्त ब्याज आय, उपार्जन आधार पर मान्य की जाती है।

सी) बदले गए घिसे हुए पार्ट/स्क्रैप पूंजीगत सामग्री के संबंध में ज्ञापन अभिलेख रखे जाते है। जब उसका निपटारा किया जाता है तब वह आय, उस वर्ष में विविध प्राप्तियों के लेखे में डाली जाती है।

6. कैप्टिव खपत

मैंगनीज अयस्क

ईएमडी/फेरो मैंगनीज के उत्पादन हेतु कच्चे माल के तौर पर निर्गमित किया गया मैंगनीज अयस्क, फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट्स का मूल्य चालु वर्ष के उत्पादन लागत पर मूल्यांकित किया जाता है और भंडार के मूल्यांकन के लिए अपनाए जाने वाले तरीके से फाइन्स/एचआईएमएस रिजेक्ट का मूल्यांकन प्रति टन पर मूल्यांकित किया जाता है। अयस्क की खपत औसत लागत के आधार पर हिसाब में ली जाती है। निर्गमित अयस्क का मूल्य, अयस्क उत्खनन/प्रचालन खर्च से कम किया जाता है तथा "विनिर्माण खर्च" के मद में कच्चे माल की खपत के तौर पर मान्य किया जाता है।

विद्युत

पवन उर्जा संयंत्र यूनिट से निर्माण की गई बिजली तथा खदान/संयंत्र में उपयोग की गई इस बिजली को निर्माण लागत के आधार पर संबंधित ईकाई को चार्ज किया जाता है।

7. बिक्रीकर, आयकर आदि

ए) बिक्रीकर, आयकर आदि के संबंध में जिस वर्ष में कर निर्धारण आदेश कंपनी द्वारा प्राप्त तथा स्वीकृत किया जाता है, उक्त आदेश के अनुसार देय या प्राप्त बकाया राशि को, वह आदेश किस वर्ष से संबंधित है इसे ध्यान में न लेते हुए उक्त आदेश प्राप्ति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

बी) क्रय के आधार पर बिक्री कर में छूट का दावा किया जाता है। छूट के दावे की राशि तथा वास्तविक स्वीकृत छूट को जिस वर्ष में निर्धारण आदेश कंपनी को प्राप्त होता है और स्वीकार किया जाता है, उस वर्ष में हिसाब में लिया जाता है।

8. कार्मिकों के अनुलाभ

ए) कर्मचारियों के अल्पकालिक लाभ

जिस वर्ष में संबंधित सेवा दी गई है उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में छूट मुक्त राशि खर्च, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ खर्च के तौर पर माना जाता है।

बी) नियोजनोत्तर लाभ

1. परिनिश्चित लाभ योजना

जिस वर्ष में कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की गई, उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को खर्च के रूप में मान्य किया जाता है। देय राशि के वर्तमान मूल्य पर खर्च को बीमांकिक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए, खर्चों को मान्य किया जाता है। नियोजनोत्तर एवं अन्य दीर्घकालिक लाभ से संबंधित बीमांकित प्राप्ति एवं हानि को लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है।

2. परिनिश्चित अंशदान योजना

परिनिश्चित अंशदान योजना, नियोजनोत्तर लाभ योजना है, जिसके अंतर्गत कंपनी अलग-अलग निधियों में तयशुदा अंशदान का भुगतान करती है। परिनिश्चित अंशदान योजना में कंपनी का योगदान संबंधित वित्त वर्ष के लाभ हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

9. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति खर्च

कंपनी वीआरएस लिए गए वर्ष के लाभ हानि लेखा में संपूर्ण खर्च को चार्ज करती है।

10. कल्याण आयुक्त से प्राप्त सब्सिडी का लेखांकन

ए) श्रमिक निवास

कंपनी ने कुछ श्रमिक निवासों का निर्माण किया है/कर रही है, जिसके लिए कंपनी को कल्याण आयुक्त से सब्सिडी मिल रही है। चूंकि जिस भूमि पर इन निवास स्थानों को निर्माण किया जाता है वह भूमि कल्याण आयुक्त के सुपुर्द की जाती हैं और यह परिसंपत्ति (निर्मित निवासस्थान) कल्याण आयुक्त की ओर अभ्यर्पित की जाती है। इसलिए इसमें कंपनी द्वारा किया गया पूरा खर्च तथा प्राप्त हुई सब्सिडी भी जिस वर्ष में खर्च की जाती है/सब्सिडी प्राप्त होती है, उस वर्ष के राजस्व खाते पर दर्ज की जाती है।

बी) कल्याण परिसंपत्ति

परिसंपत्तियाँ जैसे स्कूल बस, रूग्णवाहिका, जलापूर्ति योजना आदि जो कल्याण योजना के अधीन आती है, के अर्जन का पूरा खर्च, जिस वर्ष में किया जाता है उसी वर्ष के संबंधित परिसंपत्ति लेखा में डाला जाता है। प्राप्त हुई सब्सिडी की राशि को आवक वर्ष के उसी परिसंपत्ति के शीर्षक खाते में जमा किया जाता है और बाद में मूल्यह्रास उस वर्ष से परिसंपत्ति के कम किए मूल्य पर आंका जाता है।

11. कंपनी के दावे

बीमा कंपनी/रेलवे में दाखिल किए दावों की राशियों का उचित निश्चित मूल्यांकन करके उस वर्ष के दौरान दावा की गई राशियों के आधार पर लेखे में लिया जाता है और यदि कोई अंतर हो तो दावे के निर्धारण पर उसे समायोजित किया जाता है।

12. पूर्वदत्त खर्च

जहाँ ₹ 1.00 लाख से ज्यादा के प्रत्येक मामले में भुगतान हो उसे केवल पूर्वदत्त खर्च माना जाता है।

13. संदिग्ध कर्ज हेतु प्रावधान

पिछले दो वर्षों से अधिक रूके हुए फुटकर ऋणों के लिए प्रत्येक मामले की खराब तथा संदिग्ध ऋणों की अलग-अलग समीक्षा के आधार पर प्रावधान किया जाता है। निजी पार्टियों के नाम पर तीन वर्षों से अधिक अवधि तक बकाया ऋण राशियों के लिए निश्चित रूप से व्यवस्था की जाती है।

14. अनुसंधान एवं विकास खर्च

अनुसंधान एवं विकास खर्च उसी वर्ष के लाभ हानि लेखा में दर्ज किया जाता है, यद्यपि अनुसंधान एवं विकास के लिए स्थायी परिसंपत्ति पर हुआ खर्च अन्य स्थायी परिसंपत्ति खर्च के समान ही माना जाता है।

15. खान बंद का खर्च

संबंधित नियमों एवं अधिनियमों के तहत तकनीकी मूल्यांकन करके, अंतिम खान बंद करने का वित्तीय प्रभाव, उपलब्ध अयस्क भंडार के आधार पर निकाला जाता है। जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर सभी खदानों के संपूर्ण उत्पादन को ध्यान में लेने के बाद लेखों में प्रावधान किया जाता है।

16. वन भूमि को अ-वनभूमि हेतु बदलने के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्यांकन

संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमति प्राप्त होने पर देनदारियाँ तय की जाती है।

17. पूर्वावधि खर्च

पिछले वर्ष (वर्षों के) के मूलभूत 'कमीशन या ओमिशन' की त्रुटियों को पिछली अवधि के समायोजित खाते में डेबिट/क्रेडिट डालकर सुधारित किया जाता है।

18. तुलन पत्र की तारीख के बाद होने वाले महत्वपूर्ण लेनदेन के मामले

तुलन पत्र के तारीख के बाद तथा उसके अनुमोदित होने के पश्चात महत्वपूर्ण घटना का उल्लेखनीय प्रभाव या तो तुलन पत्र तथा लाभ हानि लेखा को संयत किया जाता है या निदेशक रिपोर्ट में विशेष तौर पर उल्लेखित किया जाता है।

टिप्पणी संख्या 1.2

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर टिप्पणियाँ

1 आकस्मिक देयताएं

ए) ऋण के तौर पर अस्वीकृत कंपनी के विरूद्ध दावे -

₹ लाख में

दावों का विवरण		31-03-2014	31-03-2013
(i)	कार्मिकों द्वारा वेतन एवं अन्य अनुलाभ के दावे	159.00	141.00
(ii)	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा रेलवे साइडिंग से संबंधित किराये के एरियर्स के भुगतान के दावे	109.68	109.68
(iii)	वन विभाग द्वारा तिरोडी खदान से अयस्क की रेलिंग पर ट्रांजिट फी भुगतान के दावे	86.08	86.08
(iv)	पंचाट अवार्ड पर ब्याज	562.73	447.21
(v)	प्रवेश कर, केन्द्रीय बिक्री कर और मूल्य वर्धित कर तथा कर्मचारियों का प्रोफेशनल टैक्स	18.24	19.80
(vi)	अपील के अंतर्गत विवादित आयकर (पहले से भुगतान किया कर ₹ 1054.06 (₹ 1267.35)	1054.06	1267.35
(vii)	बैंक गारंटी / क्रेडिट पत्र के अंतर्गत वित्तीय आश्वासन पर आकस्मिक देयता (बराबर राशि की सावधि जमा द्वारा प्रस्तुत)	333.40	225.37

बी) अपूर्ण संविदाओं की अनुमानित राशि पूंजीगत खातों में दर्शाई गई है तथा इसके लिए ₹ 7,831.01 (₹ 8,509.09) लाख का प्रावधान नहीं किया गया था। इस प्रकार की संविदाओं के लिए अग्रिम राशि ₹ 34.13 (₹ 30.27) लाख भुगतान किया गया है।

2. कंपनी की 761.60 वर्ग मीटर भूमि को एकीकृत सड़क विकास योजना के तहत नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा अधिगृहीत किया गया है। इसके लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने संबंधी एक लेखी याचिका कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय, नागपुर में दायर की गई है जो न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली गई है। याचिका के लंबित होने से उसके लिए पुस्तकों में कोई समायोजन नहीं किया गया।

3. (ए) वस्तुसूचियों का भौतिक सत्यापन वर्ष के अंत में किया जाता है।

(बी) संयंत्र के बारे में अधिकांश कच्चा माल एवं तैयार माल की वस्तुसूची का उत्पादन/तकनीकी विभाग द्वारा भार-परिमाण अनुपात के अनुसार निर्णय लिया जाता है और उसके अनुसार उसे हिसाब में लिया जाता है।

(सी) ₹ 3.17 (8.08) लाख मूल्य का 60.50 (164) एमटी मैंगनीज अयस्क का स्टॉक 31.03.2014 को फेरो मैंगनीज संयंत्र स्थल पर पड़ा है वह कच्चे माल की वस्तुसूची में शामिल है।

4. विविध देनदार तथा विविध लेनदारों के वर्ष समाप्ति पर बकाया राशि के पुष्टीकरण पत्र पार्टियों को भेजे गए है। प्राप्त पुष्टीकरणों के संबंध में कंपनी शेष राशियों की संवीक्षा और मिलान की प्रक्रिया कर रही है।

5. कार्मिकों के संबंध में दिए गए सुरक्षित ऋण का प्रलेखन कुछ मामलों में लंबित है।

6. अप्रचलित भंडार सामग्री/स्पेअरों का निपटान करने के बाद होने वाली प्रत्याशित हानि हेतु किया गया ₹ 3.23 लाख (₹ 3.93 लाख) का प्रावधान पर्याप्त माना गया है।

7. मैंगनीज अयस्क से संबंधित चालान प्रक्रिया के संबंध में, पहले अयस्क के प्रेषण और गुणवत्ता जांच रिपोर्ट की प्राप्ति के बीच समय अंतराल अधिक था। इसलिए गुणवत्ता जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के वर्ष में अंतर बिक्री चालानों की लेखांकन नीति का अनुपालन किया गया। हालांकि प्रक्रियाओं के कंप्यूटरीकरण और स्वचालन के परिणामस्वरूप कंपनी रिपोर्टों में तेजी लाने की स्थिति में है और अधिकांश मामलों में लेखों को अंतिम रूप देने से पहले परिणाम उपलब्ध है। परिणामस्वरूप, निर्दिष्ट तिथि तक प्राप्त गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्टों के अनुसार प्रेषण के वर्ष में अंतिम बिक्री चालान प्रस्तुत किए गए। इसे देखते हुए कंपनी ने अंतर बिक्री चालानों की लेखांकन नीति को परिवर्तित कर दिया है। नीति में परिवर्तन से लेखाओं पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है।

8. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी ने अपने एक कर्मचारी द्वारा की गई ₹ 31.03 (₹ 31.03) लाख की धनराशि के गबन का पता लगाया है। इस मामले की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा जांच की गई है तथा इसकी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जो अंतिम समीक्षा और कार्रवाई के अधीन है। चूंकि कर्मचारी को देय टर्मिनल अनुलाभों की राशि जिससे गबन की गई राशि की वसूली की जा सकती है और जो राशि पहले से जमा की गई है वह उपर्युक्त वसूली के लिए पर्याप्त है इसलिए प्रावधान को आवश्यक नहीं माना जाता है।

9. कंपनी द्वारा प्राप्त ब्याज एवं किराए पर स्त्रोत पर आयकर की कटौती की राशि ₹ 2663.53 (₹ 2487.18) लाख है। कुछ मामलों में कर की कटौती के प्रमाणपत्र की प्रतीक्षा है।

10. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को देय ₹ शून्य (शून्य) लाख की राशि, 30 दिनों से अधिक ₹ 1 लाख से उपर, विविध लेनदार में शामिल है।

11. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वनीकरण पर व्यय को "निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास" शीर्ष के अंतर्गत टिप्पणी 14.2 (अन्य व्यय) में शामिल किया गया है।

12. अन्य व्यय (टिप्पणी संख्या 14.2) में शामिल है :

₹ लाख में

विवरण		31-03-2014	31-03-2013
1	यात्रा व्यय		
	(ए) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	72.69	18.29
	(बी) निदेशक	61.40	68.90
2	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		
	(ए) लेखापरीक्षा शुल्क		
	सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए	3.93	3.93
	तिमाही लेखा की सीमित समीक्षा के लिए	2.95	2.11
	पॉकेट खर्च में से	Nil	Nil
	(बी) अन्य सेवाएं	1.59	1.11
		8.47	7.15
3	जनसंपर्क एवं प्रचार खर्च सहित विज्ञापन	72.97	63.43

13 **परिभाषित दायित्व - लेखा मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :**

₹ लाख में

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
निधिबद्ध उत्तरदायित्व का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान, जैसा कि एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा मूल्यांकित किया गया है।				
वर्ष के प्रारंभ में	11684.60	10556.56	4726.60	4225.74
चालु सेवा लागत	605.49	599.07	297.10	310.46
ब्याज लागत	934.77	844.52	378.13	338.06
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	-364.04	505.90	-1093.34	157.01
प्रदत्त लाभ	-769.39	-821.45	-199.72	-304.67
वर्ष के अंत में	12091.43	11684.60	4108.77	4726.60

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
योजना संपत्ति के संगत मूल्य का प्रारंभिक एवं बंद शेष का समाधान				
वर्ष के प्रारंभ में	10694.27	10560.44	4299.66	4042.02
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	967.83	1003.24	389.12	383.99
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	17.45	-47.96	12.19	-5.58
नियोक्ता का अंशदान	991.91	0.00	426.94	183.90
प्रदत्त अनुलाभ	-769.39	-821.45	-199.72	-304.67
वर्ष के अंत में	11902.07	10694.27	4928.20	4299.66
संपत्ति का संगत मूल्य तथा निधि बद्ध उत्तरदायित्व का समाधान				
वर्ष के अंत में योजना संपत्ति का वर्तमान मूल्य	11902.07	10694.27	4928.20	4299.66
वर्ष के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	12091.43	11684.60	4108.77	4726.60
तुलन पत्र में मान्य देयता/(-) पूर्वदत्त व्यय	189.36	990.33	-819.43	426.94
लाभ-हानि लेखा में मान्य खर्च				
चालु सेवा लागत	605.49	599.07	297.10	310.47
ब्याज लागत	934.77	844.53	378.13	338.06
योजना संपत्ति की अपेक्षित वापसी	-967.83	-1003.24	-389.12	-383.99
बीमांकिक (प्राप्ति)/हानि	-381.49	553.86	-1105.54	162.58
लाभ-हानि लेखा में मान्य कुल खर्च	190.94	994.22	-819.43	427.12
बीमांकिक पूर्वानुमान	(1994-96)	(1994-96)	(1994-96)	(1994-96)
मृत्युदर तालिका (जीवन बीमा)	अंतिम	अंतिम	अंतिम	अंतिम
छूट दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित वापसी (प्रति वर्ष)	9.05%	9.50%	9.05%	9.50%
वेतनवृद्धि दर (प्रति वर्ष)	5.00%	5.00%	5.00%	5.00%

14. संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार - लेखांकन मानक - 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ व्यवहार का प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :-

(1) संबंधित पार्टियों की सूची एवं संबंध

1.	श्री जी. पी. कुंदरगी	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
2.	श्री ए. के. मेहरा	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
3.	श्री एम. पी. चौधरी	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
4.	श्री ए. के. झा	निर्णायक प्रबंधन कार्मिक
5.	सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनी
6.	रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनी

(ii) संबंधित पार्टी के साथ वर्ष के दौरान व्यवहार

₹ लाख में

विवरण		2013-14	2012-13
1	प्रबंधकीय मेहनताना		
	(ए) वेतन एवं भत्ते	118.55	94.47
	(बी) भविष्य निधि में अंशदान	7.43	6.96
	(सी) परिलब्धियों का वास्तविक/अनुमानित मूल्य	4.44	4.50
	(डी) कुल	130.42	105.94
2	यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति	134.09	87.19
3	संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर पूंजी के लिए अग्रिम	0.00	0.00

15 **आस्थगित कर संपत्ति/देयता -** लेखांकन मानक - 22 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाया गया है :

₹ लाख में

क्र.	विवरण	2013-14/31 मार्च, 2014	2012-13/31 मार्च, 2013
1	**आस्थगित कर देयता**		
	मूल्यह्रास से संबंधित	1779.30	2055.87
2	**आस्थगित कर परिसंपत्ति**		
	आयकर अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत	3433.52	3599.14
3	शुद्ध आस्थगित कर देयता/(-) परिसंपत्ति	-1654.22	-1543.27
4	लाभ-हानि लेखा के लिए आस्थगित कर : देयता में वृद्धि/(-) कमी	-110.95	-878.13

16 **संयुक्त उद्यम -** लेखांकन मानक -27 के अनुसार प्रकटीकरण नीचे दर्शाए अनुसार है :

(ए) संयुक्त उद्यम कंपनियों से संबंधित विवरण

संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	विनिगमन का विवरण		मालकियत का प्रारंभिक अनुपात	पूंजी के लिए अंशदान (₹ लाख में)
	देश	तारीख		
सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	India	31.07.2008	50%	410.00
रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.	India	29.07.2009	50%	10.00

(बी) वित्तीय विवरण

₹ लाख में

विवरण	स्थिति	
	31.03.2014 (अ-अंकेक्षित)	31.03.2013 (अंकेक्षित)
संयुक्त उद्यम कंपनी लेखा के अनुसार कंपनी के ब्याज की कुल राशि -		
(1) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
शेयर आवेदन रूपया लंबित आबंटन	400.00	400.00
आरक्षित और अधिशेष	-118.13	-98.96

₹ लाख में

विवरण	स्थिति	
	31.03.2014 (अ-अंकेक्षित)	31.03.2013 (अंकेक्षित)
चालु देयताएं	1.70	1.44
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	186.34	203.72
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	0.01	0.01
चालु संपत्ति	107.22	108.75
आय	7.48	8.88
व्यय	26.66	107.37
आकस्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता	9.00	9.00
(2) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लि.		
अंश पूंजी	10.00	10.00
आरक्षित और अधिशेष	-0.31	-0.31
चालु देयताएं	0.42	0.47
गैर चालु देयताएं	89.83	89.70
स्थायी संपत्ति (शुद्ध) तथा कार्यशील पूंजी	76.17	76.67
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	1.09	1.09
चालु संपत्ति	22.68	22.10
आय	Nil	Nil
व्यय	Nil	Nil
आकास्मिक देयताएं और पूंजीगत प्रतिबद्धता	411.95	411.95

17. प्रावधान - लेखांकन मानक - 29 के अनुसार विवरणों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है :

₹ लाख में

प्रावधान का विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2013	प्रावधान	पुनरांकित/प्रयुक्त प्रावधान	बंद शेष 31.03.2014
अंतिम खदान बंदी का खर्च	626.42 (548.98)	76.81 (77.44)	-- --	703.23 (626.42)
अशोध्य और संदिग्ध ऋण और अग्रिम	33.14 (33.14)	29.28 (--)	-- --	62.42 (33.14)

अंतिम खदान बंदी खर्च के प्रावधान के संबंध में अंतिम खदान बंदी के समय नकद निर्गम अपेक्षित है।

18. वर्ष के दौरान पूंजीगत माल का आयात ₹ 398.71 (₹ 298.56) लाख

19. प्रवास के लिए विदेशी मुद्रा में खर्च ₹ 28.56 (₹ 12.53) लाख और विविध खर्च - ₹ 22.43 लाख (₹ 16.33 लाख)

20. कर्मचारी अनुलाभ व्यय के खाते में ₹ 4481.84 लाख की राशि के लिए प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

21. लाभ-हानि लेखा की अतिरिक्त जानकारी

(ए) उत्पादन, बिक्री, प्रारंभिक और अंतिम स्कंध -

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	रूपये लाख में	मात्रा (एमटी)	₹ लाख में
(ए) उत्पादन/निर्मिति-				
मैंगनीज अयस्क	1134508	--	1138895	--
ईएमडी	923	--	786	--
फेरो मैंगनीज	10042	--	9210	--
फेरो मैंगनीज स्लैग	12750	--	11510	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	33206045	--	37545155	--
(बी) बिक्री				
मैंगनीज अयस्क	1132919	94615.66	1192857	89073.02
ईएमडी	893	735.53	1014	779.09
फेरो मैंगनीज	8707	4788.50	10080	5967.11
फेरो मैंगनीज स्लैग	15352	1137.02	9397	757.56
एमपीईडीसीएल को बिजली (केडब्लूएच)	25387018	851.68	27423836	925.89
(सी) प्रारंभिक स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	76815	3072.26	157614	5708.16
ईएमडी	71	58.22	299	208.38
फेरो मैंगनीज	1208	549.77	2078	815.10
फेरो मैंगनीज स्लैग	8378	616.66	6265	388.50
(डी) अंतिम स्कंध				
मैंगनीज अयस्क	48358	2062.60	76815	3072.26
ईएमडी	101	90.69	71	58.22
फेरो मैंगनीज	2543	846.51	1208	549.77
फेरो मैंगनीज स्लैग	5776	500.74	8378	616.66
टिप्पणी :				
उत्पादन के लिए जारी किए गए मैंगनीज अयस्क के समायोजन के पश्चात अंतिम स्कंध -				
ईएमडी	3889		3043	
फेरो मैंगनीज	26157		23794	
कैप्टिव खपत के लिए उपयोग की गई बिजली सहित पवन उर्जा मिलों से बिजली की निर्मिति (केडब्लूएच)	7819027		10121319	

(बी) अनुज्ञप्तित और संस्थापित क्षमता और उपयोग की गई क्षमता -

विवरण	31.03.2014 को समाप्त वर्ष		31.03.2013 को समाप्त वर्ष	
	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता	मात्रा (एमटी)	उपयोग की गई क्षमता
ई) अनुज्ञप्तित एवं संस्थापित क्षमता				
ईएमडी	1000	--	1000	--
फेरो मैंगनीज	10000	--	10000	--
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	40000000	--	40000000	--
एफ) उत्पादन एवं क्षमता उपयोग				
ईएमडी	923	92%	786	79%
फेरो मैंगनीज	10042	100%	9210	92%
पवन उर्जा (केडब्लूएच)	33206045	83%	37545155	94%

22. पिछले वर्ष के तत्सम आंकड़े कोष्ठक में दर्शाए गए है तथा जहां आवश्यक हो, तुलनीय करने के लिए फिर से संगठीत किए गए है।

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
टिप्पणी 2.1 - शेयर पूंजी					
अधिकृत					
इक्विटी शेयर :	संख्या	250000000		250000000	
	अंकित मूल्य ₹ में		10.00		10.00
	राशि		25000.00		25000.00
निर्गमित, अभिदत्त और पूर्णतः प्रदत्त					
इक्विटी शेयर :	संख्या	168000000		168000000	
	अंकित मूल्य ₹ में		10.00		10.00
	कुल राशि		16800.00		16800.00

एक इक्विटी शेयर के लिए एक मतदान अधिकार और शेयर होल्डिंग के बराबर लाभांश अनुपात अधिकार के साथ ₹ 10/- सममूल्य के इक्विटी शेयरों के रूप में कंपनी के पास केवल एक वर्ग के शेयर है।

पिछले पांच वर्षों में आरक्षित निधि के पूंजीकरण के द्वारा निर्गमित बोनस शेयरों का विवरण :

वित्तीय वर्ष	शेयरों की संख्या	पूंजीकृत आरक्षित निधि	
		सामान्य आरक्षित निधि	पूंजीगत आरक्षित निधि
2009-10 #	140000000	13993.39	6.61

वित्तीय वर्ष 2009-10 में ₹ 100/- प्रति शेयर अंकित मूल्य को ₹ 10/- प्रति शेयर अंकित मूल्य के शेयरों में विभाजित किया गया है।

समाधान विवरण				
प्रारंभ में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	
जोड़े : वर्ष के दौरान निर्गमित शेयर	0		0	
अंत में शेयरों की संख्या	168000000		168000000	

प्रत्येक शेयरधारक की शेयर होल्डिंग का विवरण जिसके पास 5 प्रतिशत से अधिक के शेयर है।

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग का प्रतिशत
भारत सरकार	120235680	71.57	120235680	71.57

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
टिप्पणी 2.2 - आरक्षित निधि एवं अधिशेष				
सामान्य आरक्षित निधि				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	258378.79		225878.79	
(+) लाभ-हानि लेखा से स्थानांतरित	37000.00		32500.00	
		295378.79		258378.79
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि				
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार	163.41		0.00	
(+) लाभ-हानि लेखा से स्थानांतरित	34.00		163.41	
(.) लाभ-हानि लेखा को स्थानांतरित	163.41		0.00	
		34.00		163.41
लाभ-हानि लेखा में अधिशेष				
पिछले तुलनपत्र के अनुसार	1221.62		1451.73	
जोड़े : लाभ-हानि लेखा विवरण से कर पश्चात लाभ	50956.22		43172.26	
जोड़े : सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि से स्थानांतरण	163.41		0.00	
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	52341.25		44623.99	

₹ लाख में

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
घटाएं : विनियोजन -					
सीएसआर (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व) आरक्षित निधि		34.00		163.41	
अंतरिम लाभांश 40 प्रतिशत (20 प्रतिशत) की दर से		6720.00		3360.00	
प्रस्तावित अंतिम लाभांश 35 प्रतिशत (35 प्रतिशत) की दर से		5880.00		5880.00	
अंतरिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।		1142.07		545.08	
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंतिम लाभांश पर कर		45.42		0.00	
अंतिम लाभांश पर कर जिसमें अधिभार और उपकर शामिल है।		999.31		953.88	
सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण		37000.00		32500.00	
		51820.80		43402.37	
बकाया अग्रेनीत			520.45		1221.62
	कुल		295933.24		259763.82

विवरण		31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
टिप्पणी 3.1 - दीर्घकालिक प्रावधान					
(ए) पेंशन निधि के लिए प्रावधान			10578.06		8498.78
(बी) अंतिम खदान बंदी खर्च के लिए प्रावधान			703.23		626.43
	कुल		11281.29		9125.21
टिप्पणी 3.2 - दीर्घकालिक देयता					
(ए) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा					
	कुल		463.70		285.05
टिप्पणी 4.1 - व्यापार देय	कुल		2747.78		2651.45
टिप्पणी 5.1 - अन्य चालु देयता					
(ए) ग्राहकों से अग्रिम			1008.66		1592.64
(बी) आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों और अन्य से सुरक्षा जमा			2058.08		2296.82
(सी) खर्च के लिए देयताएं			7133.68		11073.11
(डी) बिना दावे के लाभांश वारंट के लंबित नकदीकरण			391.11		59.70
(ई) पूंजीगत खर्च के लिए देयताएं			1410.01		1019.20
(एफ) अन्य देयताएं			886.22		572.57
	कुल		12887.76		16614.04
टिप्पणी 5.2 - अल्पकालिक प्रावधान					
(ए) इक्विटी शेयर पर प्रस्तावित लाभांश			5880.00		5880.00
(बी) लाभांश पर कर के लिए प्रावधान			999.31		953.88
(सी) नहीं ली गई छुट्टी के लिए प्रावधान-					
तुलनपत्र की तारीख को देयता				4726.60	
(-) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास निधि				4299.66	
	*	-819.43	0.00	426.94	426.94
(डी) ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान			189.36		990.34
	कुल		7068.67		8251.16
	कुल		22704.21		27516.65

एलआईसी के पास देयता से अधिक निधि को पूर्वदत्त खर्चों के अंतर्गत रखा गया है (टिप्पणी 10.1 (बी) (अप) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम)

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

Note 6.1 - Fixed assets

₹ लाख में

क्र. सं.	परिसंपत्तियों का विवरण	सकल खण्ड				मूल्यह्रास खण्ड				शुद्ध खण्ड	
		31.03.2013 को	परिवर्धन	कटौती	31.03.2014 को	31.03.2013 को	वर्ष के दौरान	कटौती	31.03.2014 को	31.03.2014 को	31.03.2013 को
(ए)	**मूर्त संपत्ति**										
1	फ्री-होल्ड भूमि	1031.93	41.49	0.00	1073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1073.42	1031.93
2	इमारत	10332.37	1264.97	3.01	11594.33	2435.59	452.37	2.48	2885.48	8708.85	7896.78
3	संयंत्र और मशीनरी	32710.05	1951.12	347.72	34313.45	19941.01	2813.14	328.13	22426.02	11887.43	12769.04
4	फर्नीचर और फिक्स्चर	296.94	37.51	1.59	332.86	208.43	23.52	2.23	229.72	103.14	88.51
5	कार्यालय उपकरण	452.78	50.54	11.80	491.52	254.54	33.41	6.49	281.46	210.06	198.24
6	वहन	819.73	81.09	46.45	854.37	537.76	78.49	44.13	572.12	282.25	281.97
		45643.80	3426.72	410.57	48659.95	23377.33	3400.93	383.46	26394.80	22265.15	22266.47
(बी)	**अमूर्त संपत्ति**										
1	पट्टाधृत भूमि	2347.51	0.00	0.00	2347.51	1261.85	117.30	0.00	1379.15	968.36	1085.66
		47991.31	3426.72	410.57	51007.46	24639.18	3518.23	383.46	27773.95	23233.51	23352.13
(सी)	**प्रगतिशील पूंजी**									6882.55	2697.17
(डी)	**विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति**									14.70	0.00
	कुल									30130.76	26049.30
(ई)	**गत वर्ष**	42257.87	5972.83	239.38	47991.32	21553.07	3303.33	217.20	24639.20	23352.12	20704.80

1 इमारत में भूमि भी शामिल है जहाँ भूमि के लिए अलग से विचार नहीं किया जाता है।

2 अवधि के लिए मूल्यह्रास में इन पर मूल्यह्रास भी शामिल है -

	2013-14 के लिए	2012-13 के लिए
(ए) विनिर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	67.49	65.21
(बी) उर्जा निर्माण इकाइयों की परिसंपत्ति	1006.71	1006.71

3 तुलन पत्र की तारीख को कोई हानि नहीं है।

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
टिप्पणी 7.1 - गैर-चालु निवेश (अनकोटेड) लागत पर				
खदानों में सहकारी स्टोर/सोसायटी के पूर्णतः प्रदत्त शेयर				
(ए) सहकारी स्टोर (अपंजीकृत) के ₹ 5/- प्रत्येक के 500(500) शेयर	0.03		0.03	
(बी) सहकारी सोसायटी के ₹ 25/- प्रत्येक के 1612(1612) शेयर	0.40		0.40	
(सी) सहकारी सोसायटी के ₹ 10/- प्रत्येक के 8556 (8556) शेयर	0.86		0.86	
		1.29		1.29
संयुक्त उपक्रम में निवेश (प्रारंभिक सदस्यता) :				
(ए) सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10/- प्रत्येक के 100000 (100000) इक्विटी शेयर	10.00		10.00	
(बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड में पूर्णतः प्रदत्त ₹ 10/- प्रत्येक के 100000(100000) इक्विटी शेयर	10.00		10.00	
		20.00		20.00
शेयर आबंटन के लिए अग्रिम				
शेयरों के आबंटन के विरूद्ध सेल एण्ड मॉयल फेरो अलॉय प्रा. लिमिटेड को अग्रिम				
(अधिकृत शेयर पूंजी में लंबित वृद्धि) (अधिकृत शेयर पूंजी में लंबित वृद्धि)		400.00		400.00
कुल		421.29		421.29
टिप्पणी 8.1 - दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) **सुरक्षित**				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		65.48		72.49
(बी) **असुरक्षित**				
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		6.03		4.60
(सी) **आयकर का अग्रिम भुगतान (शुद्ध)**		5497.00		10593.48
कुल		5568.51		10670.57
टिप्पणी 8.2 - अन्य गैर-चालु परिसंपत्ति				
(ए) स्थायी और अन्य जमा पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		0.00		12.44
(बी) कर्मचारियों को ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं		40.84		48.21
(सी) रेलवे, बिजली बोर्ड और अन्य के पास जमा (असुरक्षित)		663.78		609.80
(डी) पूंजीगत सामग्री की खरीदी के लिए अग्रिम		34.13		30.27
कुल		738.75		700.72
टिप्पणी 9.1 - वस्तुसूची (प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)				
(ए) कच्चा माल		101.29		69.60
(बी) प्रक्रियागत कार्य		4.11		1.59
(सी) तैयार माल		3674.17		4295.32
(डी) पारगमन में स्टोर		190.96		5.59
(ई) स्टोर और स्पेअर्स	943.63		780.58	
(-) अप्रचलित स्टोर और स्पेअर्स के लिए प्रावधान	3.23		3.93	
		940.40		776.65
कुल		4910.93		5148.75

31 मार्च, 2014 को तुलनपत्र पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च, 2014 को		31 मार्च, 2013 को	
टिप्पणी 9.2 - व्यापार प्राप्तियाँ (असुरक्षित)				
(i) अच्छा माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	38.54		2884.04	
अन्य ऋण	11279.02		25925.81	
		11317.56		28809.85
(ii) संदिग्ध माना गया				
छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण		32.36		20.87
		11349.92		28830.72
(-) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		32.36		20.87
कुल		11317.56		28809.85
टिप्पणी 9.3 - नकद और नकद समकक्ष				
(i) हाथ में रोकड़		8.13		6.45
(ii) बैंकों में जमा				
सावधि जमा में		277293.62		223870.00
सावधि जमा में (बैंक गारंटी/एलसी के विरूद्ध मार्जिन मनी के रूप में)		333.40		495.37
विशेष लाभांश खातों में वारंटों का नकदीकरण लंबित		391.11		59.70
चालु खाते में		1257.15		3246.90
कुल		279283.41		227678.42
सावधि जमाओं में 12 माह के बाद परिपक्व होने वाला जमा शामिल है		0.00		326.29
टिप्पणी 10.1 - अल्पकालिक ऋण और अग्रिम				
(ए) सुरक्षित				
(i) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम		54.35		60.71
(बी) असुरक्षित				
(i) कर्मचारियों को अग्रिम		161.51		159.68
(ii) स्टोर, स्पेअर्स और मशीनरी की खरीद के लिए अग्रिम	289.61		284.31	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	13.26		11.75	
		276.35		272.56
(iii) ठेकेदारों और अन्य को अग्रिम	103.08		57.38	
(-) संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	16.28		0.00	
		53.59		24.17
(iv) संबंधित पार्टियों को ऋण और अग्रिम				
(ए) अधिकारियों को अग्रिम		0.00		0.00
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को अग्रिम		0.00		0.00
(बी) रिनमॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी		33.21		33.21
(v) प्राप्य दावे	0.53		1.50	
(-) संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	0.53		0.53	
(vi) पूर्वदत्त खर्च		0.00		0.97
		1003.01		170.41
कुल		1582.02		721.71
टिप्पणी 10.2 - अन्य चालु परिसंपत्तियाँ				
(i) सावधि और अन्य जमाओं पर अर्जित ब्याज		10913.82		11474.05
(ii) फुटकर प्राप्य		661.17		272.80
कुल		11574.99		11746.85

31 मार्च, 2014 को को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए	
टिप्पणी 11.1 - प्रचालन से राजस्व					
(ए) खनन उत्पादों की बिक्री			94615.66		89073.03
(बी) विनिर्मित उत्पादों की बिक्री			7377.90		7503.75
(सी) बिजली की बिक्री			851.68		925.89
			102845.24		97502.67
(-) विनिर्मित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क			716.86		790.67
	कुल		102128.38		96712.00
टिप्पणी 11.2 - अन्य आय					
1 अन्य आय					
(ए) प्राप्त ब्याज			24986.47		22917.04
(बी) कर्मचारियों से वसूली			10.04		9.92
(सी) स्क्रैप की बिक्री			0.31		0.33
(डी) इमारतों का किराया			0.00		3.55
(ई) बिक्री-कर सेटऑफ/रिफंड			238.18		191.60
(एफ)विविध आय			521.70		404.33
2 रिटर्न बैक प्रावधान					
(ए) अप्रचलित स्टोर की बिक्री पर प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधान			0.70		0.28
(बी) प्रावधान जो अब आवश्यक नहीं है			4574.65		0.00
	कुल		30332.05		23527.05
टिप्पणी 12.1 - कच्चे माल की खपत की लागत					
इलेक्ट्रोलायटिक मैंगनीज डाय-ऑक्साइड प्लांट					
(ए) मैंगनीज अयस्क		10.48		11.93	
(बी) सलफरिक एसिड		24.03		23.01	
(सी) सोडियम कार्बोनेट		3.84		2.66	
(डी) अन्य		4.30		3.47	
			42.65		41.07
फेरो मैंगनीज प्लांट					
(ए) मैंगनीज अयस्क		1294.14		1169.03	
(बी) कोक		804.29		882.88	
(सी) कार्बन पेस्ट		49.59		39.46	
(डी) अन्य		384.43		300.17	
			2532.45		2391.54
	कुल		2575.10		2432.61

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए	
टिप्पणी 13.1 - तैयार माल, प्रक्रियागत कार्य और व्यापारगत भंडार की वस्तुसूची में परिवर्तन					
(ए) खनन उत्पाद					
अंतिम स्कंध		2062.60		3072.26	
(-) प्रारंभिक स्कंध		3072.26		5708.16	
			-1009.66		-2635.90
(बी) विनिर्मित उत्पाद					
अंतिम स्कंध		1615.68		1224.65	
(-) प्रारंभिक स्कंध		1224.65		1411.98	
			391.03		-187.33
	ए		-618.63		-2823.23
घटाएं :					
विनिर्मित उत्पादों के स्कंध पर उत्पाद शुल्क					
अंतिम स्कंध पर		177.73		134.72	
(-) प्रारंभिक स्कंध पर		134.72		155.32	
	बी		43.01		-20.60
शुद्ध बढ़त/-घटत (ए-बी)			-661.64		-2802.63
टिप्पणी 14.1 - कर्मचारी अनुलाभ खर्च					
वेतन, मजदूरी और बोनस			20641.99		19883.92
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान			3586.83		5179.37
कल्याण खर्च			1380.02		1139.87
	कुल		25608.84		26203.16

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखा पर टिप्पणी

₹ लाख में

विवरण		वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए	
टिप्पणी 14.2 - अन्य खर्च					
अन्य विनिर्माण और प्रशासनिक खर्च, बिक्री खर्च और बट्टे खाते में डालना					
1	ठेकेदारों के माध्यम से परिवहन, रेलिंग और अन्य कार्य		5467.39		5448.61
2	स्टोर और स्पेअर्स की खपत		5150.49		4330.74
3	बिजली और ईंधन		3736.75		3973.11
4	इमारतों की मरम्मत और रखरखाव	389.62		331.50	
5	संयंत्र और मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	1042.88		783.64	
6	अन्य की मरम्मत और रखरखाव	144.72		115.72	
			1577.22		1230.86
7	किराया		28.38		25.05
8	दर और कर		206.70		246.21
9	बीमा		202.42		195.90
10	लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक		8.47		7.15
11	निदेशकों की बैठक फीस		10.60		13.58
12	विज्ञापन		177.70		191.30
13	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और संधारणीय विकास पर खर्च		1036.04		1055.94
14	विविध खर्च		1489.47		1329.30
15	रॉयल्टी और उपकर	3859.54		3637.99	
16	बिक्री पर नकद छूट	105.49		75.79	
17	ई-ऑक्शन पर सेवा शुल्क	54.86		99.55	
18	नमूनाकरण खर्च	15.40		12.03	
			4035.29		3825.36
19	खदानों पर अन्वेषी ड्रिलिंग	573.37		638.82	
20	ब्लास्टिंग/रॉक यांत्रिकी/स्टोप डिजाइन अध्ययन, इत्यादि पर खर्च	346.01		190.31	
			919.38		829.13
21	फेंकी गई आस्तियों को बट्टे खाते में डालना	22.09		22.18	
22	स्टोर्स और स्पेअर्स की कमी को बट्टे खाते में डालना	2.17		2.10	
23	संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	29.28		0.00	
24	अंतिम खदान बंद खर्च के लिए प्रावधान	76.81		77.44	
25	पूर्व अवधि मद	121.54		0.00	
			251.89		101.72
	Total		24298.19		22803.96

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ और लेखा 1.1 और 1.2 पर टिप्पणी।

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

नीरज पांडे
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

₹ लाख में

विवरण	वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए		वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए	
ए. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह				
कर और लाभांश से पूर्व शुद्ध लाभ		76932.68		63678.28
समायोजन -				
(ए) मूल्यह्रास	3518.23		3303.33	
(बी) स्थायी संपत्तियों से कटौती	27.11		22.18	
		3545.34		3325.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के पूर्व प्रचालन लाभ		80478.02		67003.79
समायोजन -				
(ए) वस्तुसूची	237.82		2980.15	
(बी) विविध देनदार	17492.29		-18876.71	
(सी) अन्य चालु संपत्तियाँ (अल्पावधि और दीर्घावधि)	191.65		-568.91	
(डी) ऋण और अग्रिम (अल्पावधि और दीर्घावधि)	4183.94		-1544.51	
(ई) देयताएं और प्रावधान (अल्पावधि और दीर्घावधि)	-2477.72		6732.06	
		19627.98		-11277.92
प्रचालनों से उत्पन्न नकद		100106.00		55725.87
वर्ष के दौरान कराधान के लिए प्रावधान		-26087.41		-21384.15
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकद		74018.59		34341.72
बी. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) अचल संपत्ति की खरीदी	-7626.81		-4766.45	
(बी) निवेश की खरीदी/बिक्री	0.00		0.00	
निवेश गतिविधियों में इस्तेमाल शुद्ध नकद		-7626.81		-4766.45
सी. वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
(ए) लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित)		-14786.79		-10738.96
डी. नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(-)घटत		51604.99		18836.31
ई. प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		227678.42		208842.11
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		279283.41		227678.42
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध बढ़त/(-)घटत		51604.99		18836.31

हमारी समतिथि की रिपोर्ट के अनुसार
कृते वी. के. सुराणा एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ.आर. नं. 110634 डब्लू

सी. ए. सुधीर सुराणा
सदस्यता क्रमांक : 043414

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2014

नीरज पांडे
कंपनी सचिव

नितीन पी. काजरेकर
उप महाप्रबंधक (वित्त)

मुकुंद पी. चौधरी
निदेशक (वित्त)

जी. पी. कुंदरगी
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

व्यापार खण्ड विषयक जानकारी

लेखांकन मानक-17 के अनुसार कंपनी ने खण्ड रिपोर्टिंग पर तीन व्यापार खण्डों, अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली उत्पादन को मान्य किया है।

₹ लाख में

क्र. सं.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन		समेकित	
		2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13	2013-14	2012-13
1	राजस्व										
	(ए) बाहरी बिक्री (सकल)	94615.66	89073.03	7377.90	7503.75	851.68	925.89	0.00	0.00	102845.24	97502.67
	(बी) आंतर खण्ड बिक्री	1134.25	984.92	0.00	0.00	463.23	639.62	-1597.48	-1624.54	0.00	0.00
	(सी) कुल राजस्व	95749.91	90057.95	7377.90	7503.75	1314.91	1565.51	-1597.48	-1624.54	102845.24	97502.67
2	परिणाम										
	(ए) खण्ड परिणाम	44816.63	38796.24	1614.89	939.48	169.11	415.51	0.00	0.00	46600.63	40151.23
	(बी) अन्य आय (राइट बॅक सहित)	30332.05	23527.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30332.05	23527.05
	(सी) कुल खण्ड परिणाम	75148.68	62323.29	1614.89	939.48	169.11	415.51	0.00	0.00	76932.68	63678.28
	(डी) कर पूर्व लाभ									76932.68	63678.28
	(ई) आयकर हेतु प्रावधान									26087.41	21384.15
	(एफ) विलंबित कर देयताएं									-110.95	-878.13
	(जी) कर पश्चात लाभ									50956.22	43172.26

क्र. सं.	विवरण	खनन		विनिर्माण		बिजली निर्माण		विलोपन#		समेकित	
		31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013	31.03.2014	31.03.2013
3	अन्य जानकारी:										
	(ए) खण्ड परिसंपत्ति	38105.15	50908.29	2553.22	2320.01	3374.11	4402.92	303149.96	254316.24	347182.44	311947.46
	(बी) खण्ड देयताएं	8537.51	8110.99	372.79	277.30	376.99	370.99	25161.91	26624.37	34449.20	35383.65
	(सी) पूंजीगत खर्च	7496.38	4645.04	75.35	90.22	0.00	0.00	55.07	31.19	7626.80	4766.45
	(डी) समाप्त वर्ष के लिए मूल्य ह्रास	2444.03	2231.40	67.49	65.21	1006.71	1006.71	0.00	0.00	3518.23	3303.32

नोट : उत्पन्न बिजली के लिए बिजली बिलों में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा दिए गए क्रेडिट की राशि से खपत के यूनिटों का बिजली शुल्क समेकित किया गया है तथा खण्ड राजस्व तक पहुंचने के लिए इसे बिजली निर्माण यूनिट के आंतर खण्ड राजस्व के रूप में मान्य किया है।

अ-आबंटित पूंजीगत व्यय, निगमित संपत्ति तथा निगमित देयताएं शामिल है।

सामाजिक सुख-सुविधाओं का विवरण - वर्ष 2013-14 के लिए व्यय एवं आय

₹ लाख में

क्र.	विवरण	वसाहत	शिक्षा	चिकित्सा	कल्याण	योग	
						2013-14 के लिए	2012-13 के लिए
1.	वेतन एवं मजदूरी	82.00	61.40	92.93	507.22	743.55	689.20
2	भविष्य निधि में अंशदान	9.84	5.84	11.49	35.75	62.92	56.43
3	भंडार सामग्री खपत	3.04	16.18	9.35	66.52	95.09	91.85
4	बिजली	105.43	0.00	6.44	52.05	163.92	173.49
5	औषधि एवं इंजेक्शन	0.00	0.00	96.71	0.00	96.71	99.18
6	विविध व्यय	1.13	43.96	144.67	273.82	463.58	684.63
7	ठेकेदार-इमारत/अन्य मरम्मत	332.98	0.89	0.93	58.89	393.69	390.22
	उप जोड़ ए	534.42	128.27	362.52	994.25	2019.46	2185.00
8	मूल्यह्रास	228.57	14.65	3.72	2.93	249.87	216.43
9	ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप जोड़ बी	228.57	14.65	3.72	2.93	249.87	216.43
10	कुल व्यय (ए+बी) उप जोड़ सी	762.99	142.92	366.24	997.18	2269.33	2401.43
	घटाएं:						
	बिजली से आय	4.02	0.00	0.00	0.00	4.02	4.64
	शाला बस से प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	2.23
	क्रीडा/चिकित्सा/अन्य हेतु कल्याण आयुक्त से प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
	उप जोड़ डी	4.02	0.00	0.00	2.21	6.23	7.60
11	शुद्ध व्यय (सी-डी)	758.97	142.92	366.24	994.97	2263.10	2393.83
	'सांविधिक आवश्यकताओं से अधिक और उपर	# सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों सहित					

कंपनी की ओपन कास्ट खान -
डोंगरी बुजुर्ग खान

मॉयल, खान के अंदर का एक दृश्य

बालाघाट खान पर वर्टिकल शाफ्ट

नागदा एवं रतेडी पहाड़ी, देवास
(मध्यप्रदेश) में स्थित 4.8 मेगावाट एवं
15.2 मेगावॉट क्षमता के पवन उर्जा फार्म

मॉयल, बालाघाट खान स्थित 10,000 टन वार्षिक क्षमता वाला फेरो मैगंनीज संयंत्र

मॉयल डोंगरी बुजुर्ग खान स्थित 1000 टन वार्षिक क्षमता का ई.एम.डी. संयंत्र

मॉयल बालाघाट खान में स्थित 5,00,000 टन वार्षिक क्षमता वाला आई.एम.बी. संयंत्र

मॉयल डोंगरी बुजुर्ग मे स्थित, 4,00,000 टन वार्षिक क्षमता वाला आई.एम.बी. संयंत्र

दृष्टिकोण एवं लक्ष्य, उद्देश्य

मॉयल लिमिटेड
(भारत सरकार का एक उपक्रम)

दृष्टिकोण/लक्ष्य

- उपलब्ध कौशल/प्रतिभा का उपयोग और उन्नयन के माध्यम से दुनिया की उत्तम मैंगनीज खनन कंपनियों में से एक बनना।
- संयुक्त उद्यमों/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए सभी संभावित क्षेत्रों में विश्व स्तर पर कंपनी की गतिविधियों का विस्तार करना।

उद्देश्य

- भारत के मैंगनीज उद्योग बाजार में अपनी अग्रणी प्रतिष्ठा को बनाए रखना।
- सभी पणधारियों की संतुष्टि के लिए पर्याप्त अधिशेषों को उत्पन्न करना तथा सबसे अच्छा लाभांश सुनिश्चित करना।
- सभी स्तर पर मैंगनीज अयस्क और संबंधित उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए तथा गुणवत्ता पूर्ण सामग्री और सेवाओं को तत्काल प्रदान करके ग्राहकों के समाधान में वृद्धि करना।
- अनुसंधान एवं विकास तथा नई प्रौद्योगिकी को अंगीकार करके निम्न एवं मध्यम श्रेणी अयस्कों के उन्नयन के लिए खनन और परिष्करण प्रणाली का विविधीकरण और आधुनिकीकरण करना और मूल्य वर्धन के माध्यम से विकास को प्राप्त करना।
- (ए) मानवीय और भौतिकीय दोनों संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके उत्पादकता, क्षमता उपयोग एवं लागत प्रभावशीलता में सुधार लाना।

  (बी) फेरो मैंगनीज संयंत्र के लिए लागत प्रभावी किफायती बिजली सेवाओं की सभी संभावनाओं का पता लगाना।
- खनन क्षेत्रों को स्वच्छ, हरा-भरा तथा पर्यावरण अनुकूल बनाना।
- सुरक्षा के तरीकों में और सुधार करके शून्य दुर्घटना दर हासिल करने के प्रयास करना।
- उद्योग से जुड़े कर्मचारियों तथा अन्य पणधारियों का उत्तम जीवन-स्तर सुनिश्चित करना।

मॉयल लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CIN:L99999MH1962GOI012398

PAN: AAACM8952A

मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड,

नागपुर - 440 013

ईमेल : compliance@moil.nic.in

Telefax: 07122591661

www.moil.nic.in

www.sapprints.com